

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
National Horticulture Board

वार्षिक प्रतिवेदन Annual Report 2019-20



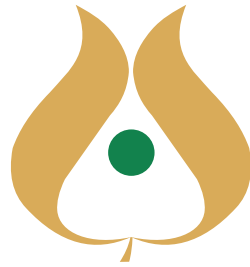
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
National Horticulture Board

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

NATIONAL HORTICULTURE BOARD

वार्षिक प्रतिवेदन Annual Report 2019-20



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
National Horticulture Board

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India
प्लॉट नं. 85, सेक्टर-18, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम-122015 (हरियाणा)
Plot No. 85, Sector-18, Institutional Area, Gurugram – 122015 (Haryana)
दूरभाष/Ph.: 0124-2342992, Fax : 0124-2342991
वेबसाइट/Website : www.nhb.gov.in

विषय-सूची

प्रस्तावना

1. परिचय

- 1.1 दृष्टिकोण
- 1.2 मिशन
- 1.3 उद्देश्य

2. संगठन

- 2.1 निदेशक मंडल
- 2.2 प्रबंध समिति

3. संसाधन

- 3.1 लोग
- 3.2 नेटवर्क
- 3.3 अवसंरचना

4. वित्त-पोषण

5. योजनाएँ / कार्यक्रम

5.1 उत्पादन तथा फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास

- 5.1.1 परियोजना मोड पर खुला क्षेत्र परिस्थितियों में वाणिज्यिक बागवानी विकास
- 5.1.2 परियोजना मोड पर संरक्षित कवर में वाणिज्यिक बागवानी विकास
- 5.1.3 एकीकृत फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन परियोजनाएँ
- 5.1.4 उपलब्धियाँ

5.2 बागवानी उत्पादों हेतु शीत संग्रहगारों तथा संग्रहगारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सहायिकी योजना

- 5.2.1 कोल्ड स्टोरेज इकाई टाइप-1 – एकल तापमान जोन के साथ मूल प्रकार
- 5.2.2 कोल्ड स्टोरेज इकाई टाइप-2 – बहु तापमान जोनों और मूल सामग्री प्रहस्तन उपस्कर के साथ
- 5.2.3 कोल्ड स्टोरेज इकाई टाइप-2 – नियंत्रित वातावरण के लिए शामिल प्रौद्योगिकी के साथ
- 5.2.4 प्रौद्योगिकी समावेशन और कोल्ड चेन का आधुनिकीकरण
- 5.2.5 उपलब्धियाँ

5.3 बागवानी के संवर्धन हेतु प्रौद्योगिकी विकास तथा हस्तांतरण

- 5.3.1 उद्देश्य
- 5.3.2 घटकों और सहायता का तरीका
- 5.3.3 उपलब्धियाँ

5.4 बागवानी फसलों के लिए बाजार सूचना सेवा

5.5. बागवानी संवर्धन सेवाएँ / विशेषज्ञ सेवाएँ और रा.बा.बो. की क्षमताओं का सुदृढीकरण

मुख्य विशेषताएँ : 2019–20

1. वाणिज्यिक बागवानी का संवर्धन

- क) वाणिज्यिक बागवानी – खुले क्षेत्र की खेती
- ख) वाणिज्यिक बागवानी – फूलों और सब्जियों की संरक्षित खेती
- ग) फसल – कटाई उपरांत प्रबंधन हेतु सहायता
- घ) गुणवत्ता रोपण सामग्री
- ड.) पूरक गतिविधियाँ

2. कोल्ड स्टोरेज क्षमता का सृजन

3. बागवानी के संवर्धन हेतु प्रौद्योगिकी विकास एवं हस्तांतरण

4. भारतीय बागवानी परिसंघ (सीआईएच) और अखिल भारतीय कमोडिटी उत्पादकों के संघों के सदस्यों के साथ रा.बा.बो., गुरुग्राम में सचिव (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण), भारत सरकार की अध्यक्षता में 17-06-2019 को हुई बैठक।

5. रा.बा.बो. द्वारा 20 फरवरी, 2020 को आयोजित राजभाषा सम्मेलन। प्रो. पी.सी. टंडन, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय मुख्य अतिथि और वक्ता थे।

6. कार निकोबार में सब्जियों पर सह प्रशिक्षण कृषक पारस्परिक बैठक।

7. आईसीएआर-सीपीसीआरआई, कासरगोड, केरल में नारियल की मूल्य श्रृंखला पर उद्यमिता विकास कार्यक्रम।

8. विशेष परियोजनाएं:

- i) इंडिया गार्डन, अंतर्राष्ट्रीय बागवानी प्रदर्शनी, 2019, बीजिंग चीन
- ii) केसर पार्क परियोजना, पंपोर, केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर

संलग्नक

- i. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के उद्देश्य
- ii. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक मंडल की सूची- 31-03-2020 के अनुसार
- iii. स्टाफ स्थिति- 31-03-2020 के अनुसार
- iv. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची उनके सम्पूर्ण पते सहित
- v. वर्ष 2019-20 के लिए बोर्ड के वार्षिक लेखे

प्रस्तावना

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (रा.बा.बो.) ने वर्ष 1984 में अपनी शुरुआत से ही बागवानी क्षेत्र में अत्यधिक योगदान दिया है। रा.बा.बो. ने 1987-1990 की बाज़ार सूचना सेवा तथा प्रौद्योगिकी जागरूकता योजनाओं से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी, इसके बाद सुलभ ऋण योजनाएं तथा वर्ष 2000 से वाणिज्यिक उत्पादन, फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन, प्रसंस्करण तथा कोल्ड स्टोरेजों के लिए क्रेडिट-लिंकड बैंक-एन्डिड सब्सिडी योजनाएं शुरू की गई थी। रा.बा.बो. को वर्ष 2014-15 से “एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)” के अंतर्गत लाया गया था ताकि नए परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के साथ वाणिज्यिक बागवानी के विकास को गति प्रदान की जा सके। आई.सी.ए.आर. संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर रा.बा.बो. “प्रौद्योगिकी विकास तथा हस्तांतरण” को भी बढ़ावा देता रहा है।

बागवानी स्वास्थ्य का द्योतक है। बागवानी उत्पादों का उत्पादन, उपलब्धता, पहुँच और उपभोग किसी भी राष्ट्र के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के निर्धारक हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि 3रें अग्रिम अनुमानों के अनुसार, बागवानी क्षेत्र ने भारतीय बागवानी के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक 319.57 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन दर्ज किया है। यह राष्ट्र की खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा को पूरा करने के लिए उत्पादन के कार्य को पूरा करने की भारतीय किसान की तत्परता और उद्यमिता को दर्शाता है।

रा.बा.बो. की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए और इसे किसान हितैषी बनाने के लिए वर्ष 2019-20 कई तरह से परिवर्तनकारी वर्ष रहा है। रा.बा.बो. योजनाओं के लिए एप्लीकेशन पोर्टल को पूरे वर्ष खुला रखा गया, जिससे किसानों और उद्यमियों दोनों को अत्यधिक लाभ हुआ। रा.बा.बो. ने जम्मू एवं कश्मीर में केसर पार्क परियोजना की गुणवत्ता जाँच और विपणन अवसंरचना के स्थापना कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया गया और बीजिंग, चीन के यांकिंग जिला में अंतरराष्ट्रीय बागवानी प्रदर्शनी 2019 में “इंडिया गार्डन” सफलतापूर्वक स्थापित किया गया और 110 भागीदार राष्ट्रों में से ऑउटडोर श्रेणी में ‘स्वर्ण पदक’ जीता।

बोर्ड की ऊपर बताई गई उपलब्धियाँ रा.बा.बो. के निदेशक मंडल और प्रबंध समिति के मार्गदर्शन के बिना अर्जित करना संभव नहीं होता। इस संबंध में, मैं श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री एवं बोर्ड के अध्यक्ष, श्री परषोत्तम रूपाला जी, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री एवं बोर्ड के उपाध्यक्ष, तथा रा.बा.बो. के बोर्ड के सभी अन्य प्रतिष्ठित सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं श्री संजय अग्रवाल, भा.प्र.से., सचिव, डीएसी एंड एफडब्ल्यू और रा.बा.बो. की प्रबंध समिति के अध्यक्ष और प्रबंध समिति के सभी अन्य प्रतिष्ठित सदस्यों को उनके मार्गदर्शन तथा सहयोग के लिए विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। मैं श्रीमती वसुधा मिश्रा, भा.प्र.से., विशेष सचिव, डीएसी एंड एफडब्ल्यू को उनके द्वारा बोर्ड को प्रदान किए गए निरंतर मार्गदर्शन तथा

सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं श्री राजबीर सिंह, आई.एफ.एस., संयुक्त सचिव (एमआईडीएच) और उनकी अधिकारियों की टीम द्वारा इस अवधि के दौरान रा.बा.बो. को सभी संभव सहयोग प्रदान करने के लिए विशेष धन्यवाद देता हूँ। मैं मेरे पूर्व अधिकारी डॉ. एम. आरीज़ अहमद, भा.प्र.से. द्वारा किए गए प्रयासों को भी याद करना चाहता हूँ जिन्होंने बोर्ड की योजनाओं में कई तकनीकी इनपुट दिए। अंत में, लेकिन कम नहीं, मैं भारत में बागवानी क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों को लाभ पहुंचाने के लिए बोर्ड की प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं में बड़े सुधार लाने में रा.बा.बो. के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा की गई अद्भुत मेहनत की सराहना करता हूँ।

बन्दला श्रीनिवास, भा.प्र.से.
प्रबंध निदेशक

1. संगठन

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (रा.बा.बो.) की स्थापना भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 1984 में डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन, तत्कालीन सदस्य (कृषि), योजना आयोग, भारत सरकार की अध्यक्षता में “विनाशवान कृषि उत्पादों पर समूह” की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है, उसके बाद, हरियाणा सोसाइटी पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2012 के तहत फिर से पंजीकृत किया गया है तथा इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है।

1.1 दृष्टिकोण

- इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि वाणिज्यिक बागवानी न केवल भोजन तथा पोषण सुरक्षा मुहैया करवाती है बल्कि बेहतर आर्थिक लाभ तथा किसानों हेतु जोखिम के न्यूनीकरण हेतु फसल विविधता के लिए मार्ग भी प्रशस्त करती है, वाणिज्यिक बागवानी परियोजनाओं के माध्यम से निजी निवेश हेतु समन्वित प्रयासों द्वारा इस क्षेत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता की परिकल्पना की गई है।
- देश में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक बागवानी परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार कटाई उपरांत प्रबंधन से संबंधित अवसंरचना का सृजन, प्रौद्योगिकी विकास तथा अंतरण के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के प्रयास, उत्पाद संवर्धन, विपणन तथा निर्यात शामिल हैं।
- इस दृष्टिकोण के साथ, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड संसाधनों के बेहतर उपयोग, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण तथा पैमाने में वृद्धि का लाभ उठाने हेतु उत्पादक किसानों को एकत्र करके संभावित समूहों में वाणिज्यिक बागवानी के विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास कर रहा है।

1.2 मिशन

- उत्पादक केंद्र के विकास और गुणवत्ता वाली पौधरोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी को बढ़ावा देना।
- कटाई उपरांत प्रबंधन तथा शीत श्रृंखला अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देना।
- गुणवत्तायुक्त उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के विकास एवं हस्तांतरण को बढ़ावा देना।
- उत्पादकों, किसानों, विस्तार कामगारों, अनुसंधान संगठनों, निजी शेयरधारकों और ऋण संस्थानों के बीच परस्पर सहयोग के माध्यम से उत्पाद संवर्धन, बाजार विकास और निर्यात संवर्धन।

1.3 उद्देश्य

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के मुख्य उद्देश्य बागवानी उद्योग के समेकित विकास में सुधार करना है और फलों तथा सब्जियों के उत्पादन एवं प्रसंस्करण को बनाए रखने के लिए समन्वयन में सहायता प्रदान करना है। बोर्ड के विस्तृत उद्देश्य **संलग्नक-1** में दिए गए हैं।

2. संगठन

2.1 निदेशक मंडल

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के सभी क्रियाकलापों का समग्र प्रबंधन “निदेशक मंडल” द्वारा संचालित किया जाता है जिसके प्रमुख इसके अध्यक्ष के रूप में माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं तथा माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष हैं। निदेशक मंडल का संघटन इस प्रकार है:

क्र.सं.	सदस्य का पदनाम	पद
1.	केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री	अध्यक्ष (पदेन)
2.	केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष (पदेन)
3.	केंद्रीय सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
4.	महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्	सदस्य (पदेन)
5.	अपर सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
6.	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
7.	संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (एम.आई.डी.एच.), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
8.	बागवानी आयुक्त, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
9.	सलाहकार (कृषि), नीति आयोग	सदस्य (पदेन)
10.	अध्यक्ष, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)	सदस्य (पदेन)
11.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अथवा किसी अन्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि जिसे विशेषतः अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आमंत्रित किया जा सकता है	सदस्य (पदेन)
12.	बागवानी उद्योग के 11 प्रतिनिधि जो सहकारी समितियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले, प्रख्यात बागवानी-विशेषज्ञ तथा बागवानी उत्पाद के अग्रणी निर्यातक होंगे। (केंद्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाएगा)	गैर-सरकारी सदस्य
13.	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड	सदस्य सचिव (पदेन)

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक मंडल के सदस्यों की सूची, 31-03-2020 के अनुसार, संलग्नक- II में दी गई है।

2.2 प्रबंध समिति

केंद्रीय सचिव (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण), राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में इसके प्रमुख हैं। इस समिति को बोर्ड के मामलों एवं कार्यों के सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य सौंपा गया है। प्रबंध समिति का संघटन इस प्रकार है:

क्र.सं.	सदस्य का पदनाम	पद
1.	केंद्रीय सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	अध्यक्ष (पदेन)
2.	अपर सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
3.	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
4.	संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (एम.आई.डी.एच.), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
5.	बागवानी आयुक्त, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
6.	अध्यक्ष, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)	सदस्य (पदेन)
7.	महाप्रबंधक, नाबार्ड	सदस्य (पदेन)
8.	किसानों का एक प्रतिनिधि (केंद्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाएगा)	सदस्य
9.	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड	सदस्य सचिव (पदेन)

3. संसाधन

3.1 हमारे लोग

प्रबंध निदेशक, इस बोर्ड के मुख्य कार्यपालक हैं जिनके सहायतार्थ तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रभाग हैं। स्वीकृत किए गए और भरे गए पदों के ब्योरे संलग्नक-III में दिए गए हैं।

3.2 हमारा नेटवर्क

इस बोर्ड का मुख्य कार्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। इसके अतिरिक्त, देश के विभिन्न भागों में बोर्ड के 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची संलग्नक-IV में दी गई है।

3.3 हमारी अवसंरचना

- 5.4 एकड़ में फैला हुआ एक बहुत ही सुव्यवस्थित हरा-भरा परिसर।
- प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में भी पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत कार्य वातावरण।
- बागवानी प्रकाशनों की व्यापक श्रृंखला के साथ एक सुसज्जित पुस्तकालय।
- प्रधान कार्यालय में समिति हॉल, अतिथि गृह तथा कैटीन सुविधाएँ।

4. वित्त-पोषण

बोर्ड के कार्यकलापों का वित्त-पोषण पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधियों तथा किए गए व्यय के व्योरे निम्नलिखित हैं:-

(राशि लाख रु. में)

क्र. सं.	योजना का नाम	प्राप्त अनुदान	अव्ययित शेष (01-04-2019 के अनुसार)	कुल उपलब्ध निधि	किया गया व्यय
1	एन.एच.बी.	2750.00	15668.57	18418.57	13273.53
2	एन.एच.एम. (टीएसजी)	150.00	93.82	243.82	197.46
3	एन.बी.एम. (टीएसजी)	-	19.58	19.58	14.50

5. योजनाएँ / कार्यक्रम

अपने प्रारंभ काल से ही राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने बागवानी फसलों में पद्धतियों तथा प्रसंस्करण/मूल्य संवर्धन के आधुनिक पैकेज के बड़े पैमाने पर अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम/योजनाएँ चलाई हैं। योजनाओं का वर्तमान सार-संग्रह उच्च गुणवत्ता वाले वाणिज्यिक उत्पादन को अर्जित करने, फसल-कटाई उपरांत अवसंरचना तथा शीत श्रृंखला सुविधाएँ सृजित करने और उत्पादन तथा फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए मध्यवर्तन का एक सैट है। योजनाओं की मुख्य विशेषताएँ और वर्ष 2019-20 के दौरान अर्जित की गई उपलब्धियाँ नीचे दी गई हैं:-

5.1 उत्पादन तथा फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास

इस घटक के अंतर्गत, खुला क्षेत्र में एवं संरक्षित परिस्थितियों के अधीन वाणिज्यिक उत्पादन इकाईयों की स्थापना के लिए परियोजनाएँ, फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन तथा प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं।

घटकों का विवरण और सहायता का तरीका

क्र.सं.	विवरण	वर्णन	सहायता का तरीका
5.1.1	परियोजना मोड पर खुला क्षेत्र परिस्थितियों में वाणिज्यिक बागवानी विकास	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड परियोजना मोड पर खुला क्षेत्र परिस्थितियों में 2 हैक्टेयर (5 एकड़) से अधिक क्षेत्र कवर करने वाली परियोजनाओं हेतु एकीकृत वाणिज्यिक बागवानी विकास परियोजनाओं पर विचार करता है जिसमें रोपण सामग्री, वृक्षारोपण, सिंचाई, फर्टिगेशन, मशीनीकरण, उमदा खेती, जी.ए.पी. आदि शामिल हैं। मशरूम और ऊतक संवर्धन पर एकीकृत उत्पादन इकाई भी इस घटक के अधीन सहायता के लिए पात्र हैं। उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए फार्म मशीनरी और पी.एच.एम. अवसंरचना, सिंचाई एवं सूक्ष्म सिंचाई आदि जैसे घटक भी योजना के अधीन मौजूदा/नए बगीचों/परियोजनाओं में सहायता के लिए पात्र हैं।	क्रेडिट लिंकड बैंक-एन्डिड सहायिकी सामान्य क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत के 40 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु0 30.00 लाख प्रति परियोजना और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों तथा अनुसूचित क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु0 37.50 लाख प्रति परियोजना है।
5.1.2	परियोजना मोड पर संरक्षित कवर में वाणिज्यिक बागवानी विकास	यह बोर्ड 2500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए परियोजना मोड पर संरक्षित कवर के अधीन वाणिज्यिक बागवानी विकास परियोजनाओं पर विचार करता है जिसमें रोपण सामग्री, वृक्षारोपण, सिंचाई, फर्टिगेशन, मशीनीकरण आदि शामिल होंगे। ग्रीन हाऊसों, शेड नेट हाऊसों के निर्माण, प्लास्टिक मल्टिप्लिंग, और प्लास्टिक सुरंग, पक्षी/पत्थर को रोकने वाले जालों आदि जैसी गतिविधियाँ सहायता के लिए पात्र हैं। तथापि, सहायिकी प्राप्त करने के लिए, सभी सामग्री/प्रौद्योगिकी निर्धारित मानकों के अनुसार होनी चाहिए।	क्रेडिट लिंकड बैंक-एन्डिड सहायिकी स्वीकार्य लागत मानकों के अनुसार कुल परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु0 56.00 लाख प्रति परियोजना है। (बोर्ड को उत्तर-पूर्वी राज्यों में 1000 वर्ग मी. और अधिक क्षेत्र में संरक्षित खेती के अधीन परियोजनाएँ लेने की अनुमति दी गई है।)
5.1.3	एकीकृत फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन परियोजनाएं	i) पैक हाऊस, राइपनिंग चैम्बर, प्रशीतन वैन, खुदरा आउटलेटों, प्री-कूलिंग इकाई, प्राथमिक प्रसंस्करण आदि से संबंधित एकीकृत फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन परियोजनाओं को इस घटक के अधीन सहायता प्रदान की जाती है। रा.बा.बो. घटक मोड में पी.एच.एम. घटकों की अकेले चल सकने योग्य परियोजनाएं भी स्वीकार करता है।	क्रेडिट लिंकड बैंक-एन्डिड सहायिकी सामान्य क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत के 35 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु0 50.75 लाख प्रति परियोजना और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों तथा अनुसूचित क्षेत्रों में पिछड़े और आगे की कड़ी की सुनिश्चितता सहित कुल परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु0 72.50 लाख प्रति परियोजना है।

		ii) केवल फलों, सब्जियों, फूलों, काजू और सुगन्धित पौधों की प्राथमिक प्रसंस्करण इकाईयां	क्रेडिट लिंकड बैंक-एन्डिड सहायिकी सामान्य क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत के 35 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु0 8.75 लाख प्रति परियोजना और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों तथा अनुसूचित क्षेत्रों में पिछड़े और आगे की कड़ी की सुनिश्चितता सहित कुल परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु0 12.50 लाख प्रति परियोजना है।
--	--	--	--

5.1.4 उपलब्धियाँ

इस योजना के अंतर्गत, बोर्ड ने रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान 307 परियोजनाएं मंजूर की थीं जिनमें रु0 5162.82 लाख की सहायिकी दी गई। परियोजनाओं में हाई-टेक बागवानी फसलें, ऊतक संवर्धन इकाईयां, पुष्पोत्पादन इकाईयां, मशरूम खेती, पैक हाऊस और ग्रेडिंग केन्द्रों की स्थापना, राइपनिंग चैम्बर, रीफर वैन, प्री-कूलिंग इकाईयां, कोल्ड रूम, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाईयां आदि शामिल हैं।

खुले क्षेत्र में खेती



सोलापुर जिला (महाराष्ट्र) में खुले क्षेत्र में अनार की खेती



नाशिक जिला (महाराष्ट्र) में खुले क्षेत्र में अंगूर की खेती



कच्छ जिला (गुजरात) में खुले क्षेत्र में अनार की खेती



संगारेड्डी जिला (तेलंगाना) में खुले क्षेत्र में अमरुद की खेती



दुर्ग जिला (छत्तीसगढ़) में खुले क्षेत्र में अमरुद की खेती

संरक्षित खेती



सांगली जिला (महाराष्ट्र) में पॉली हाउस के तहत जरबेरा की खेती



निजामाबाद जिला (तेलंगाना) में पॉली हाउस के तहत शिमला मिर्च की खेती



बैंगलोर जिला (कर्नाटक) में पॉली हाउस के तहत कार्नेशन की खेती



कोल्हापुर जिला (महाराष्ट्र) में पॉली हाउस के तहत गुलाब की खेती



कोल्हापुर जिला (महाराष्ट्र) में पॉली हाउस के तहत जरबेरा की खेती



जिला हसन (कर्नाटक) में पॉली हाउस के तहत एंथुरियम की खेती

संरक्षित खेती



जिला सिमोगा (कर्नाटक) में पॉली हाउस के तहत आर्किड की खेती



नासिक जिला (महाराष्ट्र) में पॉली हाउस के तहत शिमला मिर्च की खेती

प्राथमिक प्रसंस्करण यूनिट



एन.एच.बी. से सहायता-प्राप्त काजू प्रसंस्करण यूनिट जिला गंजम (ओडिशा)



रीफर वैन



मै0 पुरिसन एगोटेक एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली की एन.एच.बी. से सहायता-प्राप्त रीफर वैन

राइपनिंग चेम्बर



श्री के. कुप्पुसामी, जिला त्रिची (तमिलनाडु) की एन.एच.बी. से सहायता-प्राप्त राइपनिंग चेम्बर यूनिट

ग्रेडिंग पैकिंग यूनिट



नासिक जिला (महाराष्ट्र) में ग्रेडिंग पैकिंग यूनिट

5.2 बागवानी उत्पादों हेतु शीत संग्रहगारों तथा संग्रहगारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सहायिकी योजना

नियंत्रित वातावरण (सी.ए.) सहित शीत संग्रहगारों और उनके आधुनिकीकरण से संबंधित क्रेडिट लिंकड परियोजनाएं इस घटक के अधीन सहायता के लिए पात्र हैं।

घटकों का विवरण और सहायता का तरीका

क्र.सं.	विवरण	मदें	सहायता का तरीका
5.2.1	कोल्ड स्टोरेज यूनिट टाइप 1 – मूल मेजेनाइन संरचना बड़े चैम्बर (> 250 मी.ट.) सहित एकल तापमान जोन के साथ	रा.बा.बो. 5000 मी.ट. से अधिक 10000 मी.ट. तक की क्षमता वाली परियोजनाओं पर निम्नलिखित दरों के अनुसार विचार करता है: @रु. 8000/मी.ट. 5000 मी.ट. तक की क्षमता के लिए @रु. 7600/मी.ट. 5001 से 6500 मी.ट. के बीच की क्षमता के लिए @रु. 7200/मी.ट. 6501 से 8000 मी.ट. के बीच की क्षमता के लिए @रु. 6800/मी.ट. 8001 से 10000 मी.ट. के बीच की क्षमता के लिए	क्रेडिट लिंकड बैंक-एन्डिड सहायिकी 5000 मी.ट. से अधिक की क्षमता के लिए परियोजना की लागत के 35 प्रतिशत (उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों तथा अनुसूचित क्षेत्रों में 50 प्रतिशत) की दर से। क्षमता की गणना के लिए 3.4 घन मीटर (घ.मी.) (120 घन फीट {घ.फी.} चैम्बर मात्रा 1 मी. ट. क्षमता के समकक्ष मानी जाएगी। (बोर्ड को 1000 मीट्रिक टन अथवा अधिक क्षमता के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज परियोजनाएँ लेने की अनुमति दी गई है।) हालांकि, सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए सभी सामग्री/प्रौद्योगिकी को निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए।
5.2.2	कोल्ड स्टोरेज यूनिट टाइप 2 – पीईबी टाइप बहु तापमान और उत्पाद उपयोग के लिए, < 250 मी.ट. के 6 चैम्बरों से अधिक और मूल सामग्री प्रहस्तन उपस्कर के साथ	रा.बा.बो. 5000 मी.ट. से अधिक 10000 मी.ट. तक की क्षमता वाली परियोजनाओं पर निम्नलिखित दरों के अनुसार विचार करता है: @रु. 10000/मी.ट. 5000 मी.ट. तक की क्षमता के लिए @रु. 9500/मी.ट. 5001 से 6500 मी.ट. के बीच की क्षमता के लिए @रु. 9000/मी.ट. 6501 से 8000 मी.ट. के बीच की क्षमता के लिए @रु. 8500/मी.ट. 8001 से 10000 मी.ट. के बीच की क्षमता के लिए	
5.2.3	कोल्ड स्टोरेज यूनिट टाइप 2 – नियंत्रित वातावरण के लिए एडऑन प्रौद्योगिकी सहित	रा.बा.बो. 5000 मी.ट. से अधिक 10000 मी.ट. तक की क्षमता वाली परियोजनाओं पर ऊपर दी गई टाइप 2 दरों के अनुसार विचार करता है। अतिरिक्त रु. 10,000/मी.ट. नियंत्रित वातावरण प्रौद्योगिकी के एडऑन घटकों के लिए घटक वार लागत के अनुसार।	

5.2.4	प्रौद्योगिकी समावेशन और कोल्ड चेन का आधुनिकीकरण	@रु. 5000 / मी.ट. क्षमता 5001 से 10000 मी.ट. के बीच के लिए - आधुनिकीकरण के घटकों में शामिल हैं – पीएलसी घटक, पैकिंग लाइन, डॉक लेवलर, एडवांस ग्रेडर्स, वैकल्पिक प्रौद्योगिकियाँ, स्टेकिंग प्रणाली, इन्स्यूलेशन और रेफरिजेशन का आधुनिकीकरण आदि।	
-------	---	--	--

5.2.5 उपलब्धियाँ

इस योजना के अधीन, बोर्ड ने रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कोल्ड स्टोरेजों/सीए स्टोरेजों की 34 परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिसमें 287953.70 मी.ट. की क्षमता के सृजन के लिए रु. 5779.14 लाख की सब्सिडी दी गई है।

कोल्ड स्टोरेज



मै0 नेवल पुंडलिकप्पा कोल्ड स्टोरेज प्रा. लिमिटेड, कर्नाटक की एन.एच.बी. से सहायता-प्राप्त यूनिट



मै0 बालाजी एग्रो कोल्ड स्टोरेज एलएलपी, तमिलनाडू की एन.एच.बी. से सहायता-प्राप्त यूनिट

5.3 बागवानी के संवर्धन हेतु प्रौद्योगिकी विकास तथा हस्तांतरण

5.3.1 उद्देश्य

वाणिज्यिकीकरण/अंगीकरण के लिए चिह्नित नई प्रौद्योगिकियों/औजारों/तकनीकों को लोकप्रिय बनाने हेतु परियोजनाएँ निम्नलिखित उप-घटकों के माध्यम से चलाई जाएंगी:

5.3.2 घटकों और सहायता का तरीका

क्र.सं.	घटक	सहायता का तरीका
i	ब्लॉक/मदर प्लांट तथा रूट स्टॉक नर्सरी की स्थापना (क्षेत्र 4 है० से अधिक)	परियोजना आधारित – 100 प्रतिशत और वायरस इंडेक्सिंग, ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला आदि सहित प्रभावी नर्सरी क्षेत्र के लिए रु. 100.00 लाख/है० की दर से केवल सरकारी अभिकरण/सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से।
ii	बागवानी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए मूल्यांकन और व्यापक बहुलीकरण हेतु अन्य देशों से रोपण सामग्री के आयात सहित प्रौद्योगिकियों का अभिग्रहण।	परियोजना आधारित – 100 प्रतिशत और केवल सरकारी अभिकरण/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के माध्यम से रु. 50.00 लाख/परियोजना की दर से।
iii	प्रदर्शित करने के प्रयोजन के लिए बागवानी हेतु नई मशीनों तथा औजारों का आयात/खरीद।	रु. 50.00 लाख/मशीन। कुल लागत का 100 प्रतिशत और केवल सरकारी अभिकरण/सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से। रा.बा.बो. द्वारा संवर्धित उत्पादक संघों और सहकारी सोसाइटियों तथा किसान उत्पादक संगठन के प्रस्तावों पर भी निदेशक मंडल के निदेशानुसार गुण-दोष पर विचार किया जा सकता है।
iv	प्रौद्योगिकी का विकास एवं हस्तांतरण:- (i) उच्च गुणवत्तायुक्त वाणिज्यिक उत्पादन के संवर्धन या उत्पादकता में वृद्धि के लिए नए फार्म आगत के प्रारम्भ और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों इत्यादि के लिए प्रायोगिक परियोजना। (ii) पीएचएम, कोल्ड चेन, प्राथमिक प्रसंस्करण, जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित नए प्रोटोकॉल का विकास और परिचय तथा पीएचएम, स्टोरेज कोल्ड चेन सिस्टम सहित और हैंडलिंग के लिए नए औजारों/उपकरणों/मशीनरियों का परिचय। (iii) उत्पादन, पीएचएम, पैकेजिंग, स्टोरेज, हैंडलिंग तथा परिवहन से संबंधित विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए आर एंड डी परियोजनाएं।	कुल लागत के 100 प्रतिशत रूप में रु. 25.00 लाख/परियोजना तक और केवल सरकारी अभिकरण/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के माध्यम से।

v	लम्बी दूरी के परिवहन और रेल के माध्यम से बागवानी उत्पादों के थोक आवागमन को सुगम बनाने के लिए लम्बी दूरी परिवहन समाधान घटक।	परियोजना आधारित रु. 2000.00 लाख।
vi	उत्पाद संवर्धन और बाज़ार विकास सेवाएँ – हार्टि-फेअर	रु. 25.00 लाख – केन्द्रीय नोडल अभिकरण द्वारा लागत का 100 प्रतिशत।
vii	किसानों की एक्सपोजर यात्रा (राज्य के बाहर)	परियोजना आधारित – लागत के वास्तविक 100 प्रतिशत के अनुसार।
viii	सरकारी अधिकारियों के लिए विदेश दौरा	रु. 6.00 लाख प्रति प्रतिभागीदार – हवाई/रेल यात्रा तथा पाठ्यक्रम शुल्क का 100 प्रतिशत।
ix	बागवानी के विकास के लिए संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/प्रदर्शिनियों आदि का आयोजन/भागीदारी।	(i) वित्तीय सहायता अंतर्राष्ट्रीय आयोजन (3–5 दिन) के लिए रु. 10.00 लाख, राष्ट्रीय आयोजन के लिए रु. 5.00 लाख, राज्य-स्तरीय आयोजन के लिए रु. 3.00 लाख और जिला-स्तरीय आयोजन के लिए रु. 0.50 लाख तक सीमित होगी। (ii) अल्पावधि (1–2) संगोष्ठियों के मामले में, वित्तीय सहायता निम्नानुसार सीमित होगी: - रु. 1.00 लाख प्रति राज्य-स्तरीय आयोजन के लिए; - रु. 2.00 लाख प्रति राष्ट्रीय-स्तरीय आयोजन के लिए, और - रु. 3.00 लाख प्रति अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए (भारत के भीतर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन/भागीदारी)।
x	फल और सब्जी नर्सरियों का प्रमाणन और रेटिंग	रु. 1.00 लाख/नर्सरी – केन्द्रीय नोडल अभिकरण (रा.बा.बो.) द्वारा।

5.3.3 उपलब्धियाँ

इस योजना के तहत, रा.बा.बो. ने नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत, प्रगतिशील किसानों के दौरों, हार्टि संगम, संगोष्ठियों/गोष्ठियों/प्रदर्शिनियों के आयोजन/भागीदारी, प्रौद्योगिकी जागरूकता, मदर प्लांट नर्सरियों आदि के लिए 68 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है और रु0 212.12 लाख की वित्तीय सहायता राशि जारी की है।

बागवानी क्षेत्र में जागरूकता सह क्षमता निर्माण कार्यशाला



27.11.2019 को नालगोंडा जिला (तेलंगाना) में स्वीट ऑरेंज पर संभावित

फल और सब्जी नर्सरियों का प्रमाणन और रेटिंग



जम्मू-कश्मीर (केंद्रशासित प्रदेश) में फल पौध नर्सरी



जिला बनासकांठा (गुजरात) में सब्जी नर्सरी



जिला नवसारी (गुजरात) में फल पौध नर्सरी



जिला परगना (पश्चिम बंगाल) में फल पौध नर्सरी

5.4 बागवानी फसलों के लिए बाज़ार सूचना सेवा

इस योजना के अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण, प्रौद्योगिकी पैकेज का विकास, डेटा फीडिंग, प्रचार के माध्यम से सूचना प्रसार, मुद्रित साहित्य, स्थानीय विज्ञापनों आदि का कार्य होता है। इस योजना में एमआईडीएच के टीएसजी घटक के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार अनुमोदित दरों पर आउटसोर्स स्टाफ जैसे वरिष्ठ प्रोग्रामर, प्रोग्रामर, डाटा एंट्री ऑपरेटरों और बागवानी सहायकों को लगाने की व्यवस्था है। इस योजना के तहत मिशन प्रबंधन और प्रशासनिक व्यय सहित एन.एच.बी. केन्द्रों हेतु राशि रु. 906.23 लाख का व्यय हुआ है।

एन.एच.बी. के प्रकाशनों के ब्योरे संलग्नक-V पर दिए गए हैं।

5.5 बागवानी संवर्धन सेवाएँ / विशेषज्ञ सेवाएँ और रा.बा.बो. की क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण

इस घटक के अधीन, विशेष तरह के अध्ययन और सर्वेक्षण किए जाते हैं और अध्ययन/सर्वेक्षण प्रतिवेदन लक्षित लाभार्थियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए पेश किए जाते हैं। इसके अलावा, तकनीकी प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएंगी अथवा ध्येय स्थापित किया जाएगा और सलाहकारी एवं परामर्श सेवाओं सहित तकनीकी सेवाएँ भी उपलब्ध करवाई जाएंगी।

रा.बा.बो. द्वारा यह कार्य अपनी मैनपावर और आउटसोर्स विशेषज्ञों की सेवाओं के साथ किया जाता है और इस योजना के अधीन, नोडल संगठनों अर्थात् स्वयं रा.बा.बो., राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र और इसके अधीन संगठन, केन्द्रीय सरकार के संगठनों/अभिकरणों और अन्य संगठनों जैसे भारतीय गुणवत्ता परिषद्/एन.एच.आर.डी.एफ., आदि के माध्यम से 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

बागवानी संवर्धन सेवा योजना के तहत रु. 34.59 लाख और मिशन प्रबंधन तथा प्रशासनिक व्यय के तहत रु. 1110.08 लाख की राशि मुख्यालय हेतु व्यय की गई है।

मुख्य विशेषताएँ : 2019-20

1. वाणिज्यिक बागवानी का संवर्धन

- क) **वाणिज्यिक बागवानी – खुले क्षेत्र की खेती** : विभिन्न फलों, मसालों, सुगंधित पौधों की परियोजना मोड में खुले क्षेत्र परिस्थितियों वाली 124 वाणिज्यिक बागवानी परियोजनाओं के लिए रु. 783.91 लाख की सब्सिडी उपलब्ध करवाई गई है जिसमें 1443.95 एकड़ क्षेत्र शामिल है।
- ख) **वाणिज्यिक बागवानी – फूलों और सब्जियों की संरक्षित खेती** : फूलों और सब्जियों की संरक्षित परिस्थितियों वाली 150 परियोजनाओं के लिए रु. 3758.40 लाख की सब्सिडी उपलब्ध करवाई गई है जिसमें 235.95 एकड़ क्षेत्र शामिल है।
- ग) **फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन हेतु सहायता** :
- i) ग्रेडिंग पैकिंग इकाईयाँ, पैक हाऊस, कोल्ड रूम आदि के सृजन हेतु 08 परियोजनाएँ जिसमें रु. 52.00 लाख की सब्सिडी उपलब्ध करवाई गई है।
 - ii) प्राथमिक प्रसंस्करण : काजू, अन्य फल एवं सब्जी तथा किशमिश की 12 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाईयाँ जिसमें रु. 72.20 लाख की सब्सिडी उपलब्ध करवाई गई है।
 - iii) 5 राइपनिंग इकाईयाँ, 03 रीफर वैन परियोजनाएँ जिसमें रु. 380.92 लाख की सब्सिडी उपलब्ध करवाई गई है।
- घ) **गुणवत्ता रोपण सामग्री : नर्सरी** : पुष्पोत्पादन और सब्जियों के नवांकुर नर्सरी इकाईयों की स्थापना के लिए 01 परियोजना को रु. 16.24 लाख की सब्सिडी उपलब्ध करवाई गई है जिसमें 1.50 एकड़ क्षेत्र शामिल है।
- ड.) **पूरक गतिविधियाँ** : मशरूम इकाईयों की 04 परियोजनाएं जिसमें रु. 100.53 लाख की सब्सिडी उपलब्ध करवाई गई है।

2. कोल्ड स्टोरेज क्षमता का सृजन

- क) एन.एच.बी. ने 287953.70 मी.ट. क्षमता के सृजन के लिए 34 कोल्ड स्टोरेजों/सीए स्टोर्स को रु. 5779.14 लाख की सब्सिडी उपलब्ध करवाई है।

3. बागवानी के संवर्धन हेतु प्रौद्योगिकी विकास एवं हस्तांतरण

- क) क्षमता निर्माण कार्यक्रम : विभिन्न गतिविधियों जैसे संगोष्ठियों/गोष्ठियों/प्रदर्शिनियों में भागीदारी, प्रौद्योगिकी जागरूकता, मदर प्लांट नर्सरियों के 68 कार्यक्रम आयोजित किए गए/सहयोग प्रदान किया गया।
- ख) गुणवत्ता रोपण सामग्री : फल एवं सब्जी नर्सरी के प्रमाणन तथा मूल्यांकन की प्रणाली 2008-09 से शुरू की गई है। 2019-20 के दौरान, बोर्ड ने 290 नर्सरियों को प्रमाणित किया।

4. भारतीय बागवानी परिसंघ (सीआईएच) और अखिल भारतीय कमोडिटी उत्पादकों के संघों के सदस्यों के साथ रा.बा.बो., गुरुग्राम में सचिव (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण), भारत सरकार की अध्यक्षता में 17-06-2019 को हुई बैठक



5. रा.बा.बो. द्वारा 20 फरवरी, 2020 को आयोजित राजभाषा सम्मेलन। प्रो. पी.सी. टंडन, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय मुख्य अतिथि और वक्ता थे



6. कार निकोबार में सब्जियों पर सह प्रशिक्षण कृषक पारस्परिक बैठक



7. आईसीएआर-सीपीसीआरआई, कासरगोड, केरल में नारियल की मूल्य श्रृंखला पर उद्यमिता विकास कार्यक्रम



8. विशेष परियोजनाएं:

i. इंडिया गार्डन, अंतर्राष्ट्रीय बागवानी प्रदर्शनी, 2019, बीजिंग चीन:

कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय बागवानी प्रदर्शनी, 2019, बीजिंग, चीन में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा लाइव ग्रीन, लाइव बैटर थीम के तहत इंडिया गार्डन स्थापित किया गया था। बीजिंग एक्सपो 2019, 29 अप्रैल से 7 अक्टूबर, 2019 तक बीजिंग के यानकिंग जिले में आयोजित किया गया था। यह सबसे उच्च स्तरीय A1 श्रेणी वर्ल्ड हॉर्टिकल्चर एक्सपोजिशन में से एक था।

बीजिंग एक्सपो ने बड़ी संख्या में देशों का स्वागत करते हुए कुल 503 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया, जिन्होंने उक्त एक्सपो में सक्रिय रूप से भाग लिया। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के प्रबंध निदेशक एक्सपो के भारत अनुभाग के आयुक्त जनरल थे।

चीन सरकार द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बागवानी प्रदर्शनी, 2019, बीजिंग की आउटडोर श्रेणी में इंडिया गार्डन को **गोल्डन अवार्ड** से सम्मानित किया गया है।



अंतर्राष्ट्रीय बागवानी एक्सपो 2019, बीजिंग, चीन में भारत ने इंडिया गार्डन के लिए स्वर्ण पदक जीता

ii. केसर पार्क परियोजना, पंपोर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर:

जम्मू-कश्मीर केसर के आर्थिक पुनरुद्धार के लिए, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय केसर मिशन (एन.एस.एम.) कार्यक्रम को मंजूरी दी। उक्त कार्यक्रम के तहत गुणवत्ता परीक्षण और विपणन के घटक (राष्ट्रीय केसर मिशन यानी केसर पार्क परियोजना के 11 घटकों में से एक) को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन.एच.बी.) द्वारा कार्यान्वित किया जाना था। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को इस केसर पार्क को स्थापित करने में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की मदद करने का काम सौंपा गया था और पार्क के संचालन की जिम्मेदारी जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पास रहेगी। परियोजना की आधारशिला 23-08-2014 को माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा रखी गई थी।

केसर पार्क के अधिकांश घटक सीपीडब्लूडी और परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) द्वारा पूरे किए गए हैं। मुख्य सचिव, जम्मू और कश्मीर को परियोजना कार्य के विकास और केसर वैश्विक ब्रांड के वाणिज्यिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे के शीघ्र संचालन की आवश्यकता के बारे में और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए तथा केसर किसानों की शुद्ध आय में वृद्धि के बारे में सूचित किया गया है। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की सरकार ने पार्क को संचालित करने के लिए एक निकाय— अंतर्राष्ट्रीय कश्मीरी केसर व्यापार केंद्र (आई.आई.के.एस.टी.सी.), पंपोर का गठन किया है।

केसर पार्क का हैंडओवर मार्च, 2020 के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित किया गया था, हालांकि, यह कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को देखते हुए नहीं सौंपा जा सका।



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के उद्देश्य

- i) चिह्नित क्षेत्रों में उच्च-प्रौद्योगिकी वाणिज्यिक बागवानी का विकास और ऐसे क्षेत्रों को बागवानी गतिविधि से गुंजायमान करना जो बाद में बागवानी के विकास के लिए केन्द्रों के रूप में कार्य करेंगे।
- ii) क्षेत्र विस्तार परियोजनाओं के समग्र भाग के रूप में या परियोजनाओं के समूह के लिए सामान्य सुविधाओं के रूप में आधुनिक कटाई-उपरांत प्रबंधन की अवसंरचना का विकास करना।
- iii) ताजे बागवानी उत्पाद के लिए एकीकृत, ऊर्जा कार्यक्षम शीत श्रृंखला अवसंरचना का विकास करना।
- iv) प्रौद्योगिकी और जरूरत निर्धारण करने के पश्चात् वाणिज्यिकरण/अंगीकरण हेतु चिह्नित नई प्रौद्योगिकियों/औजारों/तकनीकों का प्रचार-प्रसार करना।
- v) कलम तथा प्रकंदन बैंकों/मदर प्लांट नर्सरियों की स्थापना का संवर्धन करते हुए और बागवानी नर्सरियों के प्रत्यायन/मूल्यांकन करते हुए तथा रोपण सामग्री के आवश्यकता आधारित आयातों द्वारा गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करना।
- vi) ताजे बागवानी उत्पादों को बढ़ावा देना तथा बाजार का विकास करना।
- vii) नए विकसित/आयातित रोपण सामग्री और अन्य कृषि निवेशों, उत्पादन प्रौद्योगिकी, पी.एच.एम. प्रोटोकॉल्स, आई.एन.एम. तथा आई.पी.एम. प्रोटोकॉल्स के फील्ड परीक्षणों को बढ़ावा देना तथा उद्गम प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिकरण हेतु अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
- viii) लेबर लागत कम करने और बागवानी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए बागवानी में फार्म मशीनीकरण को इसके प्रदर्शन और किसानों के खेतों में इसके उपयोग के माध्यम से बढ़ावा देना।
- ix) पी.एच.एम. प्रोटोकॉलों के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, ताजे बागवानी उत्पाद के लिए महत्वपूर्ण भंडारण परिस्थितियां निर्धारित करना, शीत श्रृंखला अवसंरचना के लिए तकनीकी मानकों के तलचिह्न स्तर निर्धारित करना आदि।
- x) उत्पादकों/किसानों तथा सेवा प्रदाताओं जैसे बागवानों, मालियों, फार्म स्तर पर कुशल कामगारों, कोल्ड स्टोरेजों में परिचालक, ताजे बागवानी उत्पाद के प्रसंस्करण सहित फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन करने वाले कार्यबल और मास्टर प्रशिक्षकों को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण।
- xi) बागवानी उत्पाद और उत्पादों के उपभोग को बढ़ावा देना।
- xii) रेल आदि के माध्यम से बागवानी उत्पाद के थोक आवागमन के लिए लम्बी दूरी परिवहन समाधान को बढ़ावा देना।
- xiii) बागवानी के व्यवस्थित विकास के लिए अल्पावधि और दीर्घावधि रणनीतियाँ विकसित करने और अवरोधों की पहचान करने के लिए अध्ययन और सर्वेक्षण करना तथा सलाहकारी एवं परामर्श सेवाओं सहित तकनीकी सेवाएं उपलब्ध करवाना।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक मंडल की सूची (31.03.2019 के अनुसार)

क्रम सं.	आधिकारिक सदस्य का नाम, पदनाम, दूरभाष नं. और ईमेल आईडी	पदनाम
1	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23383370 / 23782691 / 23384129 ईमेल: am.krishi@nic.in	अध्यक्ष (पदेन)
2	श्री परषोत्तम रूपाला माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23782343 / 23782565 ईमेल: mos.krishi@nic.in	उपाध्यक्ष (पदेन)
3	श्री संजय अग्रवाल सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23382651 / 23388444 ईमेल: secy-agri@nic.in	सदस्य (पदेन)
4	डॉ. त्रिलोचन मोहपात्रा महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23382629-476 / 25841976 / 23386711 / 25843190 (आवास) ईमेल: dg.icar@nic.in	सदस्य (पदेन)
5	श्रीमती वसुधा मिश्रा विशेष सचिव (बागवानी), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23382219 ईमेल: ascc-agri@nic.in	सदस्य (पदेन)
6	श्री बी. प्रधान विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23381363 / 23382532 ईमेल: b.pradhan@nic.in & asfa-agri@gov.in	सदस्य (पदेन)

7	श्रीमती पुष्पा सुब्रह्मण्यम सचिव खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई), पंचशील भवन, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली-110049 दूरभाष: 011-26492476 ईमेल: secy.mofpi@nic.in	सदस्य (पदेन)
8	श्री राजबीर सिंह संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23382444 / 23073779 ईमेल: jsmidh-agri@gov.in	सदस्य (पदेन)
9	डॉ. बी.एन.एस. मूर्ति बागवानी आयुक्त, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23381012 / 23383712 ईमेल: hortcommissioner@gmail.com	सदस्य (पदेन)
10	श्री पाबन के. बोरठाकुर अध्यक्ष, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, तीसरी मंजिल, एनसीयूआई भवन, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली दूरभाष: 011-26513167 ईमेल: chairman@apeda.gov.in	सदस्य (पदेन)
11	डॉ. जे.पी. मिश्रा सलाहकार (कृषि), नीति आयोग, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23096796 ईमेल: adviser.agri-pc@nic.in	सदस्य (पदेन)
12	श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील पूर्व सांसद चालीसगांव, जिला - जलगाँव - महाराष्ट्र मोबाइल: 09970095550 ईमेल: annasaheb.mkpatil@yahoo.com	गैर-सरकारी सदस्य

13	श्री बलदेव सिंह भंडारी वी.पी.ओ. — जामन की सेर, तहसील—पछाड़, जिला—सिरमौर, हिमाचल प्रदेश—173024 मोबाइल: 09418048582 / 09816048582 ईमेल: baldevbhandaribjp@gmail.com	गैर—सरकारी सदस्य
14	श्री वेद प्रकाश शर्मा डी—33, द्वारकापुरी, निकट खेडापाती मंदिर, ग्वालियर—474002, मध्य प्रदेश मोबाइल: 09826216038 ईमेल: vedprakash98262@gmail.com	गैर—सरकारी सदस्य
15	श्री चोदाराजू सत्य कृष्णम राजू तेतागुंटा, तुनी मंडल, ईस्ट गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश—533406 मोबाइल: 09440238555 ईमेल: tetagunta@gmail.com	गैर—सरकारी सदस्य
16	श्री बंसीलाल गुर्जर गांव लालघाटी, पोस्ट ऑफिस साबाखेडा, तहसील एवं जिला मंदसौर (मध्य प्रदेश) मोबाइल: 09425105258ए 09425105648 ईमेल: gurjar.banshilal@gmail.com	गैर—सरकारी सदस्य
17	डॉ. संजय शर्मा करुण नर्सिंग होम, मंटेडी, अंबाला—134003 (हरियाणा) मोबाइल: 09416028501, 07988661769, (फोन: 0171—2855001) ईमेल: sanjay65dr@gmail.com	गैर—सरकारी सदस्य
18	श्री गैरी टी. हाओकिप एच—56, रिपब्लिक मॉल वेंग आइजवाल, मिजोरम — 796001 मोबाइल: 09436354457	गैर—सरकारी सदस्य
19	श्री राकेश कुमार शर्मा गांव बुधन (निचला), पोस्ट ऑफिस पैरविन, तहसील बरसार, जिला हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) मोबाइल: 09418600199 ईमेल: rakeshsharmaabvp@gmail.com	गैर—सरकारी सदस्य

20	श्री एस.एन. राजन्ना सिंगानायकनाहल्ली येलकंका होबली, बैंगलोर-560064 (कर्नाटक) मोबाइल: 09845085779	गैर-सरकारी सदस्य
21	डॉ. सुनील पारीक एसोसिएट प्रोफेसर (पीएचटी) कृषि और पर्यावरण विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम) प्लॉट नं. 97, सेक्टर 56, एचएसआईआईडीसी इंडस्ट्रियल स्टेट, कुंडली, सोनीपत - 131028 (हरियाणा) मोबाइल : 09414821483, 07056721483 ईमेल: sunil_ciah@yahoo.co.in , spareekhort@gmail.com , sunilpareek.niftem@gmail.com , sunil.pareek@niftem.ac.in	गैर-सरकारी सदस्य
22	श्री हुकुमचंद पाटीदार गांव मानपुरा, तहसील असनवार, जिला झालावाड (राजस्थान) मोबाइल: 09461951154	गैर-सरकारी सदस्य
23	श्री बंदला श्रीनिवास प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम दूरभाष: 0124-2342992, ईमेल: md@nhb.gov.in	सदस्य सचिव (पदेन)

संलग्नक-III

प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी है। डॉ. मुहम्मद आरीज अहमद और श्री बी. श्रीनिवास क्रमशः 01-04-2018 से 31-10-2019 और 01-11-2019 से 31-03-2020 के दौरान बोर्ड के प्रबंध निदेशक थे। बोर्ड का मुख्यालय गुरुग्राम में है और पूरे देश में इसके 29 केन्द्र हैं। प्रबंध निदेशक को तकनीकी और प्रशासनिक प्रभागों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। बोर्ड में कुल नियमित स्वीकृत पदों की संख्या 155 है।

31-03-2020 को स्वीकृत, भरे हुए और रिक्त पदों के ब्योरे

क्र. सं.	पद का नाम	वेतन स्तर एवं वेतन मैट्रिक्स		वर्तमान स्थिति		
		वेतन स्तर	वेतन मैट्रिक्स	स्वीकृत पदों की सं०	भरे गये पद	रिक्त पद

समूह "क"

1.	प्रबंध निदेशक	14	144200-218200	1	1	-
2.	उप प्रबंध निदेशक	13-A	131100-216600	1	-	1
3.	निदेशक (कार्मिक)	12	78800-209200	1	-	1
4.	संयुक्त निदेशक	11	67700-208700	5	5	-
5.	संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)	11	67700-208700	1	-	1
6.	उप निदेशक	10	56100-177500	30	27	3
7.	उप निदेशक (सूचना प्रणाली)	10	56100-177500	1	1	-
	कुल			40	34	6

समूह "ख"

1.	लेखा अधिकारी	7	44900-142400	1	1	-
2.	राजभाषा अधिकारी	7	44900-142400	1	1	-
3.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	7	44900-142400	3	3	-
4.	तकनीकी अधिकारी (कम्प्यूटर)	7	44900-142400	2	2	-
5.	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	6	35400-112400	1	1	-
6.	वरिष्ठ बागवानी अधिकारी	6	35400-112400	18	12	6
7.	प्रशासनिक अधिकारी	6	35400-112400	1	-	1
8.	वरिष्ठ लेखाकार	6	35400-112400	2	2	-
9.	बागवानी अधिकारी	6	35400-112400	17	-	17
10.	कनिष्ठ लेखाकार	6	35400-112400	2	2	-
	कुल			48	24	24

समूह "ग"

1.	निजी कार्यपालक	4	25500-81100	5	1	4
2.	कम्प्यूटर कार्यपालक	4	25500-81100	7	7	-
3.	अवर श्रेणी लिपिक	2	19900-63200	5	3	2
4.	हिन्दी टंकक	2	19900-63200	1	1	-
5.	चालक	2	19900-63200	3	1	2
6.	इलेक्ट्रीशियन	2	19900-63200	1	1	-
7.	संदेशवाहक / एमटीएस	1	18000-56900	40	35	5
8.	बडर ग्राफटर	1	18000-56900	5	5	-
	कुल			67	54	13

ब्यौरे

क्र.सं.	समूह	स्वीकृत पद	भरे गये	रिक्त
1.	समूह "क"	40	34	6
2.	समूह "ख"	48	24	24
3.	समूह "ग"	67	54	13
	कुल	155	112	43

इसके अतिरिक्त, अस्थाई हैसियत के 18 संदेशवाहक / एमटीएस नियोजित हैं।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची उनके सम्पूर्ण पते सहित

क्र. सं.	केन्द्रों के नाम एवं पता
01	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 416, देवानन्दन, विपरीत सन्यास आश्रम, इल्लिस ब्रिज, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380006 (गुजरात) टेली/फैक्स: 079-29705413, 26585413 ई-मेल: gj.nhb@gov.in
02	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नं. 14/43, दूसरा तल, प्रथम व द्वितीय स्टेज इंडस्ट्रीयल सबअर्ब, तुमकुर रोड, यशवंतपुर, बैंगलोर - 560022 टेली/फैक्स: 080-23371935, 23374149 ई-मेल: ktk.nhb@gov.in
03	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड आर-24, द्वितीय तल, निकट हिंदुस्तान टाइम्स एमपी नगर, जोन - 1, भोपाल - 462011 टेली/फैक्स: 0755-2761741 ई-मेल: mp.nhb@gov.in
04	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एन-1/7, आई.आर.सी. गांव, नयापल्ली, सी.आर.पी.एफ गेट के सामने भुवनेश्वर - 751015 टेली/फैक्स: 0674-2558134, 2559620 ई-मेल: odisha.nhb@gov.in
05	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कमरा नं0 317, चतुर्थ तल, सैन्ट्रल फैसिलिटी बिल्डिंग, एपीएमसी फ्रूट मार्केट कॉम्प्लैक्स, सेक्टर-19, तुरभे वाशी नवी मुम्बई - 400703 टेली/फैक्स: 022-27830107 ई-मेल: mh.pune.nhb@gov.in
06	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड मयुख भवन, द्वितीय तल, सॉल्ट लेक, सेक्टर-2, कोलकाता - 700091 टेली/फैक्स: 033-29861049, 23211259 ई-मेल: wb.nhb@gov.in
07	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एस.सी.ओ.-85, द्वितीय तल, सैक्टर-40 सी चंडीगढ़ - 160047 टेली/फैक्स : 0172-2625249, 2625269 ई-मेल: chd.nhb@gov.in

08	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 19-22 (गैराज), कृषि भवन, नई दिल्ली - 110011 टेली/फैक्स: 011-23097015, 23073019 ई-मेल: delhi.nhb@gov.in
09	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड चांग चूप भवन, निकट नायुमा टेलीविजन तिब्बत रोड, गंगटोक - 737101 टेली/फैक्स: 03592-208453, 220975 ई-मेल: sikkim.nhb@gov.in
10	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड छिब्र हाउस, चतुर्थ तल, दिसपुर पी.ओ., गुवाहाटी- 781005 टेली/फैक्स: 0361-2343719, 2340695 ई-मेल: assam.nhb@gov.in
11	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नं. 2, 5-9-195, विलियम निवास चिराग अली लेन, एबीआईडीएस, हैदराबाद - 500001 टेली/फैक्स: 040-23200806, 23201140 ई-मेल: ts.nhb@gov.in
12	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वितीय तल, मोदक प्रियाय, प्लॉट सं. 16 एवं 17, नियर न्यू आतिश मार्केट शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर - 302020 टेली/फैक्स: 0141-2399405, 2390818 ई-मेल: rj.nhb@gov.in
13	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा-बागवानी निदेशक 2, सप्रु मार्ग, उद्यान भवन लखनऊ - 226001 टेली/फैक्स: 0522-2623374/2202420, 4072096 ई-मेल: up.lko.nhb@gov.in
14	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड मोडयूल नं. 37, द्वितीय तल, सिडको रेडिमेड गारमेन्ट कॉम्प्लेक्स, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुडंडी, चेन्नई - 600032 टेली/फैक्स: 044-22501151/22500965 ई-मेल: tn.nhb@gov.in
15	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 401, चतुर्थ तल, लोटस प्लाजा, निकट लक्ष्मी भवन, ओल्ड पोस्ट ऑफिस रोड, गोकुलपेठ, नागपुर - 440010 टेली/फैक्स: 0712-2525030, 2523110 ई-मेल: mh.ngp.nhb@gov.in

16	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कमरा नं. 501, 502, 5वां तल, बोरिंग रोड, वर्मा सेंटर, पटना – 800001 टेली / फ़ैक्स: 0612-2541218, 2541128 ई-मेल: bihar.nhb@gov.in
17	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एचपीएमसी, द्वितीय तल, निगम विहार शिमला – 171002 टेलीफोन / फ़ैक्स: 0177-2622908 / 2623801 ई-मेल: hp.nhb@gov.in
18	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड हार्टिकल्चर कॉम्प्लेक्स राजबाग श्रीनगर – 190008 टेली / फ़ैक्स: 0191-2474349 (पीपी) ई-मेल: jk.nhb@gov.in
19	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नं. यूआर-10, उप्पलम रोड, स्टेच्यू, तिरुवनंतपुरम – 695001 टेली / फ़ैक्स: 0471-2470505, 2470506 ई-मेल: kerala.nhb@gov.in
20	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड म्यूनिसिपल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स विजयवाड़ा – 520010 टेली / फ़ैक्स: 0866-2473351 ई-मेल: ap.nhb@gov.in
21	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड हॉल नं. 307, ए-2, तृतीय तल, साउथ ब्लॉक, बाहु प्लाजा, रेल हेड कॉम्प्लेक्स जम्मू – 180004 टेली / फ़ैक्स: 0191-2474349, 2474112 ई-मेल: jk.nhb@gov.in
22	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एस.सी. पंवार मार्केट यार्ड, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स नं. 1, पेठ रोड, पंचवटी, नाशिक – 422003 टेली / फ़ैक्स: 0253-2534558, 2533715 ई-मेल: mh.nsk.nhb@gov.in
23	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एमसीआईआर बिल्डिंग, 132 / बी, भामभुरदा भोंसले नगर, पुणे – 411007 टेली / फ़ैक्स: 020-25528582 / 83 ई-मेल: mh.pune.nhb@gov.in

24	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा — उप निदेशक (बागवानी), उ. प्र. सरकार, कम्पनी बाग, कचहरी, वाराणसी — 221001 मोबाइल: 9598638136, 8004560584 ई-मेल: up.var.nhb@gov.in
25	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड लक्ष्मी निवास, कृषि भवन, कांके रोड, रांची—834008 टेली/फैक्स: 0651—2230132, 2233832 ई-मेल: jh.nhb@gov.in
26	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा — बागवानी निदेशालय, कमरा नं. 13, द्वितीय तल, खेती भवन, रणजीत एवेन्यू, अमृतसर— 143001 टेली/फैक्स: 0183—2500236
27	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नवीन सब्जी मण्डी स्थल, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, निरंजनपुर देहरादून — 248171 टेली/फैक्स: 0135—2761922, 2762767, 2725517 ई-मेल: uk.nhb@gov.in
28	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड म.नं. 42, प्रथम तल, जल विहार कॉलोनी, निकट रॉटरी क्लब ऑफ इण्डिया, तेलीबंदा, रायपुर — 492001 (छत्तीसगढ़) टेली/फैक्स: 0771—2423992 ई-मेल: cg.nhb@gov.in
29	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा — क्षेत्रीय ग्रामीण विकास संस्थान दिल्ली — सहारनपुर रोड, बड़ौत—250611 टेली/फैक्स: 01234—251157 ई-मेल: up.brt.nhb@gov.in

वर्ष 2019–20 के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के वार्षिक लेखे



भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), चण्डीगढ़
Indian Audit & Accounts Department
Office of The Principal Director of Audit (Central),
Chandigarh



सं/No: पी.डी.ए.(सी)/के. व्यय/SAR CUJ/2019-20/2020-21/ 3386

दि०/Dated: 26/3/2021

सेवा मे,

सचिव,
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,
भारत सरकार, कृषि भवन,
नई दिल्ली - 110001

विषय: National Horticulture Board, Gurugram के वर्ष 2019-20 के लेखाओं पर पृथक
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

महोदय,

कृपया National Horticulture Board, Gurugram के वर्ष 2019-20 के लेखाओं पर
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (Separate Audit Report) संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने
हेतु सलंग पायें। संसद में प्रस्तुत होने तक प्रतिवेदन को गोपनीय रखा जाए।

संसद में प्रस्तुत करने के उपरांत प्रतिवेदन की पांच प्रतियाँ इस कार्यालय को भी भेज दी
जाएँ।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,

संलग्न: उपरोक्त अनुसार

हस्ता/-

प्रधान निदेशक

✓ उपरोक्त की प्रतिलिपी वर्ष 2019-20 की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति सहित आवश्यक
कार्यवाही हेतु Managing Director, National Horticulture Board, Gurugram, Plot No. 85,
Institutional Area, Sector 18, Gurugram, Haryana 122015 को प्रेषित की जाती है।

भवदीया,

उप निदेशक (केन्द्रीय व्यय)

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के तुलन-पत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अंतर्गत की है। 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि के लिए लेखापरीक्षा कार्य सौंपा गया है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की 25 प्रचालन लेखांकन शाखा इकाईयाँ हैं जिसमें से 10 शाखा इकाईयों का वर्ष 2019-20 के दौरान लेखापरीक्षा किया गया था। ये वित्तीय विवरणियाँ राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के प्रबन्धन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणियों पर हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर मत प्रकट करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उत्तम लेखांकन नीतियों, लेखांकन मानकों तथा प्रकटीकरण मानकों इत्यादि से अनुरूपता, वर्गीकरण से सम्बन्धित केवल लेखांकन प्रतिपादन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) की टिप्पणियाँ समाविष्ट हैं। कानून, नियम एवं विनियम (औचित्य एवं नियमितता) तथा दक्षता-सह-निष्पादन पहलूओं इत्यादि, यदि कोई हों, कि अनुपालना से सम्बन्धित वित्तीय सम्पादनों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पृथकतः निरीक्षण रिपोर्टों/सी.ए.जी. की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से सूचित किए जाते हैं।
3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम, ये उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय विवरणियाँ भौतिक अर्थार्थ विवरणों से मुक्त हैं, लेखापरीक्षा आयोजन तथा सम्पन्न करें। एक लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणियों में प्रकटीकरणों तथा राशियों को समर्थन देने वाले प्रमाण, नमूना आधार पर परीक्षण सम्मिलित करती है। एक लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतिकरण के मूल्यांकन के अतिरिक्त प्रबन्धन द्वारा उपयोग किए गए लेखापरीक्षा सिद्धान्तों का निर्धारण तथा प्रबन्धन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण आकलनों को भी सम्मिलित करती है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत को उचित आधार प्रदान करती है।
4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि:—
 - i) हमने सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण, जो हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे, प्राप्त कर लिए हैं;
 - ii) इस रिपोर्ट से संव्यवहारित तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किए गए हैं।
 - iii) हमारी राय में, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम द्वारा लेखाओं की समुचित बहियाँ तथा अन्य संबंधित अभिलेख अनुरक्षित किए गए हैं जैसा कि ये, ऐसी बहियों की हमारी जांच से प्रकट होते हैं।
 - iv) हम आगे सूचित करते हैं कि:

क. सामान्य

केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए लेखों के एकसमान प्रारूप की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों से संबंधित अनुसूची 24 के खंड 12 और सेवानिवृत्ति लाभों पर आईसीएआई द्वारा जारी एएस 15 के अनुसार, सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान जैसे उपदान और छुट्टी नकदीकरण बीमांकिक आधार पर किए जाने हैं। हालांकि उपदान और छुट्टी नकदीकरण के लिए लेखों में प्रावधान किए गए हैं, लेकिन इन्हें बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर नहीं किया गया है।

ख. सहायता-अनुदान

कुल अनुदान रु.197.72 करोड़ (जिसमें पिछले वर्ष का अव्ययित शेष रु.159.62 करोड़, वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त अनुदान रु.29.00 करोड़ और बोर्ड की विविध प्राप्तियां रु.9.10 करोड़ शामिल हैं), बोर्ड ने राशि रु. 135.25 करोड़ का उपयोग किया और 31-03-2020 को अव्ययित शेष रु.51.09 करोड़ को छोड़कर रु. 11.38 करोड़ सरकार को वापिस किए गए हैं।

ग. प्रबंधन पत्र

वे कमियाँ जिन्हें लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, इसके बारे में उपचारात्मक/सुधार कार्रवाई के लिए अलग-से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से बोर्ड के प्रबंधन की जानकारी में लाया गया है।

v) पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में दी गई हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट से संव्यवहारित तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा बही खातों के अनुसार हैं।

vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखांकन नीतियां और लेखों पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरणियां, उपर्युक्त महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंधों में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में सामान्यतः स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों की पुष्टि करते हुए सत्य और सही मत देते हैं:

क) जहां तक 31 मार्च, 2020 को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम के कार्यों की स्थिति का तुलन-पत्र से संबंध है; और

ख) जहां तक यह उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के घाटे के आय एवं व्यय लेखा से संबंधित है।

कृते और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से
ह0/—

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), चण्डीगढ़

स्थान : चण्डीगढ़

दिनांक: 26-03-2021

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए अनुबंध

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम की वर्ष 2019–20 की आंतरिक लेखापरीक्षा सनदी लेखाकारों की फर्म द्वारा किया गया था। आंतरिक लेखापरीक्षक द्वारा उठाये गए पर्यवेक्षणों पर अनुपालन की प्रतीक्षा है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए आंतरिक नियंत्रण को अपर्याप्त माना गया है:

- (i) बोर्ड ने अपना लेखांकन मैनुअल तैयार नहीं किया है।
- (ii) बोर्ड के नियमों एवं विनियमों के खंड 10(i) के अनुसार, प्रबंध समिति को प्रत्येक तीन माह में और अन्यथा अध्यक्ष अथवा प्रबंध समिति द्वारा यथा निर्धारित किए जाने वाले स्थान पर कम से कम एक बार बैठक अवश्य करनी चाहिए। वर्ष 2019–20 के दौरान, प्रबंध समिति की केवल दो बैठकें (09.07.2019 और 26.02.2020) आयोजित की गई थीं जोकि उपर्युक्त नियमों का उल्लंघन है।
- (iii) 2 मामलों जिनमें रु. 15.38 लाख की सब्सिडी शामिल है, के संबंध में अहमदाबाद केन्द्र द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त किए जाने लंबित थे। उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किए जाने के इस तरह के मामले पुणे केन्द्र (8939) में भी देखे गए थे।
- (iv) कई बयाना राशियाँ लंबे समय से लंबित थीं।
- (v) वर्ष के अंत में रोकड़ का प्रत्यक्ष सत्यापन अहमदाबाद केन्द्र की रोकड़ बही में सत्यापन अधिकारी द्वारा दर्ज नहीं किया गया था।
- (vi) भोपाल केन्द्र द्वारा व्यय नियंत्रण रजिस्टर, अग्रिम रजिस्टर और टी.ए. बिल रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किए गए थे।

3. अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन

वर्ष 2019–20 के दौरान अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था। तथापि, पुस्तकालय की पुस्तकों का 3.09.2015 के बाद प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है।

4. वस्तुसूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन

वर्ष 2019–20 के दौरान वस्तुसूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था।

5. सांविधिक देयताएं के भुगतान में नियमितता

बोर्ड सांविधिक देयताएँ नियमित रूप से जमा कर रहा था, सिवाय इसके कि रा.बा.बो. पुणे केन्द्र ने रोकड़ बही के अनुसार रु. 20,364/- टीडीएस संग्रहित किया था और केन्द्र द्वारा उपलब्ध करवाये गए विवरण के अनुसार कटौती किए गए रु. 20,759/- के टीडीएस के सापेक्ष आयकर विवरणी के अनुसार रु. 17,997/- जमा करवाए थे।

ह0/-
उप निदेशक

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
गुरुग्राम
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
तुलन पत्र

(राशि रुपये में)

विवरण	अनुसूची सं.	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
समग्र/पूँजी निधि तथा देयताएँ			
समग्र/पूँजी निधि	1	2,001,123,967	3,036,696,159
आरक्षित और अधिशेष	2	-	-
अभिचिह्नित/संचयी निधि	3	10,644,752	29,381,755
सुरक्षित ऋण तथा उधारियां	4	-	-
असुरक्षित ऋण तथा उधारियां	5	-	-
आस्थागित साख देयताएं	6	-	-
चालू देयताएं तथा प्रावधान	7	433,528,370	373,733,796
योग		2,445,297,089	3,439,811,710
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां	8	21,108,522	21,587,207
निवेश-अभिचिह्नित/ संचयी निधि से	9	-	-
निवेश-अन्य	10	-	-
चालू परिसंपत्तियां, ऋण तथा पेशगी	11	2,424,188,567	3,418,224,503
विविध खर्च (बट्टे खाते अथवा समायोजित नहीं किया)		-	-
योग		2,445,297,089	3,439,811,710
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	24		
लेखों पर आकस्मिक देयताएं तथा टिप्पणियां	25		

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 24.08.2020

हस्ता./—
प्रबंध निदेशक

हस्ता./—
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/एचओओ

हस्ता./—
लेखा अधिकारी

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
गुरुग्राम
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
आय तथा व्यय लेखा

(राशि रुपयों में)

विवरण	अनुसूची सं.	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
विविध सेवाओं से आय	12	9,355,761	5,254,090
अनुदान/सहायिकी	13	275,000,000	2,600,000,000
शुल्क/अभिदान	14	-	-
निवेशों से आय	15	-	-
(अभिचिह्नित/संचयी निधियों से अंतरित निधियों से निवेश पर आय)			
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	375	4,675
अर्जित ब्याज	17	155,348,519	192,891,682
अन्य आय	18	9,364,973	14,595,834
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) तथा डब्ल्यूआईपी	19	-	-
योग (क)		449,069,628	2,812,746,280
व्यय			
स्थापना व्यय	20	99,205,411	100,902,572
अन्य प्रशासनिक खर्च इत्यादि	21	23,410,765	21,540,516
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय	22	1,215,754,212	2,695,867,719
ब्याज	23	-	2,807
आवेदन निधि और योजना ब्राउशर हेतु व्यय	12A	28,413,368	26,742,339
मूल्यहास (वर्ष के अंत में शुद्ध जोड़-अनुसूची 8 के अनुसार)	8	3,808,288	3,367,441
योग (ख)		1,370,592,044	2,848,423,394
व्यय से आय अधिक होने पर शेष (क-ख)			
- आवेदन तथा प्रक्रिया शुल्क की लागत के अलावा निधियां हेतु		(902,464,808)	(14,188,865)
- आवेदन एवं प्रक्रिया शुल्क की लागत		(19,057,607)	(21,488,249)
संदिग्ध ऋणों के प्रावधान हेतु अंतरित (पिछला भाग)		(11,874,630)	(20,546,688)
आवेदन फार्म एवं योजना ब्राउशर राशि से इतर के लिए समग्र/पूँजीगत निधि में जमा किया गया शेष अधिशेष/(घाटा)		(890,590,178)	6,357,823
आवेदन एवं प्रक्रिया शुल्क राशि के लिए समग्र/पूँजीगत निधि में जमा किया गया शेष अधिशेष/(घाटा)		(19,057,607)	(21,488,249)
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	24		
लेखों पर आकस्मिक देयताएं तथा टिप्पणियां	25		

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 24.08.2020

हस्ता./—
प्रबंध निदेशक

हस्ता./—
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/एचओओ

हस्ता./—
लेखा अधिकारी

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान (राशि रुपयों में)

प्राप्तियां	2019-20	2018-19	भुगतान	उत्तर-पूर्वी राज्यों के अलावा	उत्तर-पूर्वी राज्यों	2019-20	2018-19
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष				वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
I. प्रारंभिक शेष			I. व्यय (मिशन प्रबंधन व प्रशासनिक व्यय के बजट से)				
क) हाथ में रोकड़	66,370	57,686	क) स्थापना व्यय मुख्यालय			83,859,880	101,519,725
ख) बैंक शेष			ख) प्रशासनिक व्यय मुख्यालय			23,840,085	21,547,135
i) चालू खाते में	-	-	II. विभिन्न योजनाओं की निधियों के समक्ष किए गये भुगतान	रा.बा.बो. योजनाएं			
ii) जमा खाते में	1,001,900,000	990,000,000		उत्तर-पूर्वी राज्यों के अलावा	उत्तर-पूर्वी राज्यों		
iii) बचत खाते में	1,784,145,757	2,133,812,447					
iv) जमा खाते में (प्रक्रिया शुल्क / आवेदन फार्म एवं योजना ब्राउशर खाते की लागत)	349,200,000	349,000,000					
II. प्राप्त अनुदान			i) उत्पादन एवं फसल कटाई उपरांत प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास		508,270,053	7,656,000	515,926,053
क) भारत सरकार से			--सहायिकी				1,550,052,141
i) रा.बा.बो. की योजनाओं के लिए			- विधिक एवं व्यावसायिक खर्च	355,500	355,500	355,500	490,223
- उत्तरी-पूर्वी राज्यों के अलावा							
- रा.बा.बो. के बजट से	275,000,000	2,600,000,000					
- उत्तरी-पूर्वी राज्यों के लिए	-	-	ii) बागवानी उत्पाद के लिए शीतागारों तथा संग्रहागारों के निर्माण / आधुनिकीकरण / विस्तारण के लिए पूंजी निवेश सहायिकी		543,913,800	34,000,000	927,156,000
ii) एनएचएम की योजनाओं के लिए:			--रा.बा.बो. योजना				
- टीएसजी घटक के लिए	15,000,000	20,000,000					
iii) एनबीएम की योजनाओं के लिए	-	3,000,000	iii) बागवानी के संवर्धन के लिए प्रौद्योगिकी विकास एवं हस्तांतरण	16,649,101	4,563,108	21,212,209	28,766,440
			iv) बागवानी फसलों के लिए बाजार सूचना सेवा	-		-	1,958,186
iv) एमएफपीआई की योजनाओं के लिए			v) बागवानी संवर्धन सेवाएं	3,459,459	-	3,459,459	1,008,230

प्राप्तियाँ	2019-20	2018-19	भुगतान			2019-20	2018-19
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष				वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
	-	-	- vi) मिशन प्रबंधन व प्रशासनिक व्यय				
			क. स्थापना व्यय-केन्द्रों	61,386,805		61,386,805	63,635,259
			ख. प्रशासनिक व्यय-केन्द्रों	28,432,925		28,432,925	27,961,924
v) राष्ट्रीय केसर मिशन योजनाओं के लिए	-	-	- कुल	1,162,467,642	46,219,108		
			vii) चीन में चीन गार्डन के लिए व्यय				
ख) राज्य सरकार से			- viii) राष्ट्रीय बन्धू मिशन (समर्थन सेवाएं)			6,855,715	94,263,602
			- ix) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (टीएसजी)			1,450,183	1,355,423
III. निम्नवत निवेशों पर आय						19,745,834	21,940,922
क) अभिविहित/संचयी निधि	-	-	- x) राष्ट्रीय केसर मिशन			3,202,866	22,121,239
ख) स्वामित्व निधिया (अन्य निवेश)			xi) एमओएफपीआई			14	7
IV. प्राप्त ब्याज			III. किए गये निवेश एवं जमा				
क) बैंक जमा और बचत बैंक खातों के लिए			क) अभिविहित/बंदोबस्ती निधियों से				
-रा.बा.बो. निधियां	126,096,385	164,202,704	ख) स्वामित्व निधियों से (अन्य निवेश)				
-आवेदन निधियां	27,366,328	26,546,219					
-एनएचएम निधियां	271,385	460,456					
-एनबीएम निधियां	59,471	44,923	IV. अचल परिसंपत्तियों एवं प्रगतिशील कार्य पर पूंजीगत व्यय				
-एचएमएनएच निधियां	-	-					

प्राप्तियाँ	2019-20	2018-19	भुगतान	2019-20	2018-19
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
-एमओएफपीआई निधियाँ	47	44	क) अचल परिसंपत्तियों की खरीद/संवर्धन		
-राष्ट्रीय केसर मिशन निधियाँ	429,794	1,937,406	i) मिशन प्रबंधन व प्रशासनिक व्यय-मुख्यालय के बजट से	2,855,292	3,002,732
			ii) मिशन प्रबंधन व प्रशासनिक व्यय-केन्द्र के बजट से	802,805	417,100
ख) ऋण, अग्रिम आदि			ख) प्रगतिधीन कार्य पर पूंजीगत व्यय		
V. अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)			V. अधिशेष धन/ऋण की वापसी		
आईओबी से किराया	433,600	253,162	क) भारत सरकार को		
आयकर की वापसी	-	-	-एचएमएनईएच		-
आवेदन प्रपत्र और योजना ब्राउशर की लागत	9,355,761	5,254,090			-
विविध प्राप्तियाँ	9,040,147	14,238,946	- कृषि एवं सहकारिता विभाग आंतरिक प्रोदभूत से	104,329,649	-
जमा की गई जमानत राशि-राबाबो	250,000	260,000	- सहायता अनुदान से	505,923	326,363,178
जमा की गई जमानत राशि-केसर पार्क	-	-			
प्रतिभूति जमा	218,560	-	- ख) राज्य सरकार को	8,956,000	-
वसूल की गई कोल्ड स्टोरेज संवीक्षा शुल्क- आवेदन शुल्क	-	-	- ग) निधियों के अन्य प्रदाताओं को		-
			VI. बैंक द्वारा स्रोत पर काटा गया टीडीएस	9,325,443	12,373,735
VI. उधार ली गई राशियाँ	-	-	VII. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट)		
			स्टाफ को अग्रिम	452,337	332,105
VII. अन्य प्राप्तियाँ (ब्यौरे दे)			वापिस की गई जमानत राशि- राबाबो	-	570,000
क) स्टाफ अग्रिम की वसूली (ब्याज सहित)			वापिस की गई जमानत राशि - केसर पार्क	710,000	380,000

प्राप्तियाँ	2019-20	2018-19	भुगतान				2019-20	2018-19
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष					वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
ख) रा.बा.बो. योजनाओं के तहत ऋण की वसूली	11,874,630	20,546,688	पूर्वदत्त व्यय				1,177,188	310,238
ग) रा.बा.बो. योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों जिन्हें पिछले वर्ष में निधियाँ जारी की गई थी से वापस प्राप्त अव्ययित निधियाँ			नॉवोड बोर्ड की ओर से व्यय				1,688,950	1,730,645
			सस्मिडी वसूलीयोग्य				-	875,000
			प्राय्य आईओबी				14,687	6,857
			VIII. आवेदन प्रपत्र और योजना ब्राउशर की लागत से भुगतान					
			- सविदागत डाटा एंट्री अपरेटर्स को भुगतान				12,064,997	10,750,001
- उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए			- कोल्ड स्टोरेज संवीक्षा शुल्क				1,867,985	1,485,900
- उत्तर-पूर्वी राज्यों के अलावा	34,245,136	40,909,290	- विशेषज्ञों का यात्रा व्यय एवं परामर्शी शुल्क				336,929	878,483
घ) अन्य से वसूली	1,262,338	-	- रा.बा.बो. प्रकाशनों हेतु भुगतान				104,270	200,410
			- वेबसाइट की एएमसी व सॉफ्टवेयर				2,575,486	2,341,350
VIII. राबाबो-एफडीआर पर बैंक द्वारा काटे गए टीडीएस की वापिसी	-	-	- बैंक प्रभार				176,117	54,266
IX. एफडीआर (आवेदन शुल्क) पर बैंक द्वारा काटे गए टीडीएस की वापिसी	-	-	- वेतन एवं भत्ते (30 प्रतिशत)				10,813,964	10,599,977
			- पट्टे की दुकानों के लिए भुगतान				473,620	431,952
			- सोलर पैनल- छत टॉप- मुख्यालय				-	422,512
X. नॉवोड बोर्ड	2,430,681	2,090,963	- मरम्मत एवं रखरखाव - पट्टे की दुकान					-
			IX. अंत शेष					
			क) हाथ में रोकड़					
			मुख्यालय पर				4,643	
			राबाबो केन्द्रों पर				85,652	66,370
			ख) बैंक शेष					

प्राप्तियाँ	2019-20	2018-19	भुगतान				
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष					
			i) चालू खातों में				
			ii) जमा खातों में (राबाबो की आंतरिक प्रोदभुत राशि)			1,065,298,777	1,001,900,000
			iii) जमा खातों में (प्रक्रिया शुल्क राशि / आवेदन प्रपत्र एवं योजना ब्राउशर की लागत)			358,200,000	349,200,000
			iv) बचत खातों में				
			-रा.बा.बो. केन्द्रों पर-अग्रदाय राशि		11,503,989		
			-रा.बा.बो. केन्द्रों पर-सहायिकी राशि		146,707		
			-रा.बा.बो. केन्द्रों पर-आवेदन प्रपत्र एवं योजना ब्राउशर की लागत		40,134		
			-मुख्यालय पर				
			-रा.बा.बो. योजनाओं एवं आंतरिक प्रोदभूत हेतु		624,108,464		
			-आवेदन प्रपत्र एवं योजना ब्राउशर की लागत के लिए		71,813,424		
			- एनएचएम योजना के लिए		4,255,090		
			- एनबीएम योजना के लिए		429,145		
			-एमओएफपीआई फंड		1,385		
			- राष्ट्रीय केसर मिशन के लिए		5,601,212		
			- राबाबो दिल्ली केन्द्र पर एनएचएम योजना के लिए		191,130		
			- राबाबो दिल्ली केन्द्र पर एनबीएम योजना के लिए		93,670	718,184,349	1,784,145,757
Total	3,648,646,391	6,372,615,024	योग			3,648,646,391	6,372,615,024

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 24.08.2020

हस्ता./-
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
संयुक्त निदेशक (प्रशासन) / एचओओ

हस्ता./-
लेखा अधिकारी

प्राप्ति तथा भुगतान लेखा वर्ष 2019-20 के लिए स्थापना व्यय

अनुसूची-1

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	2019-20	2018-19
1	ईपीएफ बोर्ड की भागीदारी	12,888,229	12,734,687
2	छुट्टी नकदीकरण	3,663,490	9,455,369
3	छुट्टी यात्रा रियायत दावे	670,299	814,865
4	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	5,319,334	7,021,369
5	वेतन एवं भत्ते	55,187,513	55,883,409
6	कर्मचारी कल्याण	535,672	350,802
7	बोनस व अन्य भत्ता	36,000	51,000
8	बच्चों का शिक्षा भत्ता	1,089,938	575,132
9	वर्ष के दौरान प्रदत्त उपदान	4,469,405	14,633,092
	कुल	83,859,880	101,519,725

वर्ष 2019-20 के लिए प्रशासनिक व्यय

अनुसूची-2

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	2019-20	2018-19
1	विद्युत और जल व्यय	1,743,608	1,465,550
2	कम व अधिक	0	(7)
3	जनरेटर चालन तथा अनुरक्षण	930,125	692,551
4	बीमा	6,563	5,837
5	मरम्मत एवं रखरखाव	966,427	1,107,508
6	सुरक्षा प्रभार तथा गृह-व्यवस्था व्यय	6,519,398	6,474,010
7	वाहन का चालन तथा अनुरक्षण	46,208	210,613
8	डाक, दूरभाष और संचार प्रभार	564,337	581,824
9	मुद्रण तथा स्टेशनरी	1,962,454	1,357,012
10	वाहन व यात्रा	5,379,081	3,782,906
11	समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं	53,087	90,711
12	कार्यालय व्यय	361,294	363,399
13	बैठक/सत्कार पर व्यय	236,215	340,143
14	लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक / शुल्क	949,910	1,086,339
15	विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	2,029,019	1,900,397
16	विज्ञापन तथा प्रचार	335,005	66,194
17	फोटोकापी प्रभार	1,465,495	1,546,370
18	संपत्ति कर	196,020	196,020
19	विविध व्यय	-	20,200
20	राजभाषा संवर्धन व्यय	95,839	259,558
	कुल	23,840,085	21,547,135

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
गुरुग्राम
31 मार्च, 2020 को
तुलन पत्र के अंश दर्शाती अनुसूचियां

अनुसूची-1

(राशि रुपये में)

समग्र/पूँजी निधि	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
वर्ष के प्रारंभ में शेष				
क. प्रक्रियाएं शुल्क और आवेदन प्रपत्र लेखा के अलावा निधियों हेतु	2,607,469,539		2,913,429,840	
जोड़े/(घटाएँ) आय एवं व्यय लेखों से अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष	(890,590,178)		6,357,823	
जोड़े : पुराने चैकों की वापिसी/(निरस्त)	-		-	
जोड़े : पूर्व वर्षों का वापिस प्राप्त हुआ अव्ययित/अतिशय अनुदान (केन्द्रों में)	-		648,565	
जोड़े : पूर्व वर्षों का वापिस प्राप्त हुआ अव्ययित/अतिशय अनुदान (मुख्यालय में)	34,245,136		39,960,725	
घटाएँ : भारत सरकार को वापिस की गई निधि	104,329,649		326,363,178	
घटाएँ : आयकर/टीडीएस वापिसी	-		-	
घटाएँ : अन्य वसूली योग्य	-		-	
घटाएँ : डीएसी एंड एफडब्लू को देय ब्याज	55,839,894		-	
घटाएँ : प्रक्रिया एवं आवेदन शुल्क से अर्जित ब्याज	26,564,237	1,564,390,716	26,564,237	2,607,469,539
ख. प्रक्रिया एवं आवेदन शुल्क लेखा हेतु	429,226,621		424,150,633	
जोड़ें : आयकर/टीडीएस वापिसी	-		-	
जोड़ें : अन्य वसूली योग्य	-		-	
जोड़ें : प्रक्रिया एवं आवेदन शुल्क से अर्जित ब्याज	26,564,237		26,564,237	
जोड़े/(घटाएँ) आय एवं व्यय लेखों से अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष	(19,057,607)	436,733,251	(21,488,249)	429,226,621
वर्ष के अंत में शेष		2,001,123,967		3,036,696,159

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 24.08.2020

हस्ता./—
प्रबंध निदेशक

हस्ता./—
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/एचओओ

हस्ता./—
लेखा अधिकारी

अनुसूची-2

(राशि रुपयों में)

आरक्षित तथा अधिशेष	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. आरक्षित पूंजी :				
पिछले लेखा के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जोड़ी गई				
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती				
	-		-	
2. पूनर्मूल्यांकन आरक्षित :				
पिछले लेखा के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जोड़ी गई				
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती				
	-		-	
3. विशेष आरक्षित :				
पिछले लेखा के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जोड़ी गई				
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती				
	-		-	
4. सामान्य आरक्षित :				
पिछले लेखा के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जोड़ी गई				
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती				
	-		-	
योग	-		-	

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 24.08.2020

हस्ता./—
प्रबंध निदेशक

हस्ता./—
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/एचओओ

हस्ता./—
लेखा अधिकारी

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
गुरुग्राम
31 मार्च, 2020 को
तुलन पत्र के अंश दर्शाती अनुसूचियां

अनुसूची-3

(राशि रुपयों में)

अभिचिह्नित/संचयी निधि निधियां	निधि-वार ब्यौरा				योग	
	एनएचएम योजना	एनबीएम योजना	राष्ट्रीय केसर मिशन	एमओएफ पीआई योजना	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. निधियों का प्रारंभिक शेष	9,381,669	1,958,450	17,330,284	1,352	28,671,755	48,346,517
निधियों का प्रारंभिक शेष- ईएमडी			710,000		710,000	1,090,000
ख. निधियों में वृद्धि					-	-
1. अनुदान/चंदे	15,000,000	-	-	-	15,000,000	23,000,000
ii. निधियों से आय (बचत खाते पर ब्याज)	306,740	62,706	464,317	55	833,817	2,442,829
iii. संगठनों से वापिस प्राप्त अव्ययित अनुदान	-	-	-	-	-	11,800,000
iv. निविदा शुल्क	-	-	-	-	-	-
v. अग्रिम धन जमा	-	-	-	-	-	-
योग (क+ख)	24,688,408	2,021,156	18,504,600	1,408	45,215,572	86,679,346
ग. निधियों के उद्देश्य के निमित्त उपयोग/व्यय						
i. पूंजीगत व्यय :						
- अचल परिसंपत्तियां	-	-	2,936,700	-	2,936,700	33,621,239
- परियोजना के लिए दिया गया अनुदान	-	-	-	-	-	-
	-	-	2,936,700	-	2,936,700	33,621,239
ii. राजस्व व्यय :						
- वेतन, मजदूरी तथा भत्ते आदि	-	-	-	-	-	-
- बैंक शुल्क	-	-	-	14	14	7
- अन्य प्रशासनिक खर्च- टीएसजी	19,745,834	1,450,183	266,166	-	21,462,183	23,296,345
- वापिस की गई ईएमडी	-	-	710,000	-	710,000	380,000
- एमएफपीआई/एचएमएनईएच/ डीएसी को वापिसी	461,000	44,923	8,956,000	-	9,461,923	-
योग (ग)	20,206,834	1,495,106	9,932,166	14	31,634,120	23,676,352
कुल योग	20,206,834	1,495,106	12,868,866	14	34,570,820	57,297,591
वर्ष के अंत में शुद्ध शेष (क+ख+ग)	4,481,574	526,050	5,635,734	1,394	10,644,752	29,381,755

नोट: उपरोक्त निवल शेष में अर्जित ब्याज शामिल है।

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 24.08.2020

हस्ता./-
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/एचओओ

हस्ता./-
लेखा अधिकारी

अनुसूची-4

(राशि रुपयों में)

प्रतिभूत ऋण तथा उधारियां	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. केन्द्र सरकार		-		-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		-		-
3. वित्तीय संस्थाएं				
क. सावधि ऋण		-		-
ख. प्रोदभूत ब्याज तथा देय		-		-
4. बैंक :				
क. सावधि ऋण				
- प्रोदभूत ब्याज तथा देय		-		-
ख. अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)				
- प्रोदभूत ब्याज तथा देय		-		-
5. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसिया		-		--
6. डिवेंचर तथा बांडस		-		--
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		--		--
योग		-		-

अनुसूची-5

(राशि रुपयों में)

अप्रतिभूत ऋण तथा उधारियां	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. केन्द्र सरकार		-		-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		-		-
3. वित्तीय संस्थाएं				
क. सावधि ऋण		-		-
ख. प्रोदभूत ब्याज तथा देय		-		-
4. बैंक :				
क. सावधि ऋण				
- प्रोदभूत ब्याज तथा देय		-		-
ख. अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)				
- प्रोदभूत ब्याज तथा देय		-		-
5. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसिया		-		--
6. डिवेंचर तथा बांडस		-		--
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		--		--
योग		-		-

टिप्पणी : एक वर्ष के भीतर देय राशि

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 24.08.2020

हस्ता./—
प्रबंध निदेशक

हस्ता./—
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/एचओओ

हस्ता./—
लेखा अधिकारी

अनुसूची-6

(राशि रुपये में)

आस्थगित क्रेडिट देयताएं	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. पूंजीगत उपस्कर तथा अन्य परिसंपत्तियों के रहन द्वारा प्राप्त स्वीकृतियां		-		-
ख. अन्य		-		-
योग	-		-	

टिप्पणी : एक वर्ष के भीतर देय राशि

अनुसूची-7

(राशि रुपये में)

वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. वर्तमान देयताएं				
1. स्वीकृतियां		-		-
2. विविध लेनदार :				
क. सामान हेतु	-		-	
ख. अन्य	-	-	-	
3. अग्रिम प्राप्ति				
4. निम्न पर प्रोदभूत ब्याज किंतु देय नहीं				
क. प्रतिभूत ऋण/उधारियां	-		-	
ख. अप्रतिभूत ऋण/उधारियां	-		-	
	-		-	
5. सांविधिक देयताएं :				
क. अतिदेय	-		-	
ख. अन्य	-		-	
	-		-	
6. अन्य वर्तमान देयताएं		60,184,854		3,197,399
योग (क)		60,184,854		3,197,399
ख. प्रावधान				
1. कराधान हेतु			-	-
2. उपदान	101,132,758		95,787,496	
3. अधिवर्षिता/पेंशन			-	
4. संचित छुट्टी/नकदीकरण	77,761,176		68,424,690	
5. व्यापार वारंटी/दावे			-	
6. अन्य-संदिग्ध ऋण	194,449,582	373,343,516	206,324,212	370,536,397
योग (ख)		373,343,516		370,536,397
योग (क+ख)		433,528,370		373,733,796

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 24.08.2020

हस्ता./—
प्रबंध निदेशक

हस्ता./—
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/एचओओ

हस्ता./—
लेखा अधिकारी

अनुसूची-8 31 मार्च, 2020 को तुलन पत्र के अंश दर्शाती अनुसूचियां (राशि रुपये में)

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम

विवरण	सकल ब्लाक				मूल्यहास				निबल ब्लाक		
	मूल्यहास की दर	वर्ष के आरंभ में लागत	वर्ष के दौरान वर्धन		कटौतियां/ समायोजन	वर्ष के अंत में लागत	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान वर्ष के दौरेान कटौतियां/ समायोजन	वर्ष के अंत में कुल	वर्तमान वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत में
			30 सितम्बर से पूर्व	30 सितम्बर के बाद							
क. अचल परिसंपत्तियां											
(I) अनुदानों से भूमि :											
क. पूर्ण स्वामित्व		3,139,088	-	-	-	3,139,088	-	-	-	3,139,088	3,139,088
ख. पट्टा धारी		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भवन :		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क. फ्रीहोल्ड भूमि पर	10%	22,871,006	-	-	-	22,871,006	18,980,502	389,050	-	19,369,552	3,501,454
ख. पट्टे वाली भूमि पर		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. स्वामित्व प्लॉट / परिक्षेत्र		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ. भूमि के सुपरढांचे	10%	162,742	-	-	-	162,742	134,094	2,865	-	136,959	25,783
संयंत्र मशीनरी एवं उपकरण		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वाहन	15%	822,181	-	-	-	822,181	628,237	29,091	-	657,328	164,853
फर्नीचर तथा जुड़नार	10%	17,816,826	255,755	271,978	6,463	18,338,096	12,327,019	587,930	4,199	12,910,750	5,427,346
कार्यालय उपस्कर	15%	20,638,790	1,390,754	165,144	17,010	22,177,678	16,833,024	791,552	14,903	17,609,673	4,568,005
कम्प्यूटर उपस्कर	40%	18,355,506	377,770	809,826	72,700	19,470,402	16,112,954	1,209,827	72,030	17,250,751	2,219,651
पुस्तकालय पुस्तकें	60%	2,209,343	41,801	21,615	-	2,272,759	2,094,967	100,190	(4)	2,195,161	77,599
ट्यूबवैल तथा जल आपूर्ति	15%	85,040	-	-	-	85,040	84,823	33	3	84,853	187
योग		86,100,522	2,066,080	1,268,563	96,173	89,338,992	67,195,620	3,110,538	91,131	70,215,026	19,123,966
(II) प्रक्रिया शुल्क और आवेदन प्रपत्र तथा स्कीम ब्राउशर शुल्क राशि से											
भवन :											
क. फ्रीहोल्ड भूमि पर	10%	2,296,404	-	-	-	2,296,404	1,596,004	70,040	-	1,666,044	630,360
ख. पट्टे वाली दुकानों पर		2,534,730	-	-	-	2,534,730	943,156	471,578	-	1,414,734	1,119,996
सोलर पैनल	40%	2,602,548	-	-	-	2,602,548	2,212,218	156,132	1	2,368,349	234,199
योग		7,433,682	-	-	-	7,433,682	4,751,377	697,750	1	5,449,126	1,984,556
वर्तमान वर्ष का योग		93,534,204	2,066,080	1,268,563	96,173	96,772,674	71,946,997	3,808,288	91,132	75,664,152	21,108,522
पिछला वर्ष		89,363,365	1,609,004	2,561,835	-	93,534,204	68,579,556	3,367,441	-	71,946,997	21,587,207
ख. पूंजी कार्य प्रगति पर है		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग		93,534,204	2,066,080	1,268,563	96,173	96,772,674	71,946,997	3,808,288	91,132	75,664,152	21,108,522
											21,587,207

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 24.08.2020

हस्ता. / - संयुक्त निदेशक (प्रशासन) / एचओओ

हस्ता. / - लेखा अधिकारी

अनुसूची-9

(राशि रुपयों में)

निर्दिष्ट/संचयी निधियों से निवेश	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. सरकारी प्रतिभूतियां		--		--
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		--		--
3. शेयर		--		--
4. डिबेंचर तथा बंध-पत्र		--		--
5. सहायक तथा संयुक्त उद्यम		--		--
6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)		--		--
योग		--		--

अनुसूची-10

(राशि रुपयों में)

अन्य निवेश	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. सरकारी प्रतिभूतियां		--		--
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		--		--
3. शेयर		--		--
4. डिबेंचर तथा बंध-पत्र		--		--
5. सहायक तथा संयुक्त उद्यम		--		--
6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)		--		--
योग		--		--

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 24.08.2020

हस्ता./—
प्रबंध निदेशक

हस्ता./—
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/एचओओ

हस्ता./—
लेखा अधिकारी

अनुसूची-11

(राशि रुपये में)

वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. वर्तमान परिसम्पत्तियां				
1. वस्तु सूचियां :				
क. भंडार एवं कल पुर्जे	740,357		232,303	
ख. हस्तगत स्टॉप	-		-	
ग. व्यापार में स्टॉक	-		-	
- तैयार सामान	-		-	
- कार्य प्रगति पर	-		-	
- कच्चा माल	-	740,357	-	
				232,303
2. विविध देनदार :				
क. 6 महीने से अधिक अवधि का बकाया	-		-	
ख. अन्य		-		
			-	
3. हस्तगत नगदी शेष (चैक/ड्राफ्ट आदि सहित)		90,295		66,369
4. बैंक शेष				
क. अधिसूचित बैंको के पास :				
- चालू खातों में			-	
- जमा खातों में				
प्रक्रिया शुल्क/आवेदन प्रपत्र व स्कीम ब्राउचर की लागत	358,200,000		349,200,000	
रा.बा.बो. का आंतरिक प्रोद्भवन	1,065,298,777		1,001,900,000	
- बचत खातों में (मुख्य कार्यालय)	706,493,520		1,773,180,943	
- बचत खातों में – अग्रदाय खाता (केन्द्रों)	11,503,989		9,831,424	
- बचत खाते में-सहायिकी खाता (केन्द्रों)	146,707		1,093,508	
- बचत खाते में –आवेदन प्रपत्र एवं स्कीम ब्राउचर की लागत (केन्द्रों)	40,134	2,141,683,126	39,882	3,135,245,757
ख. गैर अधिसूचित बैंकों के पास :				
- चालू खातों में	-		-	
- जमा खातों में	-		-	
- बचत खातों में	-		-	
	-		-	
5. डाक घर बचत खाता		-		-
योग (क)		2,142,513,779		3,135,544,429

वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
ख. ऋण, अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियां				
1. ऋण और अग्रिम				
क. स्टाफ	2,849,194		2,387,947	
ख. निकाय के समान क्रियाकलापों/ उद्देश्यों में रत अन्य निकाय	14,687		115,257	
ग. अन्य : बोर्ड की योजनाओं के तहत उधार ऋण				
- अच्छे माने गए तथा वसूली योग्य			-	
- संदिग्ध	171,879,681		181,879,681	
		174,743,561		184,382,885
2. नकद अथवा वस्तु में अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य हेतु वसूली योग्य अग्रिम तथा अन्य राशियां				
क. पूंजी खाते में	-		-	
ख. पूर्व भुगतान	403,194		310,238	
ग. जमा व वसूली योग्य	2,929,976	3,333,170	3,789,387	
				4,099,625
3. अर्जित आय:				
क. निर्दिष्ट/संचयी निधि से निवेश पर	-		-	
ख. एफडीआर निवेश पर				
प्रक्रिया शुल्क/आवेदन प्रपत्र व स्कीम ब्राउचर की लागत	1,186,454		1,390,900	
रा.बा.बो. का आंतरिक प्रोद्भवन	18,784,989		20,882,429	
ग. बचत खातों पर			-	
प्रक्रिया शुल्क/आवेदन प्रपत्र व स्कीम ब्राउचर की लागत	402,066		-	
रा.बा.बो. का आंतरिक प्रोद्भवन	3,776,380		-	
एनएचएम का	35,355		-	
एनबीएम का	3,235		-	
राष्ट्रीय केसर मिशन	34,523		-	
एमओएफपीआई	8		-	
घ. उधार ऋणों पर				
- अच्छे माने गए तथा वसूली योग्य	-		-	
- संदिग्ध	22,569,901		24,444,531	
(अप्राप्त बकाया आय सहित)				
		46,792,910		46,717,860
4. प्राप्ययोग्य क्लेम (ब्याज और किराये पर बैंक द्वारा स्रोत पर कर कटोती)		56,805,147		47,479,704
योग (ख)		281,674,789		282,680,074
योग (क+ख)		2,424,188,567		3,418,224,503

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 24.08.2020

हस्ता./—
प्रबंध निदेशक

हस्ता./—
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/एचओओ

हस्ता./—
लेखा अधिकारी

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय लेखा के अंश दर्शाती अनुसूचियां

अनुसूची-12

(राशि रुपयों में)

बिक्री/सेवाओं से आय	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. बिक्री से आय :				
क. तैयार माल की बिक्री	-	-	-	-
ख. कच्चे माल की बिक्री	-	-	-	-
ग. स्क्रेप की बिक्री	-	-	-	-
	-	-	-	-
2. सेवाओं से आय :				
क. प्रक्रिया शुल्क	-	-	-	-
ख. आवेदन प्रपत्र एवं योजना ब्राउचर की लागत	9,355,761	9,355,761	5,254,090	5,254,090
योग		9,355,761		5,254,090

अनुसूची-12 क

(राशि रुपयों में)

आवेदन निधि और योजना ब्राउशर हेतु व्यय	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. आवेदन प्रपत्र और योजना ब्राउशर हेतु व्यय		28,413,368		26,742,339
योग		28,413,368		26,742,339

अनुसूची-13

(राशि रुपयों में)

अनुदान/सहायिकी (प्राप्त अप्रत्यादेय अनुदान तथा सहायिकी)	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. केन्द्र सरकार				
योजनागत व्यय				
एनएचबी बजट से	275,000,000		2,600,000,000	
गैर योजनागत व्यय	-	-	-	-
		275,000,000		2,600,000,000
2. राज्य सरकार (सरकारें)		-		-
3. सरकारी एजेंसियां		-		-
4. संस्थान/कल्याणकारी निकाय		-		-
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन		-		-
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)		-		-
योग		275,000,000		2,600,000,000

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 24.08.2020

हस्ता./-
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/एचओओ

हस्ता./-
लेखा अधिकारी

अनुसूची-14

(राशि रुपयों में)

शुल्क / अभिदान	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. प्रवेश शुल्क		-		-
2. वार्षिक शुल्क/अभिदान		-		-
3. संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क		-		-
4. परामर्श शुल्क		-		-
5. अन्य		-		-
योग		-		-

अनुसूची-15

(राशि रुपयों में)

निवेशों से आय (निधियों में अंतरित अभिविहित/संचयी निधियों से निवेश पर आय)	अभिविहित निधि से निवेश		निवेश-अन्य	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. ब्याज				
क. सरकारी प्रतिभूतियों पर	-		-	
ख. अन्य बंध-पत्रों/डिबेंचरों से	-		-	
ग. अन्य (बैंको में सावधिक जमा)	-	-	-	-
	-	-	-	-
2. लाभांश				
क. शेयरों से	-	-	-	-
ख. म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
योग	-	-	-	-
अभिविहित/संचयी निधियों में अंतरित	-	-		

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 24.08.2020

हस्ता./—
प्रबंध निदेशक

हस्ता./—
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/एचओओ

हस्ता./—
लेखा अधिकारी

अनुसूची-16

(राशि रुपये में)

रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. प्रकाशनों से आय		375		4,675
2. रॉयल्टी से आय		-		-
3. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		-		-
योग		375		4,675

अनुसूची-17

(राशि रुपये में)

अर्जित ब्याज	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. मियादी जमा पर :				
क. अनुसूचित बैंकों से (बैंक द्वारा काटा गया टीडीएस रु. 92,82,083/- सहित)	92,819,749		92,643,516	
ख. गैर अनुसूचित बैंकों से	-		-	
ग. संस्थानों से	-		-	
घ. अन्य	-	92,819,749	-	
				92,643,516
2. बचत खातों पर :				
क. अनुसूचित बैंकों से	62,519,524		100,232,347	
ख. गैर अनुसूचित बैंकों से	-		-	
ग. डाक घर बचत खातों से	-		-	
घ. अन्य-केन्द्रों पर	-	62,519,524	-	
				100,232,347
3. ऋणों पर :				
क. कर्मचारियों/स्टाफ से	9,246		15,819	
ख. उदार ऋण योजना के तहत लाभार्थियों से वसूली योग्य सेवा शुल्क	-		-	
ग. उदार ऋण योजना के तहत लाभार्थियों से प्राप्त किया गया सेवा शुल्क	-		-	
		9,246		15,819
4. ऋणी तथा अन्य प्राप्ति योग्य पर ब्याज				-
योग		155,348,519		192,891,682

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 24.08.2020

हस्ता./-
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/एचओओ

हस्ता./-
लेखा अधिकारी

अनुसूची-18

(राशि रुपये में)

अन्य आय	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ:				
क. स्वयं की परिसंपत्तियां	-		-	
ख. अनुदानों से अभिग्रहित, अथवा निःशुल्क प्राप्त की गई परिसंपत्तियां	-		-	
	-		-	
2. प्राप्त किराया		325,200		361,562
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क		-		-
4. विविध आय		52,880		517,741
5. प्राप्त हुए सेवा प्रभार/दंड ब्याज		8,986,893		8,393,714
6. अन्य प्राप्ति		-		5,322,817
योग		9,364,973		14,595,834

अनुसूची-19

(राशि रुपये में)

तैयार माल के स्टॉक में बढ़ोतरी/(कमी) तथा कार्य प्रगति पर	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. अंतिम स्टॉक				
क. तैयार माल				
ख. कार्य प्रगति पर				
	-		-	
2. घटाएं : प्रारम्भिक स्टॉक				
क. तैयार माल				
ख. कार्य प्रगति पर				
	-		-	
शुद्ध वृद्धि/(कमी) (1-2)		-		-

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 24.08.2020

हस्ता./—
प्रबंध निदेशक

हस्ता./—
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/एचओओ

हस्ता./—
लेखा अधिकारी

अनुसूची-20

(राशि रुपये में)

स्थापना व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. वेतन एवं भत्ते	55,999,479	56,404,643
ख. अन्य भत्ते तथा बोनस	6,969,572	8,675,819
ग. भविष्य निधि में अंशदान	12,888,229	12,740,407
घ. स्टॉफ कल्याण पर व्यय	533,488	314,188
ड. कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर व्यय तथा सेवांत लाभ	22,814,643	22,767,515
योग	99,205,411	100,902,572

अनुसूची-21

(राशि रुपये में)

अन्य प्रशासनिक व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. विद्युत तथा ऊर्जा	1,734,103	1,444,845
ख. जनरेटर चालन तथा रखरखाव	930,125	692,551
ग. बीमा	21,801	21,635
घ. मरम्मत एवं अनुरक्षण	965,461	1,136,131
ड. सुरक्षा प्रभार तथा गृह व्यवस्था पर व्यय	6,519,398	6,474,010
च. वाहन चालन तथा अनुरक्षण	69,850	245,613
छ. डाक, टेलीफोन और संचार प्रभार	583,252	594,700
ज. मुद्रण तथा स्टेशनरी	1,468,330	1,292,052
झ. यात्रा तथा वाहन व्यय	5,387,706	3,782,906
ञ. समाचार-पत्र एवं पत्रिकाएं	52,206	69,960
ट. कार्यालय व्यय	365,744	363,399
ठ. बैठक/सत्कार संबंधी व्यय	240,525	333,233
ड. लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक/शुल्क	949,910	1,086,339
ढ. विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	2,029,019	1,897,590
ण. विज्ञापन और प्रचार	335,005	66,194
त. फोटोकापी प्रभार	1,465,495	1,546,370
थ. संपत्ति कर	196,020	196,020
द. सदस्यता शुल्क	-	20,200
ध. पुस्तकें और पत्रिकाएं	975	17,218
न. राजभाषा संवर्धन व्यय	95,839	259,558
प. विविध व्यय	0	(8)
योग	23,410,765	21,540,516

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 24.08.2020

हस्ता./—
प्रबंध निदेशक

हस्ता./—
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/एचओओ

हस्ता./—
लेखा अधिकारी

अनुसूची-22

(राशि रुपये में)

अनुदानों, सहायिकी आदि पर व्यय	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. संस्थानों/संगठनों को दिए गए अनुदान				
ख. संस्थानों/संगठनों को दी गई सहायिकी (उत्तरपूर्वी राज्यों के अलावा हेतु)				
i) व्यावसायिक बागवानी का विकास (सहायिकी)	508,270,053		1,544,312,141	
- उदार ऋण योजना के तहत कानूनी मामलों हेतु विविध व्यय	355,500		490,223	
ii) कोल्ड स्टोरेज हेतु पूंजीगत निवेश सहायिकी	543,913,800		873,518,400	
iii) बागवानी हेतु प्रौद्योगिकी विकास/संवर्धन	16,649,101		28,076,710	
iv) बागवानी फसलों हेतु बाजार सूचना सेवा	-		1,958,186	
v) बागवानी संवर्धन सेवाएं	3,459,459		1,008,230	
vi) मिशन प्रबंधन व प्रशासनिक व्यय				
क. स्थापना व्यय - केन्द्र	61,386,805		63,635,259	
ख. प्रशासनिक व्यय-केन्द्र	28,644,671		28,537,638	
vii) बीजिंग चीन में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी पर खर्च	6,855,715		94,263,602	
व्यय (उत्तर पूर्वी राज्यों सिविकम सहित हेतु)				
i) व्यावसायिक बागवानी का विकास (सहायिकी)	7,656,000		59,377,600	
ii) कोल्ड स्टोरेज हेतु पूंजीगत निवेश सहायिकी	34,000,000		-	
iii) बागवानी के संर्वान हेतु प्रौद्योगिकी विकास/हस्तांतरण	4,563,108	1,215,754,212	689,730	2,695,867,719
योग		1,215,754,212		2,695,867,719

टिप्पणी : निकायों के नाम, उनके क्रियाकलापों तथा अनुदान/सहायिकी राशि को प्रकट किया जाए।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजनाओं के प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, पात्र संगठन इस प्रकार से हैं :-

जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, संगठनों/प्रोमोटरों, जैसे उत्पादकों का एसोसिएशन, व्यक्तिगत, कृषक उत्पादकों/उपभोक्ताओं का समूह, कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ), साझेदारी/स्वामित्व फर्म, स्वतः सहायता समूहों (एसएचजीओ), गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ), कम्पनियां, निगमों, सहकारिताओं, सहकारिता विपणन फेडरेशन, कृषि उत्पाद विपणन समितियां, विपणन बोर्ड/समितियां, नगर निगमों/कमेटियां, एग्रो-इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशनों, एसएयू(ओ) और अन्य संबंधित आर एंड डी संगठनों रा.बा.बो. की सभी योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

प्रत्येक गतिविधि में वितरित की गई सहायिकी को उपरोक्त अनुसूची सं0 22 में दर्शाया गया है। लाभार्थी-वार विवरण अलग पुस्तिका में उपलब्ध है। रा.बा.बो. की योजनाओं के अतिरिक्त, रा.बा.बो. एनएचएम, एनबीएम, एमओएफपीआई योजनाओं और केसर मिशन के विशेष घटकों को भी क्रियान्वित करता है।

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 24.08.2020

हस्ता./-
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/एचओओ

हस्ता./-
लेखा अधिकारी

अनुसूची-23

(राशि रुपये में)

ब्याज	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. स्थायी ऋणों पर		-		-
ख. अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित)		-		-
ग. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		-		2,807
योग		-		2,807

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 24.08.2020

हस्ता./—
प्रबंध निदेशक

हस्ता./—
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/एचओओ

हस्ता./—
लेखा अधिकारी

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि हेतु लेखे का भाग होने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 24 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन परिपाटी

वित्तीय विवरणों को जब तक अन्यथा घोषित नहीं किया जाए, ऐतिहासिक लागत परिपाटी तथा लेखांकन की प्रोदभवन प्रणाली के आधार पर तैयार किया गया है।

2. वस्तु सूचियों का मूल्यांकन

भंडार, कलपुर्जों (मशीनरी कलपुर्जों सहित) तथा स्टेशनरी वस्तुओं को लागत पर मूल्यांकित किया गया है।

3. निवेश

लागू नहीं

4. उत्पाद शुल्क

लागू नहीं

5. अचल परिसंपत्तियां

अचल परिसंपत्तियों को आवक माल ढुलाई सहित अधिग्रहण की लागत, शुल्क और करों तथा अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष व्ययों की लागत पर दर्शाया गया है।

6. मूल्यहास

(क) मूल्यहास को आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्धारित दरों पर कम मूल्य लिखे जाने की पद्धति पर मुहैया करवाया गया है।

(ख) वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में वर्धन/कटौतियों के संबंध में मूल्यहास आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार मुहैया करवाया गया है।

7. विविध व्यय

लागू नहीं

8. बिक्री हेतु लेखांकन

लागू नहीं

9. सरकारी अनुदान/सहायिकी

भारत सरकार के कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग से प्राप्त सहायता-अनुदान को प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किया जाता है।

विभिन्न योजनाओं, एनएचबी योजनाओं को छोड़कर, के अंतर्गत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान को निर्दिष्ट निधियों में दर्ज किया गया है।

10. विदेशी मुद्रा लेन-देन

विदेशी मुद्रा लेन-देन को, तत्संबंधी लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किए गए हैं।

11. लीज

लीज रेंटल्स को लीज शर्तों के संदर्भ में खर्च किया जाता है।

12. सेवानिवृत्ति हितलाभ

क) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर देय उपदान संबंधी प्रावधान का प्रोदभवन आधार पर लेखांकित किया गया है।

ख) कर्मचारियों को संचयित छुट्टी के नकदीकरण लाभ संबंधी प्रावधान को प्रोदभूत किया गया है तथा उसे यह मानकर परिकल्पित किया गया है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में कर्मचारी इस लाभ को प्राप्त करने के हकदार होंगे।

13. राजस्व मान्यता

(क) एफडीआर, बचत बैंक खाता पर ब्याज, ऋणों तथा अग्रिमों पर सेवा प्रभार जैसी आय को प्रोदभवन आधार पर लेखांकित किया गया है।

(ख) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त शेषों को जब और जैसे प्राप्त होने पर लेखांकित किया गया है।

(ग) विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता/सहायिकी के लिए जारी राशि को जारी किए जाने के वर्ष के दौरान व्यय के रूप में दर्शाया गया है तथा वर्तमान वर्ष के दौरान पिछले वर्षों की वापस की गई अप्रयुक्त धनराशि को समग्र/पूंजी निधि में दर्ज किया गया है।

14. माह मार्च, 2020 के लिए वेतन एवं भत्तों के प्रावधान को लेखों में नहीं किया है, क्योंकि यह अगले वर्ष में देय हैं।

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 24.08.2020

हस्ता./—
प्रबंध निदेशक

हस्ता./—
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/एचओओ

हस्ता./—
लेखा अधिकारी

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि हेतु लेखे का भाग होने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 25 – आकस्मिक देयताएं तथा लेखे पर टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताएं

- 1.1 निकाय के प्रति दावों जिन्हें ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)
- 1.2 निम्न के मामले में –
 - निकाय की ओर से / द्वारा दी गई बैंक गारंटियां – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)
 - निकाय की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख-पत्र – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)
 - बैंकों के साथ छूट दिए गए बिल – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)
- 1.3 निम्न के संबंध में विवादित मांगे:
 - बिक्री कर रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)
 - नगर निगम कर रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)
- 1.4 आदेशों के गैर-निष्पादन के लिए पक्षों द्वारा किए गए दावे, परंतु जिनका निकाय द्वारा प्रतिवाद किया जा रहा है – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

पूंजीगत लेखे पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं का अनुमानित मूल्य जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है। (अग्रिम का निवल) – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)

3. पट्टा बाध्यताएं

संयंत्र तथा मशीनरी के लिए वित्त पट्टा व्यवस्थाओं के अंतर्गत किरायों के लिए भविष्य की बाध्यताएं – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)

4. वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम

प्रबंधन के मतानुसार व्यापार के सामान्य रूप में वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋणों तथा अग्रिमों का वसूली मूल्य, तुलन-पत्र में दर्शाई गई समग्र राशि के समतुल्य है।

5. कराधान

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कोई कर योग्य आय नहीं होने के मद्देनजर, आयकर के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23C)(iv) के तहत निर्धारण वर्ष 2008-09 तक केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) को अधिसूचित किया गया था। एनएचबी ने निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2010-11, 2011-12 से 2013-14 और 2014-2015 और आगे के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23C)(iv) के तहत छूट के नवीकरण के लिए आयकर प्राधिकारियों के पास आवेदन दायर किया, परन्तु आयकर प्राधिकारियों द्वारा इसे खारिज कर दिया गया था।

बोर्ड ने आयकर प्राधिकारियों के फैसले के खिलाफ चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की हैं। माननीय उच्च न्यायालय से मामले में निर्णय प्रतीक्षित है। बोर्ड आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12AA के तहत आयकर प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत है। एनएचबी, आयकर विभाग में शून्य आय की अपनी आयकर रिटर्न (आईटीआर) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23C)(IV) के तहत शर्तों के अनुपालन हेतु धर्मार्थ संस्थान द्वारा अपेक्षित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ समय से प्रतिवर्ष दाखिल कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2019-20 (निर्धारण वर्ष 2020-21 संबंधित) के दौरान इंडियन ओवरसीज बैंक, एनएचबी ब्रांच, गुरुग्राम द्वारा एनएचबी की सावधि जमा के ब्याज/किराये पर टीडीएस राशि रु. 93,25,443/- काटी गई है जो आयकर प्राधिकारियों के पास आयकर रिटर्न दाखिल करने के समय रिफंड के रूप में दावायोग्य है।

6. विदेशी मुद्रा लेन-देन

6.1 सीआईएफ के आधार पर परिकल्पित आयातों का मूल्य

— तैयार माल की खरीद	शून्य
— कच्चा माल तथा घटक (अंतरण अधीन सहित)	शून्य
— पूंजीगत वस्तुएं	शून्य
— भंडार, कलपुर्जे तथा उपभोग्य	शून्य

6.2 विदेशी मुद्रा में व्यय

क. यात्रा व्यय रु0	2,84,283 /—
ख. वित्तीय संस्थानों/बैंकों को विदेशी मुद्रा में प्रेषित धनराशि तथा ब्याज का भुगतान	शून्य
ग. प्रौद्योगिकी जागरुकता हेतु मशीनरी की खरीद संबंधी भुगतान	शून्य
घ. अन्य व्यय:	
— बिक्री पर कमीशन	शून्य
— विधिक तथा व्यावसायिक व्यय	शून्य
— विविध व्यय	शून्य

6.3 आय

एफओबी आधार पर निर्यातों का मूल्य	शून्य
----------------------------------	-------

6.4 लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक:

— लेखापरीक्षा शुल्क के रूप में	शून्य
— जेब खर्ची व्यय	शून्य
— कराधान मामले	शून्य
— अन्य	शून्य

7. प्रक्रिया शुल्क/आवेदन प्रपत्र व स्कीम बाउचर की लागत के कारण संचयी निधि और प्रक्रिया शुल्क/आवेदन प्रपत्र एवं स्कीम बाउचर की लागत से सृजित स्थाई परिसंपत्तियों पर खर्च किए गए व्यय को बोर्ड के वार्षिक लेखों में अलग से दर्शाया गया है।
8. सिविल मुकदमा दाखिल किए जाने के वर्ष से दाखिल उदार ऋण मामले में सेवा प्रभार का प्रावधान नहीं किया जाता है। तथापि, मुकदमा किए गए उन मामलों के संबंध में वसूली की सीमा तक सेवा प्रभार लगाया गया है जिसमें संबंधित अवधि के दौरान राशि वसूल की गई है।
9. उन उदार ऋण मामलों की वसूली के समायोजन संबंधी, रा.बा.बो. की पद्धति के अनुसार, जिनमें वसूली की एकमुश्त राशि जो मूलधन राशि और देय सेवा प्रभारों से कम है, रा.बा.बो. वसूली की राशि को पहले सेवा प्रभारों में और बाकी की राशि को मूलधन राशि में समायोजित करता है, मै0 कारुतुरी फलोरीटैक लिमिटेड से प्राप्त राशि रु. 89,86,893/- को छोड़कर, इन्हें आय- दंड ब्याज के रूप में माना गया है क्योंकि मामला न्यायाधीन है। तथापि, वर्ष के दौरान सॉफ्ट लोन मामलों में रु0 2,08,61,523/- की राशि प्राप्त हुई थी, जिसमें से रु0 1,00,00,000/- की राशि मूलधन के रूप में और रु0 18,74,630/- की राशि सेवा प्रभार के रूप में और शेष राशि रु. 89,86,893/- दंड ब्याज के रूप में वर्ष के दौरान प्राप्त हुई थी।
10. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने फरवरी 2017 में अस्थायी तौर पर सितम्बर 2016 में परिसमाप्त हुए भूतपूर्व राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड (नॉवोड) की भूमि व भवन को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया था और एनएचबी को अपने बजट में से सुरक्षा स्टाफ, बिजली व्यय आदि की मजूदरी का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था जिसके लिए एनएचबी को बाद में फंड हस्तांतरित किया जाएगा। वर्ष 2019-20 के दौरान मजूदरी, बिजली व्यय आदि पर राशि रु0 12,76,839/- का भुगतान किया था जिसे लेखा बहियों में नॉवोड बोर्ड से वसूलीयोग्य दिखाया गया है।
11. लाभार्थियों द्वारा देयों के विलंब से किए जाने वाले भुगतानों के संबंध में लेखों में दंडात्मक ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया है। इसे प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किया जाता है।
12. उदार ऋणों की वसूली के लिए बोर्ड ने चूककर्ता ऋणियों के खिलाफ सिविल मुकदमें दायर किए हैं। 31.03.2020 तक संदिग्ध ऋणों के लिए 19,44,49,582/- रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।
13. सिविल मुकदमा दाखिल किए गए मामलों में न्यायालय शुल्क, यदि कोई हो, को व्यय लेखा से भुगतान आधार पर घटाया गया है।
14. पिछले वर्ष के लिए तदनुसूची आंकड़ों को, जहां आवश्यक समझा गया है, पुनः वर्गीकृत/पुनः व्यवस्थित किया गया है।
15. आंकड़ों को निकटतम रूप में पूर्णांकित किया गया है।
16. 31 मार्च, 2020 तक के तुलन-पत्र तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा के साथ संलग्न 1 से 25 तक अनुसूचियां, इसका एक एकीकृत भाग है।

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 24.08.2020

हस्ता./-
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/एचओओ

हस्ता./-
लेखा अधिकारी

CONTENTS

PREFACE

1. INTRODUCTION

- 1.1 Vision
- 1.2 Mission
- 1.3 Objectives

2. THE ORGANISATION

- 2.1 Board of Directors
- 2.2 Managing Committee

3. RESOURCES

- 3.1 Our People
- 3.2 Our Network
- 3.3 Our Infrastructure

4. FUNDING

5. SCHEMES/PROGRAMMES

5.1 Development of Commercial Horticulture through Production and Post-Harvest Management of Horticulture Crops

- 5.1.1 Commercial Horticulture Development in open field conditions on project mode
- 5.1.2 Commercial Horticulture Development in protected cover on project mode
- 5.1.3 Integrated Post Harvest Management projects
- 5.1.4 Achievements

5.2 Capital Investment Subsidy Scheme for Construction/ Expansion/ Modernization of Cold Storage and Storages for Horticulture Produce

- 5.2.1 Cold Storage unit Type-1 – basic type with single temperature zone
- 5.2.2 Cold Storage unit Type- 2 - with multiple temperature zones and basic material handling equipment
- 5.2.3 Cold Storage unit Type- 2 - with add on technology for Controlled Atmosphere
- 5.2.4 Technology induction and modernization of cold chain
- 5.2.5 Achievements

5.3 Technology Development and Transfer for Promotion of Horticulture

- 5.3.1 Objectives
- 5.3.2 Components and Pattern of Assistance
- 5.3.3 Achievements

5.4 Market Information Service for Horticultural Crops

5.5 Horticulture Promotion Services/Expert Services and Strengthening Capabilities of NHB

HIGHLIGHTS : 2019-20

1. Promotion of Commercial Horticulture

- a) Commercial Horticulture- Open Cultivation
- b) Commercial Horticulture- Protected Cultivation of flowers and Vegetables
- c) Support to Post-Harvest Management
- d) Quality Planting Material
- e) Supplementary Activities

2. Creation of Cold Storage Capacity

3. Technology Development and Transfer for Promotion of Horticulture

4. Meeting with members of Confederation of Indian Horticulture (CIH) and All India Commodity Growers' Associations held on 17.06.2019 at NHB, Gurugram under the Chairmanship of Secretary (AC&FW), Govt. of India

5. Rajbhasha Conference on 20th February, 2020 organized by NHB. Prof. P. C. Tandon, Deptt. of Hindi, Delhi University was the Chief Guest & Speaker

6. Farmer Interaction Meeting cum Training on Vegetables at Car Nicobar

7. Entrepreneurship Development Programme on value chain in Coconut at ICAR-CPCRI Kasargod, Kerala

8. Special Projects:

- i) India Garden at International Horticulture Exhibition, 2019, Beijing China
- ii) Saffron Park Project, Pampore, UT of Jammu & Kashmir

ANNEXURES

I. Objectives of the National Horticulture Board

II. List of the Board of Directors of National Horticulture Board (as on 31.03.2020)

III. Staff Position as on 31.03.2020

IV. List of Field Offices of National Horticulture Board along with their Complete Address

V. Annual Accounts of the Board for the year 2019-20

PREFACE

Since its inception in 1984, National Horticulture Board (NHB) has contributed immensely to horticulture sector with its humble journey starting with market information service and technology awareness schemes of 1987-1990, followed by launching of soft loan schemes and introduction of credit-linked back-ended subsidy schemes for commercial production, post-harvest management, processing and cold storages since 2000. NHB was brought under “Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH)” w.e.f. 2014-15 so as to accelerate development of commercial horticulture with new operational guidelines. NHB has also been promoting “Technology Development and Transfer” in partnership with ICAR Institutions and State Agriculture Universities.

Horticulture represents health. The production, availability, access and consumption of horticulture products are determinants of good health of the people of any nation. It is a great sense of accomplishment that as per 3rd advance estimates, horticulture sector has recorded highest ever production of 319.57 Million MT in the history of Indian Horticulture. This demonstrates the willingness and entrepreneurship ability of the Indian farmers to accomplish the task of production to meet the food and nutritional security of the nation.

The year 2019-20 has been a transformative year to improve the working of NHB and to make it more farmers’ friendly. Application portal for NHB Schemes has been kept open throughout the year, thereby immensely benefiting both farmers and entrepreneurs. NHB has successfully completed the setting up of Quality Testing and Marketing Infrastructure of Saffron Park project in J&K and successfully set up an “India Garden” in the International Horticulture Exhibition 2019 at Yanqing District of Beijing, China and won ‘Gold Medal’ in the Outdoor category among 110 participating nations.

The stated achievements of the Board would not have been possible without the able guidance of the Board of Directors and the Managing Committee of NHB. In this regard, I am extremely grateful to Shri Narendra Singh Tomar, Hon’ble Union Minister for Agriculture and Farmers’ Welfare and President of the Board, Shri Parshottam Rupala, Hon’ble Minister of State for Agriculture and Vice President of the Board, and all other esteemed Members of the Board of NHB. I am especially thankful to Shri Sanjay Agarwal, IAS, Secretary, DAC&FW and Chairman of the

Managing Committee of NHB and all other esteemed Members of the Managing Committee for their guidance and support. I also extend my sincere thanks to Smt. Vasudha Mishra, IAS, Special Secretary, DAC&FW for her constant guidance and support to the Board. I specially thank Shri Rajbir Singh, IFS, Joint Secretary (MIDH) and his team of officers for extending all possible cooperation to NHB during the period. I also hereby acknowledge the sincere efforts put in by my predecessor Dr. M. Ariz Ahammed, IAS, for introducing many technical inputs in to the Schemes of the Board. Last, but not the least, I would place on record the tremendous hard work put in by the officers and staff of NHB to bring in major reforms in the systems and procedures of the Board so as to benefit the various stakeholders of horticulture sector in India.

**Bandla Srinivas, IAS,
Managing Director**

1. INTRODUCTION

National Horticulture Board (NHB) was set up by Government of India in April 1984 on the basis of recommendations of the "Group on Perishable Agricultural Commodities", headed by Dr M. S. Swaminathan, the then Member (Agriculture), Planning Commission, Government of India. The NHB is registered as a Society under the Societies Registration Act 1860, thereafter, re-registered under the Haryana Registration & Regulation of Societies Act, 2012, with its headquarters at Gurugram.

1.1 Vision

- Recognizing the fact that the Commercial Horticulture provides not only food and nutritional security but also paves the way for crop diversification for better economic gain and risk mitigation for the farmers: the need for promoting this sector by concerted efforts for private investment through commercial horticulture projects has been visualized.
- This sector includes area expansion under commercial horticulture projects in the Country; creation of post harvest management related infrastructure combined with public and private sector initiatives of technology development and transfer, product promotion, marketing & export.
- With this vision, National Horticulture Board is striving to accelerate the process of the development of commercial horticulture in potential clusters by organizing the producer farmers for better utilization of resources, transfer of technology and gaining benefit of scaling up.

1.2 Mission

- To promote commercial horticulture through development of production hubs and ensuring availability of quality planting material.
- To promote investment in Post-Harvest Management and Cold Chain infrastructure.
- To promote development and transfer of technology for quality production.
- Product promotion, market development and export promotion through synergy amongst producers, farmers, extension workers, research organizations, private stake holders and credit institutions.

1.3 Objectives

The main objectives of the NHB are to improve integrated development of Horticulture industry and to help in coordinating, sustaining the production and processing of fruits and vegetables. Detailed objectives of the Board are given at **Annexure-I.**

2. THE ORGANIZATION

2.1 Board of Directors

The overall management of all the activities of NHB is supervised by "Board of Directors", which is headed by the Hon'ble Union Minister for Agriculture and Farmers welfare as its President and Hon'ble Union Minister of State for Agriculture and Farmers welfare as its Vice-President. The composition of the Board of Directors is as under:

Sr. No.	Designation of Member	Status
1.	Union Minister for Agriculture and Farmers welfare	President (Ex-Officio)
2.	Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare	Vice-President (Ex-Officio)
3.	Union Secretary, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
4.	Director General, Indian Council of Agriculture Research	Member (Ex-Officio)
5.	Additional Secretary, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
6.	Additional Secretary & Financial Advisor, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
7.	Joint Secretary & Mission Director (MIDH) Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
8.	Horticulture Commissioner, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
9.	Advisor (Agriculture), Niti Aayog	Member (Ex-Officio)
10.	Chairman, Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority (APEDA)	Member (Ex-Officio)
11.	A representative of Ministry of Food Processing Industry (MoFPI) or any other Ministry who may be invited especially with the consent of the President	Member (Ex-Officio)
12.	11 Representatives of Horticulture industry representing the interests of Co-operative Societies, leading horticulturists and leading exporters of horticulture produce. (To be nominated by the Central Govt.)	Non Officials Members
13.	Managing Director, National Horticulture Board	Member Secretary (Ex-Officio)

A list of Members of the Board of Directors of National Horticulture Board as on 31.03.2020 is given in **Annexure-II**.

2.2 Managing Committee

The Union Secretary (Agriculture, Co-operation & Farmers Welfare) heads the Managing Committee of the NHB as its Chairman. It has been assigned the role of General Supervision, Direction and Control of the affairs and functions of the Board. The composition of the Managing Committee is as under:

Sr. No.	Designation of Member	Status
1.	Union Secretary, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare	Chairman (Ex-Officio)
2.	Additional Secretary, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
3.	Additional Secretary & Financial Advisor, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
4.	Joint Secretary & Mission Director (MIDH) Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
5.	Horticulture Commissioner, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
6.	Chairman, Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority (APEDA)	Member (Ex-Officio)
7.	General Manager, NABARD	Member(Ex-Officio)
8.	A representative of Farmers (To be nominated by the Central Govt.)	Member
9.	Managing Director, National Horticulture Board	Member Secretary (Ex-Officio)

3. RESOURCES

3.1 Our People

Managing Director is the Principal Executive of the Board who is assisted by technical and administrative divisions. The details of sanctioned and filled up posts are given at **Annexure-III**.

3.2 Our Network

The Head Office of the Board is situated at Gurugram, Haryana. Besides, there are 29 field offices located in different parts of the country. List of our field offices are given at **Annexure-IV**.

3.3 Our Infrastructure

1. A sprawling well maintained green campus of 5.4 acres.
2. Fully computerized work environment at Head Office and also in field offices.
3. Well equipped Library having wide range of horticultural publications.
4. Committee Halls, Guest House and Canteen Facilities at Head Office.

4. FUNDING

The activities of the Board are funded by the Government of India by way of grants-in-aid. The details of the funds received and expenditure incurred under various Schemes during the year 2019-20 are given hereunder: -

(Amount in Rs. Lakh)

Sr. No.	Name of Scheme	Grant Received	Unspent Balance as on 01.04.2019	Total fund available	Expenditure incurred
1.	NHB	2750.00	15668.57	18418.57	13273.53
2.	NHM (TSG)	150.00	93.82	243.82	197.46
3.	NBM (TSG)	-	19.58	19.58	14.50

5. SCHEMES/PROGRAMMES

Since its inception, NHB has taken up various innovative programmes/schemes to promote large scale adoption of modern package of practices and processing/value addition in horticultural crops. The present compendium of schemes is set of intervention to achieve high quality commercial production, create post-harvest infrastructure and cold chain facilities, and promote Transfer of Technology for Production and Post Harvest Management. Highlights of the schemes and achievements during the year 2019-20 are given hereunder:-

5.1 Development of Commercial Horticulture through Production and Post-Harvest Management of Horticulture Crops

Under this scheme, projects for establishment of commercial production units in open fields as well as under protected conditions, post-harvest management and primary processing units are eligible for financial assistance.

Description of Components and Pattern of Assistance

Sr. No.	Particulars	Description	Pattern of Assistance
5.1.1	Commercial Horticulture Development in open field conditions on project mode	National Horticulture Board considers integrated commercial horticulture development projects in open field conditions on project mode, including components viz planting material, plantation, irrigation, fertigation, mechanization, precision farming, GAP etc. for projects covering area over 2.00 ha. (5 Acres). Integrated production unit on Mushroom and tissue culture are also eligible for assistance under this component. The components like farm machinery and PHM infrastructure, irrigation and micro irrigation etc. are also eligible under the scheme for assistance in existing/new orchards/ projects to increase productivity	Credit linked back-ended subsidy @ 40% of project cost limited to Rs 30.00 lakh per project in general areas and @ 50% of project cost limited to Rs. 37.50 lakh in NE Region, Hilly States and Scheduled areas.
5.1.2	Commercial Horticulture Development in protected cover on project mode	Commercial horticulture development projects under protected cover on project mode including components viz. planting material, plantation, irrigation, fertigation, mechanization, etc. for projects having area over 2500 sq. meter are being considered. Activities like construction of green houses, shade net house, plastic mulching, and plastic tunnel, anti bird /hail nets etc are eligible for assistance. However, for availing subsidy, all material/technology should conform to prescribed standards.	Credit linked back-ended subsidy @ 50% of the total project cost limited to Rs 56.00 lakh per project as per admissible cost norms. (Board is permitted to take up projects under protected cultivation in an area of 1000 sqm. and above in NE States).
5.1.3	Integrated Post Harvest Management projects	i) Integrated Post Harvest Management projects relating to Pack House, Ripening Chamber, Reefer Van, Retail Outlets, Pre-cooling unit, etc. are assisted under this component. NHB also accepts standalone projects of PHM in component mode.	Credit linked back-ended subsidy @ 35% of the total project cost limited to Rs 50.75 lakh per project in general area and @ 50 % of project cost limited to Rs. 72.50 lakh per project in NE, Hilly States and Scheduled areas, ensuring

			backward and forward linkage.
		ii) Primary processing units of fruits, vegetables, flowers, cashew and aromatic plants only.	Credit linked back ended subsidy @ 35% of cost limited to Rs.8.75 lakh per project in general areas and @ 50% of project cost limited to Rs. 12.50 lakh per project in NE, Hilly States and Scheduled areas, ensuring backward and forward linkage.

5.1.4 Achievements

Under the scheme, the Board sanctioned 307 projects during the financial year under report involving subsidy of Rs. 5162.82 lakhs. The projects includes Hi-Tech Horticultural Crops, Tissue Culture Units, Floriculture Units, Mushroom Cultivation, Establishment of Pack House and Grading Centres, Ripening Chambers, Reefer van, Pre-cooling units, Cold Room, Primary Processing units etc.

OPEN FIELD CULTIVATION



Pomegranate cultivation in open field in Solapur District (Maharashtra)



Grape cultivation in open field in Nashik District (Maharashtra)



Pomegranate cultivation in open field in Kutch District (Gujarat)



Guava cultivation in open field in Sangareddy District (Telangana)



Guava cultivation in open field in Durg District (Chhattisgarh)

PROTECTED CULTIVATION



Gerbera cultivation under Poly house in Sangli District (Maharashtra)



Capsicum cultivation under Poly House in Nizamabad District (Telengana)



Carnation cultivation under Poly house in Bangalore District (Karnataka)



Rose cultivation under Poly house in Kolhapur District (Maharashtra)



Gerbera cultivation under Poly house in Kolhapur District (Maharashtra)



Anthurium cultivation under Poly house in District Hassan (Karnataka)

PROTECTED CULTIVATION



Orchid cultivation under Poly house in District Simoga (Karnataka)



Capsicum cultivation under Poly house in Nashik District (Maharashtra)

PRIMARY PROCESSING UNIT



NHB assisted Cashew Processing Unit in District Ganjam (Odisha)



REEFER VANS



NHB assisted Reefer Vans of M/s Purisons Agrotech & Foods Pvt. Ltd., Delhi

RIPENING CHAMBER



NHB assisted unit of Ripening Chamber of Sh. K. Kuppusamy, Distirct Trichy (Tamilnadu)

GRADING PACKING UNIT



Grading-packing unit in Nashik District (Maharashtra)

5.2 Capital Investment Subsidy Scheme for Construction/Expansion/Modernization of Cold Storages and Storages for Horticulture Products

Credit linked projects relating to Cold Storages including Controlled Atmosphere (CA) and their modernization are eligible for assistance under this component.

Description of components and Pattern of Assistance

Sr. No.	Particulars	Items	Pattern of Assistance
5.2.1	Cold Storage unit Type 1 – basic mezzanine structure with large chamber (>250 MT) type with single temperature zone	NHB take up projects with capacity above 5000 MT up to 10000 MT as per following rates. @Rs. 8000/MT for capacity up to 5000 MT @Rs. 7600/MT for capacity between 5001 to 6500 MT @Rs. 7200/MT for capacity between 6501 to 8000 MT @Rs. 6800/MT for capacity between 8001 to 10000 MT	Credit linked back-ended subsidy @35% of the cost of project (50% in NE, Hilly States and Scheduled Areas) for capacity above 5000 MT. For calculation of capacity 3.4 cubic meters (cum.) (120 cubic feet {cft}, of chamber volume shall be considered equivalent to 1 MT storage capacity. (Board is permitted to take up cold storage projects in NE Area for capacity of 1000 MT or above). However, for availing subsidy, all material/technology should conform to prescribed standards.
5.2.2	Cold Storage unit Type 2 – PEB type for multiple temperature and product use, more than 6 chambers of <250 MT and basic material handling equipment	NHB take up projects with capacity above 5000 MT up to 10000 MT as per following rates. @Rs. 10000/MT for capacity up to 5000 MT @Rs. 9500/MT for capacity between 5001 to 6500 MT @Rs. 9000/MT for capacity between 6501 to 8000 MT @Rs. 8500/MT for capacity between 8001 to 10000 MT	
5.2.3	Cold Storage unit Type 2 with add on technology for Controlled Atmosphere	NHB take up projects with capacity above 5000 MT up to 10000 MT as per Type 2 rates given above. Additional Rs. 10,000/MT for add on components of controlled atmosphere technology as per component wise cost.	

5.2.4	Technology induction and modernization of cold-chain	• @Rs. 5000/MT for capacity between 5001 to 10000 MT • Components of modernization include PLC equipment, packaging line, dock levelers, advance graders, alternate technologies, stacking system, modernization of insulation and refrigeration etc.	
-------	--	--	--

5.2.5 Achievements

Under the scheme, the Board sanctioned 34 projects of Cold Storages/CA Storages during the financial year under report involving subsidy of Rs. 5779.14 lakh for creation of capacity of 287953.70 MT.

COLD STORAGE



NHB assisted unit of M/s Navle Pundlikappa Cold Storage Pvt. Ltd. in Karnataka



NHB assisted unit of M/s Balaji Agro Cold Storage LLP, Tamilnadu

5.3 Technology Development and Transfer for Promotion of Horticulture

5.3.1 Objectives

Projects for popularization of identified new technologies/tools/techniques for commercialization/adoption shall be undertaken through following sub-components:

5.3.2 Components & Pattern of Assistance

Sr. No.	Components	Pattern of Assistance
i	Setting up of block/mother plant and root stock nursery (Area above 4 ha)	Project based - 100% and only through Govt. agency/Public Sector @ Rs.100.00 Lakh /ha for effective nursery area including virus indexing, tissue culture lab etc.
ii	Acquisition of technologies including import of planting material from other countries for evaluation and mass multiplication in order to increase production & productivity of horticulture crops	Project based - 100% and only through Govt. agency/PSUs @ Rs.50.00 lakh/project.
iii	Import/procurement of Machines and Tools for horticulture for demonstration purpose	Rs. 50.00 lakh/ machine. 100% of total cost and only through Govt. agency/Public Sector. Proposals of Growers Associations promoted by NHB and Co-operative Societies and Farmers Producers Organization may also be considered on merit as per direction of Board of Directors.
iv	Development & Transfer of Technology:- (i) Pilot project for introduction of new farm input and appropriate technologies etc. for promoting high quality commercial production or increase in productivity. (ii) Development and introduction of new protocol relating to PHM, Cold Chain, Primary processing, Bio-technology and introduction of new tools/ equipment/ machineries for PHM, storage including cold chain system and handling. (iii) R&D projects for solving specific problems related to production,	Up to Rs.25.00 lakh/ project as 100% of total cost and only through Govt. agency/PSU

	PHM, packaging, storage, handling and transport.	
v	Long Distance Transport Solution component to facilitate long distance transportation and bulk movement of horticulture products through rail etc.	Project based Rs. 2000.00 lakh
vi	Product Promotion and Market Development Services- Horti-fairs	100% of cost by Central Nodal Agency @Rs. 25.00 lakh
vii	Exposure visit of farmers (Outside State)	Project based as per actual, 100% of the cost
viii	Visit Abroad for Government Officers	Rs. 6.00 lakh per participant, 100% of air / rail travel and course fee
ix	Organization/participation in seminars/ workshops / exhibitions etc. for development of horticulture	(i) The financial assistance is limited up to Rs.10.00 lakh for International event (3-5 days), Rs.5.00 Lakh for National event, Rs.3.00 lakh for State Level event and Rs.0.50 lakh for District Level event. (ii) In case of short duration (1-2 days) seminars, financial assistance would be limited to: - Rs. 1.00 lakh per event for State Level event, - Rs. 2.00 lakh for National level event and - Rs. 3.00 lakh for International event (for organizations/ participation of international event within India).
x	Accreditation and Rating of Fruit & Vegetables Nurseries	Rs 1.00 lakh/nursery by Central Nodal Agency (NHB)

5.3.3 Achievements

Under this scheme, NHB has assisted 68 projects for Introduction of New Technology, Visit of Progressive Farmers, Horti. Sangam, Organization/Participation in Seminars/ Symposia/ Exhibitions, Technology Awareness, Mother Plant Nurseries, etc. and released financial assistance amounting to Rs. 212.12 lakhs.

AWARENESS CUM CAPACITY BUILDING WORKSHOP



In Potential Horticulture Cluster Area – Sweet Orange on 27.11.2019 at Nalgonda District (Telangana)

ACCREDITATION AND RATING OF FRUIT & VEGETABLE NURSERIES



Fruit Plant Nursery in J&K (UT)



Vegetable Nursery in District Banaskantha (Gujarat)



Fruit Plant Nursery in District Navsari (Gujarat)



Fruit Plant Nursery in District Pargana (West Bengal)

5.4 Market Information Service Scheme for Horticulture Crops

This scheme deals with work of computerization, development of technology package, data feeding, information dissemination through publicity, printed literature local advertisements etc. Scheme provides for engagement of outsourced staff such as Senior Programmer, Programmer, Data Entry Operators and Horticulture Assistants as per need at approved rates under TSG component of MIDH. An amount of Rs. 906.23 lakh has been incurred under the scheme including Mission Management & Administrative Expenses for NHB Centers.

The details of publications of NHB are given at [Annexure-V](#).

5.5 Horticulture Promotion Services/Expert Services and Strengthening Capability of NHB

Under this component, specialized studies and surveys are carried out and study/survey reports are published for use by targeted beneficiaries. In addition, technical laboratories may be set up or cause to be set up and also provide technical services including advisory and consultancy services.

This component is executed by NHB with its own man-power and also with services of outsourced experts and under this scheme, 100% financial assistance is provided through Nodal Organizations viz. NHB itself, State Governments/UTs and Organizations under it, Central Government Organizations/Agencies and other Organizations such as Quality Council of India/ NHRDF, etc.

An amount of Rs. 34.59 lakh has been incurred under Horticulture Promotion Service Scheme and Rs. 1110.08 lakh incurred under Mission Management & Administrative Expenses for Head Office.

HIGHLIGHTS : 2019-20

1. Promotion of Commercial Horticulture

- a) **Commercial Horticulture - Open Cultivation:** 124 commercial horticulture projects of various fruits, spices and aromatic plants in open cultivation conditions in project mode by providing subsidy of Rs. 783.91 lakh involving an area of 1443.95 acres.
- b) **Commercial Horticulture- Protected Cultivation of flowers and Vegetables:** 150 projects of flowers and vegetables under protected conditions by providing subsidy of Rs. 3758.40 lakh involving area of 235.95 acres.
- c) **Support to Post-Harvest Management**
 - i) 08 projects for creation of Grading packing units, Pack house, Cold Room etc. with an amount of Rs. 52.00 lakh.
 - ii) Primary Processing: 12 primary processing units of cashew, other F&V and raisin involving subsidy of Rs. 72.20 lakh.
 - iii) 05 ripening units, 03 reefer vans projects with an amount of Rs. 380.92 lakh
- d) **Quality Planting Material: Nursery:** 01 project for establishment of floriculture and vegetables seedlings nursery units by providing subsidy of Rs. 16.24 lakh involving area of 1.50 acres.
- e) **Supplementary activities:** 04 projects of Mushroom units involving a subsidy amount of Rs. 100.53 lakh.

2. Creation of Cold Storage Capacity

- a) NHB has assisted 34 Cold Storages/CA Stores involving a subsidy amount of Rs. 5779.14 lakh for creation of 287953.70 MT capacity.

3. Technology Development & Transfer for Promotion of Horticulture

- a) **Capacity building Programmes:** Organized/supported 68 programmes of various activities viz. Participation in Seminars/Symposia/Exhibitions, Technology Awareness, Mother Plant Nurseries.
- b) **Quality Planting Material:** System of Accreditation and Rating of fruit and vegetable nursery has been started since 2008-09. During the year 2019-20, Board has accredited 290 nurseries.

4. Meeting with Members of Confederation of Indian Horticulture (CIH) and All India Commodity Growers' Associations held on 17.06.2019 at NHB, Gurugram under the Chairmanship of Secretary (AC&FW), Govt. of India



5. Rajbhasha Conference on 20th February, 2020 organized by NHB. Prof. P. C. Tandon, Deptt. of Hindi, Delhi University was the Chief Guest & Speaker



6. Farmer Interaction meeting cum Training on Vegetables at Car Nicobar



7. Entrepreneurship Development Programme on value chain in Coconut at ICAR-CPCRI Kasargod, Kerala



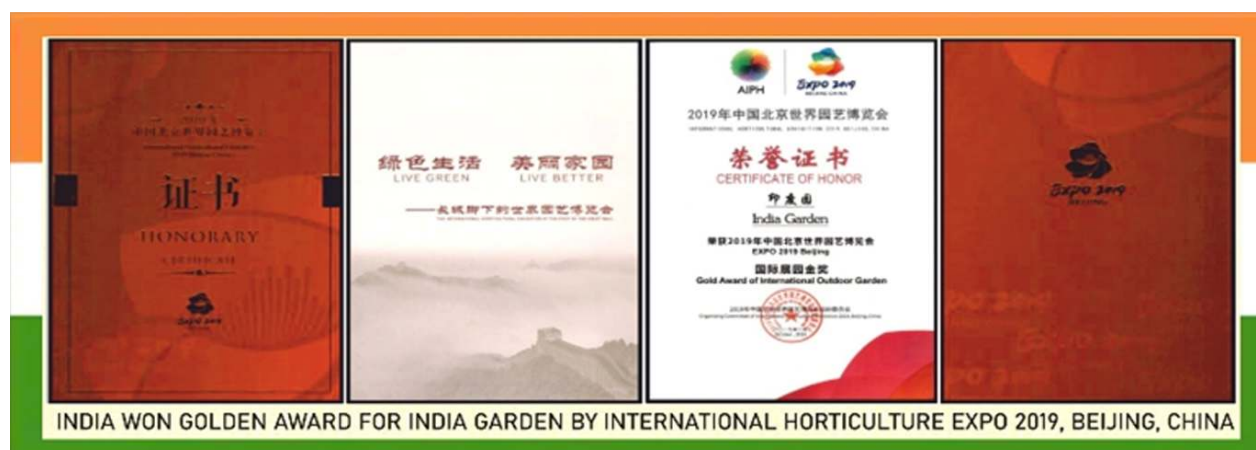
8. Special Projects:

i. India Garden at International Horticulture Exhibition, 2019, Beijing China:

As per directions of Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India, India Garden was set up by National Horticulture Board at International Horticulture Exhibition, 2019, Beijing, China, under the theme Live Green, Live Better. The Beijing Expo 2019 was held in Yanqing District of Beijing from April 29 to October 7, 2019. This was one of the highest-level A1 category World Horticultural Exposition.

The Beijing Expo covered a total area of 503 hectares welcoming the large number of countries, who actively participated in the said Expo. Managing Director, National Horticulture Board was the Commissioner General of India Section of the Expo.

The India Garden has been recognized with Golden Award in the Outdoor Category of International Horticulture Exhibition, 2019, Beijing, organized by the Government of China.



ii. Saffron Park Project, Pampore, UT of Jammu & Kashmir :

In order to have economic revival of J&K Saffron, Ministry of Agriculture, Government approved a National Saffron Mission (NSM) Programme. The component of Quality Testing and Marketing under the said programme (one of the 11 components of National Saffron Mission i.e. Saffron Park Project) was to be implemented by National Horticulture Board (NHB). The National Horticulture Board was assigned the task to help Union Territory of J&K in getting this Saffron Park established and responsibility for operation of the Park lies with the Union Territory of J&K. The Foundation Stone of the project was laid by Hon'ble Union Agriculture Minister on 23.08.2014.

Most of the components of Saffron Park have been completed by the CPWD and the Project Management Consultant (PMC). The Chief Secretary, Jammu and Kashmir has been informed about the developments of Project work and on the need for expeditious operationalization of the infrastructure for commercial development of saffron global brand and for enhanced net incomes of saffron farmers, boosting economy of the area. The Government of Union Territory (J&K) has constituted a body- International Kashmiri Saffron Trade Centre (IISKSTC), Pampore to operationalize the park.

The Handover of Saffron Park was proposed in the last week of March, 2020, however, it could not be handed over in view of the current situation of COVID-19.



Objectives of the National Horticulture Board

- i) Development of hi-tech commercial horticulture in identified belts and make such areas vibrant with horticultural activity, which in turn will act as hubs for development of horticulture
- ii) Development of modern post-harvest management infrastructure as an integral part of area expansion projects or as common facility for cluster of projects
- iii) Development of integrated, energy efficient cold chain infrastructure for fresh horticulture produce,
- iv) Popularization of identified new technologies/tools/techniques for commercialization / adoption, after carrying out technology and need assessment
- v) Assistance in securing availability of quality planting material by promoting setting up of scion and root stock banks / mother plant nurseries and carrying out accreditation / rating of horticulture nurseries and need based imports of planting material.
- vi) Promotion and market development of fresh horticulture produce.
- vii) Promotion of field trials of newly developed/imported planting materials and other farm inputs; production technology; PHM protocols, INM and IPM protocols and promotion of applied R&D programmes for commercialization of proven technology.
- viii) Promotion of Farm Mechanization in Horticulture through demonstration and its uses at farmers field level to reduce labour cost and increase the productivity of Horticulture crops.
- ix) Promotion of applied R & D for standardizing PHM protocols, prescribing critical storage conditions for fresh horticulture produce, bench marking of technical standards for cold chain infrastructure etc.,
- x) Transfer of technology to producers/farmers and service providers such as gardeners, nurserymen, farm level skilled workers, operators in cold storages, work force carrying out post harvest management including processing of fresh horticulture produce and to the master trainers.
- xi) Promotion of consumption of horticulture produce and products.
- xii) Promoting long distance transport solution for bulk movement of horticulture produce through rail etc.,
- xiii) Carrying out studies and surveys to identify constraints and develop short and long term strategies for systematic development of horticulture and providing technical services including advisory and consultancy services.

Annexure-II

Board of Directors of National Horticulture Board (as on 31.03.2020)

Sr. No.	Name, Designation, Telephone No. and E-mail ID of Official Member	Status
1.	Shri Narendra Singh Tomar, Hon'ble Union Minister for Agriculture & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India Krishi Bhawan, New Delhi Ph:011-23383370/23782691/ 23384129 Email: am.krishi@nic.in	President (Ex-officio)
2.	Shri Parshottam Rupala, Hon'ble Minister of State for Agriculture & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India Krishi Bhawan, New Delhi Ph: 011-23782343/23782565 E-mail: mos.krishi@nic.in	Vice-President (Ex-officio)
3	Shri Sanjay Agarwal Secretary, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, Krishi Bhavan, New Delhi Ph: 011-23382651/ 23388444 Email: secy-agri@nic.in	Member (Ex-officio)
4	Dr. Trilochan Mohapatra, Director General, Indian Council of Agriculture Research, Krishi Bhawan, New Delhi Ph:011-23382629-476/ 25841976/23386711/ 25843190 (R) Email: dg.icar@nic.in	Member (Ex-officio)
5	Smt. Vasudha Mishra Special Secretary (Hort), Department of Agriculture Coop.& Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, Krishi Bhavan, New Delhi Ph: 011-23382219 Email: ascc-agri@nic.in	Member (Ex-officio)
6	Shri B. Pradhan Special Secretary & Financial Advisor, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, Krishi Bhavan, New Delhi Ph: 011-23381363/23382532 Email: b.pradhan@nic.in & asfa-agri@gov.in	Member (Ex-officio)

7	Smt. Pushpa Subrahmanyam Secretary Ministry of Food Processing Industry (MoFPI), Pancheel Bhawan, August Kranti Marg, New Delhi – 110 049 Ph: 011-26492476 Email: secy.mofpi@nic.in	Member (Ex-officio)
8	Shri Rajbir Singh, Joint Secretary & Mission Director, Mission for Intergraded Development of Horticulture (MIDH) Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, Krishi Bhavan, New Delhi Ph: 011-23382444/ 23073779 Email: jsmidh-agri@gov.in	Member (Ex-officio)
9	Dr. B.N.S. Murthy Horticulture Commissioner, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, Krishi Bhavan, New Delhi Ph: 011-23381012/23383712 Email: hortcommissioner@gmail.com	Member (Ex-officio)
10	Shri Paban K. Borthakur Chairman, Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), Siri Institutional Area, 3rd Floor , NCUI Building, August Kranti Marg, New Delhi Ph: 011-26513167 Email: chairman@apeda.gov.in	Member (Ex-officio)
11	Dr. J.P. Mishra, Adviser (Agriculture), Niti Ayog, New Delhi Ph: 011-23096796 Email: adviser.agri-pc@nic.in	Member Ex-officio
12	Shri Annasaheb M.K. Patil, Former Member of Parliament, Chalisgoan, Dist- Jalgoan- Maharashtra Mob: 09970095550 Email: annasaheb.mkpatil@yahoo.com	Non-Official Member

13	Shri Baldev Singh Bhandari V.P.O- Jaman Ki Ser, Tehsil- Pachhad, District- Sirmaur, Himachal Pradesh- 173024 Mob: 09418048582/ 09816048582 Email: baldevbhandaribjp@gmail.com	Non-Official Member
14	Shri Ved Prakash Sharma, D-33, Dwarkapuri, Near Khedapati Mandir, Gwalior-474002, Madhya Pradesh Mob: 09826216038 Email: vedprakash98262@gmail.com	Non-Official Member
15	Shri Chodaraju Satya Krishnam Raju Tetagunta, Tuni Mandal, East Godavari District, Andhra Pradesh- 533406 Mob: 09440238555 Email: tetagunta@gmail.com	Non-Official Member
16	Shri Bansi Lal Gurjar Village Lalghati, P.O. Sabakheda, Tehsil & District Mandsaur (Madhya Pradesh) Mobile : 09425105258, 09425105648 Email : gurjar.banshilal@gmail.com	Non-Official Member
17	Dr. Sanjay Sharma, Karun Nursing Home, Mantedi, Ambala – 134003 (Haryana) Mobile : 09416028501, 07988661769, (Ph : 0171-2855001) Email : sanjay65dr@gmail.com	Non-Official Member
18	Shri Gary T. Haokip H-56, Republic Mual Veng Aizwal, Mizoram – 796001 Mobile : 09436354457	Non-Official Member
19	Shri Rakesh Kumar Sharma Village Budhan (Lower), P.O. Pairwin, Tehsil Barsar, District Hamirpur (Himachal Pradesh) Mobile : 09418600199 Email : rakeshsharmaabvp@gmail.com	Non-Official Member

20	Shri S.N. Rajanna, Singanayakanahalli Yelahanka Hobli, Bangalore – 560064 (Karnataka) Mobile : 09845085779	Non-Official Member
21	Dr. Sunil Pareek, Associate Professor (PHT) Department of Agriculture & Environment Sciences, National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management (NIFTEM) Plot No. 97, Sector 56, HSIIDC Industrial Estate, Kundali, Sonapat – 131028 (Haryana) Mobile : 09414821483, 07056721483 Email : sunil_ciah@yahoo.co.in , sunilpareek@niftem.ac.in , sunilpareek@gmail.com , sunil.pareek@gmail.com	Non-Official Member
22	Shri Hukumchand Patidar, Village Maanpura, Tehsil Asnawar, District Jhalawad (Rajasthan) Mobile : 09461951154	Non-Official Member
23	Shri Bandla Srinivas Managing Director, NHB, Gurugram Ph: 0124-2342992, Email : md@nhb.gov.in	Member Secretary (Ex-officio)

Annexure-III

The Managing Director is the Principal Executive of the National Horticulture Board. Dr. Mohammed Ariz Ahammed & Shri B. Srinivas were the Managing Directors of the Board during 01.04.2018 to 31.10.2019 and 01.11.2019 to 31.03.2020 respectively. The Board has its Head Office at Gurugram and 29 State Centres located all over the Country. The Managing Director is assisted by Technical and Administrative Divisions. The total regular sanctioned posts in the Board are 155.

Details of Sanctioned, filled and vacant posts as on 31.03.2020

S. No.	Name of the post	Level & Pay Matrix		Present Position		
		Pay Level	Pay Matrix	No. of posts sanctioned	Filled	Vacant

Group 'A'

1.	Managing Director	14	144200-218200	1	1	-
2.	Deputy Managing Director	13-A	131100-216600	1	-	1
3.	Director (Personnel)	12	78800-209200	1	-	1
4.	Joint Director	11	67700-208700	5	5	-
5.	Joint Director (F&A)	11	67700-208700	1	-	1
6.	Deputy Director	10	56100-177500	30	27	3
7.	Deputy Director (Information System)	10	56100-177500	1	1	-
	Total			40	34	6

Group 'B'

1.	Accounts Officer	7	44900-142400	1	1	-
2.	O. L. Officer	7	44900-142400	1	1	-
3.	Sr. Administrative Officer	7	44900-142400	3	3	-
4.	Technical Officer (Computer)	7	44900-142400	2	2	-
5.	Jr. Translation Officer	6	35400-112400	1	1	-
6.	Sr. Horticulture Officer	6	35400-112400	18	12	6
7.	Administrative Officer	6	35400-112400	1	-	1
8.	Sr. Accountant	6	35400-112400	2	2	-
9.	Horticulture Officer	6	35400-112400	17	-	17
10.	Jr. Accountant	6	35400-112400	2	2	-
	Total			48	24	24

Group 'C'

1.	Personal Executive	4	25500-81100	5	1	4
2.	Computer Executive	4	25500-81100	7	7	-
3.	Lower Division Clerk	2	19900-63200	5	3	2
4.	Hindi Typist	2	19900-63200	1	1	-
5.	Driver	2	19900-63200	3	1	2
6.	Electrician	2	19900-63200	1	1	-
7.	Messenger/MTS	1	18000-56900	40	35	5
8.	Budder Grafter	1	18000-56900	5	5	-
	Total			67	54	13

Detail

S. No.	Group	Posts sanctioned	Filled	Vacant
1.	Group "A"	40	34	6
2.	Group "B"	48	24	24
3.	Group "C"	67	54	13
	Total	155	112	43

In addition 18 nos. of Temporary Status (Messenger/MTS) are employed.

Annexure-IV

List of Field Offices of National Horticulture Board along with their Complete Address

Sr. No.	Name & Address of the Centers
01	National Horticulture Board 416 Devnandan, Opp. Sanyas Ashram, Ellis Bridge, Ashram Road, Ahmedabad-380006 (Gujarat) Tele/Fax :079-29705413, 26585413 E-mail: gj.nhb@gov.in
02	National Horticulture Board No.14/43, 2nd Floor, 1 & 2 Stage Industrial Suburb, Tumkur Road, Yeshwantpur, Bangalore-560 022 Tele/Fax 080-23371935, 23374149 E-mail: ktk.nhb@gov.in
03	National Horticulture Board R-24, 2nd Floor, Near Hindustan Times MP Nagar, Zone-1, Bhopal – 462011 Tele/Fax :0755 –2761741 Email: mp.nhb@gov.in
04	National Horticulture Board N-1/7, I.R.C. Village, Nayapalli, Opp. CRPF Gate Bhubaneshwar- 751015 Tele/Fax :0674-2558134,2559620 Email: odisha.nhb@gov.in
05	National Horticulture Board Room No. 317, 4th Floor Central Facility Building, APMC Fruit Market Complex, Sector-19, Turbhe Vashi, Navi Mumbai- 400703 Tele/Fax 022-27830107 E-mail: mh.pune.nhb@gov.in
06	National Horticulture Board Mayukh Bhawan, 2nd Floor, Salt Lake, Sector-II Kolkata -700091 Tele/Fax: 033-29861049, 23211259 E-mail: wb.nhb@gov.in

07	National Horticulture Board S.C.O. 85, 2nd Floor, Sector - 40-C Chandigarh-160 047 Tele/Fax :0172-2625249, 2625269 E-mail: chd.nhb@gov.in
08	National Horticulture Board 19-22, (Garage) Krishi Bhawan New Delhi-11001 Tele/Fax 011-23097015,23073019 E-mail: delhi.nhb@gov.in
09	National Horticulture Board Chang Choop Building, Near Nayuma Television, Tibet Road, Gangtok-737 101 Tele/Fax :03592-208453,220975 E-mail: sikkim.nhb@gov.in
10	National Horticulture Board Chhibber House, 4th Floor, Dispur P.O., Guwahati-781 005 Tele/Fax :0361-2343719, 2340695 E-mail: assam.nhb@gov.in
11	National Horticulture Board No.2, 5-9-195, William Niwas, Chirag Ali Lane, ABIDS, Hyderabad-500 001 Tele/Fax :040-23200806, 23201140 E-mail: ts.nhb@gov.in
12	National Horticulture Board Second Floor, Modak Priyay, Plot No. 16 & 17, Near New, Atish Market, Shipra Path, Mansarovar, Jaipur 302 020 Tele/Fax :0141-2399405, 2390818 E-mail: rj.nhb@gov.in
13	National Horticulture Board C/o, Director of Horticulture 2, Sapru Marg Udyan Bhawan Lucknow-226001 Tele/Fax 0522-2623374/2202420,4072096 E-mail: up.lko.nhb@gov.in
14	National Horticulture Board Module No.37, 2nd Floor, SIDCO Readymade Garment Complex, Industrial Estate Guindy, Chennai-600 032 Tele/Fax :044-22501151/22500965 E-mail: tn.nhb@gov.in

15	National Horticulture Board 401, 4rth Floor, Lotus Plaza, Near Lakshmi Bhavan, Old Post Office Road. Gokulpeth, Nagpur-440 010 Tele/Fax :0712-2525030,2523110 E-mail: mh.ngp.nhb@gov.in
16	National Horticulture Board Room No 501, 502, 5th Floor, Boring Road, Verma Centre Patna-800 001, Tele/Fax :0612-2541218,2541128 E-mail: bihar.nhb@gov.in
17	National Horticulture Board HPMC, 2nd Floor, Nigam Vihar, Shimla-171 002, Tele/Fax: 0177-2622908/2623801 E-mail: hp.nhb@gov.in
18	National Horticulture Board Horticulture Complex Rajabagh Srinagar-190008 Tele Fax 0191-2474349 (PP), E-mail: jk.nhb@gov.in
19	National Horticulture Board No. UR-10, Uppalam Road, Statue, Thiruvananthapuram-695001 Tele/Fax : 0471-2470505, 2470506 E-mail: kerala.nhb@gov.in
20	National Horticulture Board Minicipal Stadium Complex Vijayawada-520010 Tele/fax: 0866-2473351 Email: ap.nhb@gov.in
21	National Horticulture Board Hall No 307, A-2, 3rd Floor South Block, Bahu Plaza Rail Head Complex, Jammu-180 004 Tele/Fax :0191-2474349, 2474112 E-mail: jk.nhb@gov.in
22	National Horticulture Board S. C. Panwar Market Yard, Commercial Complex No. 1, Peth Road Panchwati, Nashik-422003 Tele/Fax :0253-2974558, 2533715 E-mail: mh.nsk.nhb@gov.in

23	National Horticulture Board MCAER Building 132/B, Bhambhurda Bhosale Nagar, Pune-411 007 Tele/Fax : 020-25528582/83 E-mail: mh.pune.nhb@gov.in
24	National Horticulture Board C/O Deputy Director (Horticulture), Govt. of UP, Company Bagh, Kachahari, Varanasi- 221001 Mob.9598638136, 8004560584 E-mail: up.var.nhb@gov.in
25	National Horticulture Board Laxmi Niwas, Krishi Bhawan, Kankey Road, Ranchi-834 008 Tele/Fax :0651-2230132,2233832 E-mail: jh.nhb@gov.in
26	National Horticulture Board C/o, Directorate of Horticulture Room No. 13, 2nd Floor Kheti Bhawan, Ranjeet Evenue Amritsar- 143001 Tele/Fax 0183-2500236
27	National Horticulture Board Naveen Sabzi Mandi Ashthal, Krishi Utpadan Mandi Samiti, Niranjapur, Dehradun- 248171 Tele/Fax 0135-2761922,2762767,2725517 E-mail: uk.nhb@gov.in
28	National Horticulture Board H. No. 42, First Floor, Jal Vihar Colony, Near Rotary Club of India, Telibandha Raipur-492001 Tele/Fax :0771-2423992 E-mail: cg.nhb@gov.in
29	National Horticulture Board C/o Regional Institute of Rural Development, Delhi-Saharanpur Road, Baraut- 250611 E-mail: up.brt.nhb@gov.in

ANNUAL ACCOUNTS OF THE NATIONAL HORTICULTURE BOARD FOR THE YEAR 2019-20



भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), चण्डीगढ़
Indian Audit & Accounts Department
Office of The Principal Director of Audit (Central),
Chandigarh



सं/No: पी.डी.ए.(सी)/के. व्यय/SAR CUJ/2019-20/2020-21/ 3386

दि०/Dated: 26/3/2021

सेवा मे,

सचिव,
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,
भारत सरकार, कृषि भवन,
नई दिल्ली - 110001

विषय: National Horticulture Board, Gurugram के वर्ष 2019-20 के लेखाओं पर पृथक
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

महोदय,

कृपया National Horticulture Board, Gurugram के वर्ष 2019-20 के लेखाओं पर
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (Separate Audit Report) संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने
हेतु सलंग पायें। संसद में प्रस्तुत होने तक प्रतिवेदन को गोपनीय रखा जाए।

संसद में प्रस्तुत करने के उपरांत प्रतिवेदन की पांच प्रतियाँ इस कार्यालय को भी भेज दी
जाएँ।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,

संलग्न: उपरोक्त अनुसार

हस्ता/-

प्रधान निदेशक

✓ उपरोक्त की प्रतिलिपी वर्ष 2019-20 की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति सहित आवश्यक
कार्यवाही हेतु Managing Director, National Horticulture Board, Gurugram, Plot No. 85,
Institutional Area, Sector 18, Gurugram, Haryana 122015 को प्रेषित की जाती है।

भवदीया,

उप निदेशक (केन्द्रीय व्यय)

**Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts
of the National Horticulture Board, Gurugram for the year ended 31 March 2020**

We have audited the Balance Sheet of the National Horticulture Board, Gurugram as at 31 March 2020, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 20 (1) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971. The audit has been entrusted from 2017-18 to 2021-22. National Horticulture Board has 25 operational accounting branch units, out of which 10 branch units were audited during the year 2019-20. These financial statements are the responsibility of the Board's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/ CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

- i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance, Government of India.
- iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by National Horticulture Board, Gurugram in so far as it appears from our examination of such books.
- iv) We further report that:

A. General

As per Clause 12 of Schedule 24 relating to Significant Accounting Policies of Uniform Format of Accounts for Central Autonomous Bodies and AS 15 issued by ICAI on retirement benefits, provisions for retirement benefits such as gratuity and leave encashment is to be made on actuarial basis. Though provisions for gratuity and leave encashment have been made in the accounts, the same have not been made on the basis of actuarial valuation.

B. Grants in Aid

Out of total Grant of ₹ 197.72 crore (including unspent balance of ₹ 159.62 crore of the previous year, Grant received during the year 2019-20 of ₹ 29.00 crore and Board's Misc. receipts of ₹ 9.10 crore), the Board utilized a sum of ₹ 135.25 crore and refunded ₹ 11.38 crore to the Government, leaving a balance of ₹ 51.09 crore as un-utilized, as on 31.03.2020.

C. Management letter

Deficiencies which have not been included in the Audit report have been brought to the notice of the Board's management through a management letter issued separately for remedial/ corrective action.

v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:

- In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of National Horticulture Board, Gurugram as at 31 March 2020; and
- In so far as it relates to Income & Expenditure Account, of the deficit for the year ended on that date.

For and on behalf of the C & AG of India



Principal Director of Audit
(Central), Chandigarh

Place: Chandigarh

Date: 26/3/21

Annexure to Separate Audit Report

1. Adequacy of Internal Audit System

The internal audit of NHB, Gurugram for the year 2019-20 was conducted by a firm of Chartered Accountants. The compliance to the observations raised by the Internal Auditor is awaited.

2. Adequacy of Internal Control System

The internal control is considered inadequate in view of the following:

- (i) The Board has not prepared its accounting manual.
- (ii) As per clause 10(i) of the Rules and Regulations of the Board, the Managing Committee shall meet at least once in every three months and otherwise at such places as may be determined by the Chairman or the Managing Committee. During the year 2019-20, only two meetings (09.07.2019 and 26.02.2020) of the Managing Committee were held in violation of the above rules.
- (iii) Utilization certificates in respect of 2 cases involving subsidy of ₹15.38 lakh were pending to be received from banks/Financial institutions by the Ahmedabad Centre. Similar instances of non-receipt of Utilization certificates were also noticed in Pune Centre (8939 cases).
- (iv) Many Earnest Money Deposits were pending since long.
- (v) Physical verification of cash at the year-end was not recorded in the cashbook of Ahmedabad Centre by the verifying officer.
- (vi) Expenditure control register, advance register and TA bill register were not maintained by the Bhopal Centre.

3. Physical verification of Fixed Assets

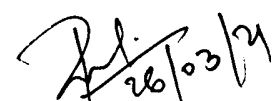
Physical verification of Fixed Assets had been done during the year 2019-20. However, Physical verification of Library books had not been conducted after 3.09.2015.

4. Physical verification of Inventory

Physical verification of Inventories had been done during the year 2019-20.

5. Statutory dues

The Board was regular in depositing the statutory dues, except that the NHB Pune Centre had deposited ₹ 17,997/- as per IT Return against the deducted TDS of ₹ 20,759/- as per the statement provided by the Centre and TDS collected of ₹ 20,364/- as per the Cash Book.



Deputy Director

**NATIONAL HORTICULTURE BOARD
GURUGRAM
BALANCE SHEET
AS AT MARCH 31, 2020**

(Amount in ₹.)

PARTICULARS	SCH No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
CORPUS/ CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
CORPUS / CAPITAL FUND	1	2,001,123,967	3,036,696,159
RESERVES AND SURPLUS	2	-	-
EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	3	10,644,752	29,381,755
SECURED LOANS AND BORROWINGS	4	-	-
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5	-	-
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	-	-
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	433,528,370	373,733,796
TOTAL		2,445,297,089	3,439,811,710
ASSETS			
FIXED ASSETS	8	21,108,522	21,587,207
INVESTMENTS- FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	9	-	-
INVESTMENTS - OTHERS	10	-	-
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES	11	2,424,188,567	3,418,224,503
MISCELLANEOUS EXPENDITURE (To the extent not written off or adjusted)		-	-
TOTAL		2,445,297,089	3,439,811,710
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

Place : GURUGRAM
Date : 24.08.2020

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Joint Director (Admin.)/HOO

Sd/-
Accounts Officer

**NATIONAL HORTICULTURE BOARD
GURUGRAM
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2020**

(Amount in ₹.)

PARTICULARS	SCH No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INCOME			
Income from Sale & Services	12	9,355,761	5,254,090
Grants/ Subsidies	13	275,000,000	2,600,000,000
Fees/ Subscriptions	14	-	-
Income from Investments (Income on Invest. From earmarked/ endow. Funds transferred to funds)	15	-	-
Income from Royalty, Publication etc.	16	375	4,675
Interest Earned	17	155,348,519	192,891,682
Other Income	18	9,364,973	14,595,834
Increase/ (Decrease) in stock of finished goods and WIP	19	-	-
TOTAL (A)		449,069,628	2,812,746,280
EXPENDITURE			
Establishment expenses	20	99,205,411	100,902,572
Other Administrative Expenses etc.	21	23,410,765	21,540,516
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	1,215,754,212	2,695,867,719
Interest	23	-	2,807
Expenditure for Application Fund & Scheme Brochure	12A	28,413,368	26,742,339
Depreciation (Net total at the year end - corresponding to Sch 8)	8	3,808,288	3,367,441
TOTAL (B)		1,370,592,044	2,848,423,394
Balance being excess of Income over Expenditure (A - B)			
- For the Funds other than Cost of application & Processing Fee		(902,464,808)	(14,188,865)
- Cost of application & processing Fee		(19,057,607)	(21,488,249)
Transfer to Provision for Doubtful Debts(Reverse)		(11,874,630)	(20,546,688)
BALANCE BEING SURPLUS/ (DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND FOR OTHER THAN APPLICATION FORM AND SCHEME BROCHURE AMOUNT		(890,590,178)	6,357,823
BALANCE BEING SURPLUS/ (DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/ CAPITAL FUND FOR APPLICATION & PROCESSING FEE		(19,057,607)	(21,488,249)
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

Place : GURUGRAM
Date : 24.08.2020

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Joint Director (Admin.)/HOO

Sd/-
Accounts Officer

NATIONAL HORTICULTURE BOARD RECEIPTS AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.3.2020 (Amount in ₹.)

RECEIPTS	2019-20		2018-19		PAYMENTS		2019-20		2018-19	
	Current Year		Previous Year				Current Year		Previous Year	
I. Opening Balances					I. Expenses (from the Budget of Mission Management & Administrative Expenses)					
a) Cash in hand	66,370		57,686		a) Establishment Expenses HO		83,859,880		101,519,725	
b) Bank Balances					b) Administrative Expenses HO		23,840,085		21,547,135	
i) in current accounts	-		-		II. Payments made against funds for Various Schemes	NHB Schemes				
ii) in deposit accounts	1,001,900,000		990,000,000			Other than				
iii) in saving accounts	1,784,145,757		2,133,812,447			NE States				
iv) in deposit accounts (processing fee / Cost of Application form & scheme broucher A/c) "	349,200,000		349,000,000							
II. Grants Received					i) Development of Commercial Horticulture through Production and Post - Harvest Management					
a) From Government of India					--Subsidy	508,270,053	7,656,000	515,926,053	1,550,052,141	
i) For NHB schemes					- Legal & Professional Charges	355,500		355,500	490,223	
- For other than NE states										
- From NHB Budget	275,000,000		2,600,000,000							
- For NE states	-		-		ii) Capital Investment Subsidy for Constrn/Modernization/					
ii) For NHM schemes :					Expansion of Cold Storage and Storages for Hort. Prod	543,913,800	34,000,000	577,913,800	927,156,000	
- For TSG component	15,000,000		20,000,000		--NHB Scheme					
iii) For NBM schemes	-		3,000,000		iii) Technology Development and Trfr for Promotion of Hort	16,649,101	4,563,108	21,212,209	28,766,440	
					iv) Market Information Services for Horticulture Crops	-			1,958,186	
iv) For MFPI schemes					v) Horticulture Promotion Services	3,459,459	-	3,459,459	1,008,230	

RECEIPTS	2019-20	2018-19	PAYMENTS	2019-20	2018-19
	Current Year	Previous Year		Current Year	Previous Year
	-	-	- vi) Mission Management & Administrative Expenses		
			a Establishment Expenses-Centres	61,386,805	63,635,259
			b Administrative Expenses-Centres	28,432,925	27,961,924
v) For National Mission On Saffron schemes	-	-	- Total	1,162,467,642	46,219,108
			vii) Expenses For China Garden at China		
b) From State Government	-	-	- viii) National Bamboo Mission (Support Services)	6,855,715	94,263,602
			ix) National Horticulture Mission (TSG)	1,450,183	1,355,423
				19,745,834	21,940,922
III. Income on Investments from					
a) Earmarked/Endow. Funds	-	-	- x) National Mission on Saffron	3,202,866	22,121,239
b) Own Funds (oth. Investment)			xi) MoFPI	14	7
IV. Interest Received			III. Investments & Deposits made		
a) On Bank deposits & Saving Bank Accounts for			a) Out of Earmarked/Endowment funds		
-NHB Funds	126,096,385	164,202,704	b) Out of Own funds (Investments-Others)		
-Application Funds	27,366,328	26,546,219			
-NHM Funds	271,385	460,456			
-NBM Funds	59,471	44,923	IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-Progress		
-HMNEH Funds	-	-			
-MoFPI Funds	47	44	a) Purchase/Additions to Fixed Assets		
-National Mission on Saffron Funds	429,794	1,937,406	i) From the Budget of Mission Management & Administrative Expenses - HO	2,855,292	3,002,732

RECEIPTS	2019-20	2018-19	PAYMENTS	2019-20	2018-19
	Current Year	Previous Year		Current Year	Previous Year
b) Loans, Advances etc.			ii) From the Budget of Mission Management & Administrative Expenses - Centre	802,805	417,100
			b) Expenditure on Capital Work-in-Progress		
V. Other Income (Specify)			V. Refund of Surplus money/Loan		
Rent from IOB	433,600	253,162	a) To the Government of India		
Income Tax Refund	-	-	- HMNEH		-
Cost of Application form & scheme broucher	9,355,761	5,254,090			-
Misc. Receipts	9,040,147	14,238,946	- Departemnt of Agricultural & Coop		
Earnest Money Deposit-NHB	250,000	260,000	from Internal Accruals	104,329,649	-
Earnest Money Deposit-Saffron Park	-	-	from Grant in Aid	505,923	326,363,178
Security Deposit	218,560	-	b) To the State Government	8,956,000	-
Scrutiny fees cold storage Recovered- App Fee	-	-	c) To the other providers of funds		-
			VI. TDS DEDUCTED AT SOURCE BY BANK	9,325,443	12,373,735
VI. Amount Borrowed	-	-	VII. Other Payments (Specify)		
			Advance to Staff	452,337	332,105
VII. Any other receipts (give details)			Earnest money refunded - NHB	-	570,000
a) Recovery of staff advance (Incl. Intt.)			Earnest money refunded - Saffron Park	710,000	380,000

RECEIPTS	2019-20	2018-19	PAYMENTS	2019-20	2018-19
	Current Year	Previous Year		Current Year	Previous Year
b) Recovery of Loan under NHB Scheme	11,874,630	20,546,688	Prepaid Expenses	1,177,188	310,238
c) Unspent funds received back from beneficiaries under various schemes to whom funds were released in previous years under NHB Schemes			Expenditure on behalf of NOVOD Board	1,688,950	1,730,645
			Subsidy recoverable	-	875,000
			Receivable IOB	14,687	6,857
			VIII. Payments from Cost of Application Form & Scheme brochure		
- For NE States			- Payment to Contractual Data Entry Operators	12,064,997	10,750,001
- For Other than NE States	34,245,136	40,909,290	- Scrutiny fees cold storage	1,867,985	1,485,900
			- Travelling Expenses & consultancy fees of Experts	336,929	878,483
d) Recovery from Others	1,262,338	-	- Payment for NHB Publication	104,270	200,410
			- AMC Website & software	2,575,486	2,341,350
VIII. REFUND OF TDS DEDUCTED BY BANK ON FDR- NHB	-	-	- Bank Charges	176,117	54,266
IX. REFUND OF TDS DEDUCTED BY BANK ON FDR (Application Fee)	-	-	- Pay and Allowances (30%)	10,813,964	10,599,977
			- Payment for Leasehold shops	473,620	431,952
X. NOVOD Board	2,430,681	2,090,963	-Solar Panel - Roof Top -HO	-	422,512
			-Repair & Maintenance-Leasehold Shop		-
			IX. Closing Balances		
			a) Cash in Hand		
			At Head Office	4,643	
			At NHB Centres	85,652	66,370
			b) Bank Balances		

RECEIPTS	2019-20 Current Year	2018-19 Previous Year	PAYMENTS				2019-20 Current Year	2018-19 Previous Year
			i) In current accounts					
			ii) In deposit accounts (NHB's internal accrual amount)				1,065,298,777	1,001,900,000
			iii) In deposit accounts (processing fee Amount)/Cost of Application form & Scheme broucher				358,200,000	349,200,000
			iv) In Saving accounts					
			-At NHB Centres - Imprest amount			11,503,989		
			-At NHB Centres - Subsidy amount			146,707		
			-At NHB Centres-Cost of Application form & Scheme broucher			40,134		
			- At Head Office					
			- For NHB Schemes & internal accruals			624,108,464		
			- For Cost of Application form & Scheme broucher			71,813,424		
			- For NHM Schemes			4,255,090		
			- For NBM Schemes			429,145		
			-MoFPI Funds			1,385		
			- For National Mission on Saffron			5,601,212		
			- For NHM Delhi centre			191,130		
			- For NBM Delhi centre			93,670	718,184,349	1,784,145,757
Total	3,648,646,391	6,372,615,024	Total				3,648,646,391	6,372,615,024

Place : GURUGRAM
Date : 24.08.2020

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Joint Director (Admin.)/HOO

Sd/-
Accounts Officer

Receipt & Payment Account Establishment Expenses for the year 2019-20

SCHEDULE -1

(Amount in ₹.)

Sr. No.	Particulars	2019-20	2018-19
1	EPF Board' contribution	12,888,229	12,734,687
2	Leave Encashment	3,663,490	9,455,369
3	LTC Claim	670,299	814,865
4	Medical Reimbursement	5,319,334	7,021,369
5	Pay & Allowance	55,187,513	55,883,409
6	Staff Welfare	535,672	350,802
7	Bonus & other allowance	36,000	51,000
8	Children Education Allowance	1,089,938	575,132
9	Gratuity Paid During The Year	4,469,405	14,633,092
	TOTAL	83,859,880	101,519,725

Administrative Expenses for the year 2019-20

SCHEDULE -2

(Amount in ₹.)

Sr. No.	Particulars	2019-20	2018-19
1	Electricity & Water Charges	1,743,608	1,465,550
2	Short & Excess	0	(7)
3	Generator Running & Maintenance	930,125	692,551
4	Insurance	6,563	5,837
5	Repair & Maintenance	966,427	1,107,508
6	Security Charges & House Keeping Exp.	6,519,398	6,474,010
7	Vehicle Running & Maintenance	46,208	210,613
8	Postage, Telephone & Communication Charges	564,337	581,824
9	Printing & Stationary	1,962,454	1,357,012
10	Conveyance & Travelling	5,379,081	3,782,906
11	Newspaper & Periodicals	53,087	90,711
12	Office Expenses	361,294	363,399
13	Expenses on Meeting & Entertainment	236,215	340,143
14	Auditor Rumenration & Fees	949,910	1,086,339
15	Legal & Professional Charges	2,029,019	1,900,397
16	Advertisement & Publicity	335,005	66,194
17	Photocopy Charges	1,465,495	1,546,370
18	Property Tax	196,020	196,020
19	Misc expenses	-	20,200
20	Rajbhasha Promotion Expense	95,839	259,558
	TOTAL	23,840,085	21,547,135

**NATIONAL HORTICULTURE BOARD
GURUGRAM
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET
AS AT MARCH 31, 2020**

SCHEDULE -1

(Amount in ₹.)

CORPUS/ CAPITAL FUND :	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
Balance as at the beginning of the year				
a. For the Funds other than Processing Fee and Application form account	2,607,469,539		2,913,429,840	
Add/ (Deduct): Balance of net income/ (expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account	(890,590,178)		6,357,823	
Add: Reversal/(cancel) of Stale Cheques	-		-	
Add: Unspent/excess grant of prior years received back(at centre)	-		648,565	
Add: Unspent/excess grant of prior years received back(at Head Office)	34,245,136		39,960,725	
Less: Funds Remitted to Government of India	104,329,649		326,363,178	
Less: Income tax refund /TDS	-		-	
Less: Other Recoverable	-		-	
Less: Interest Payable to DAC & FW	55,839,894		-	
Less: Interest earned on Processing & Application fee	26,564,237	1,564,390,716	26,564,237	2,607,469,539
b. For Processing & Application Fee Account	429,226,621		424,150,633	
Add : Income tax refund/TDS	-		-	
Add : Other Recoverable	-		-	
Add : Interest earned on Processing & Application fee	26,564,237		26,564,237	
Add/ (Deduct): Balance of net income/ (expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account	(19,057,607)	436,733,251	(21,488,249)	429,226,621
BALANCE AT THE YEAR END		2,001,123,967		3,036,696,159

Place : GURUGRAM
Date : 24.08.2020

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Joint Director (Admin.)/HOO

Sd/-
Accounts Officer

SCHEDULE -2

(Amount in ₹.)

RESERVES AND SURPLUS :	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Capital Reserve :				
As per last Account	-		-	
Additions during the year				
Less: Deductions during the year				
	-		-	
2. Revaluatiuon Reserve :				
As per last Account	-		-	
Additions during the year				
Less: Deductions during the year				
	-		-	
3. Special Reserves :				
As per last Account	-		-	
Additions during the year				
Less: Deductions during the year				
	-		-	
4. General Reserve :				
As per last Account	-		-	
Additions during the year				
Less: Deductions during the year				
	-		-	
TOTAL		-		-

Place : GURUGRAM
Date : 24.08.2020

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Joint Director (Admin.)/HOO

Sd/-
Accounts Officer

NATIONAL HORTICULTURE BOARD GURUGRAM SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2020

SCHEDULE -3

(Amount in ₹.)

EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	FUND-WISE BREAK-UP				TOTAL	
	NHM Scheme	NBM Scheme	National Mission on Saffron	MoFPI Scheme	Current Year	Previous Year
a. Opening balance of the funds	9,381,669	1,958,450	17,330,284	1,352	28,671,755	48,346,517
Opening balance of the funds-EMD			710,000		710,000	1,090,000
b. Additions to the Funds					-	-
i. Grants/ Donations	15,000,000	-	-	-	15,000,000	23,000,000
ii. Income from funds (Interest on Saving a/c)	306,740	62,706	464,317	55	833,817	2,442,829
iii. Unspent grants received back from organisations	-	-	-	-	-	11,800,000
iv. Tender Fee	-	-	-	-	-	-
v. Earnest Money Deposit	-	-	-	-	-	-
TOTAL (a + b)	24,688,408	2,021,156	18,504,600	1,408	45,215,572	86,679,346
c. Utilisation/ Expenditure towards objectives of funds						
i. Capital Expenditure :						
- Fixed Assets	-	-	2,936,700	-	2,936,700	33,621,239
- Grants released for projects	-	-	-	-	-	-
	-	-	2,936,700	-	2,936,700	33,621,239
ii. Revenue Expenditure :						
- Salaries, Wages and allowances etc.	-	-	-	-	-	-
- Bank Charges	-	-	-	14	14	7
- Other Administrative expenses - TSG	19,745,834	1,450,183	266,166	-	21,462,183	23,296,345
- EMD Refunded	-	-	710,000	-	710,000	380,000
- Refund to MFPI/HMNEH/DAC	461,000	44,923	8,956,000	-	9,461,923	-
Total (c)	20,206,834	1,495,106	9,932,166	14	31,634,120	23,676,352
Grant Total	20,206,834	1,495,106	12,868,866	14	34,570,820	57,297,591
NET BALANCE AS AT THE YEAR END (a+b-c)	4,481,574	526,050	5,635,734	1,394	10,644,752	29,381,755

Note : Above net balances includes accrued interest.

Place : GURUGRAM
Date : 24.08.2020

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Joint Director (Admin.)/HOO

Sd/-
Accounts Officer

SCHEDULE -4

(Amount in ₹.)

SECURED LOANS AND BORROWINGS:	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Central Government		-		-
2. State Government (Specify)		-		-
3. Financial Institutions				
a. Term Loans		-		-
b. Interest accrued and due		-		-
4. Banks:				
a. Term loans				
- Interest accrued and due		-		-
b. Other loans (specify)				
- Interest accrued and due		-		-
5. Other Institutions and Agencies		-		--
6. Debentures and Bonds		-		--
7. Others (Specify)		--		--
TOTAL		-		-

SCHEDULE -5

(Amount in ₹.)

UNSECURED LOANS AND BORROWINGS:	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Central Government		-		-
2. State Government (Specify)		-		-
3. Financial Institutions				
a. Term Loans		-		-
b. Interest accrued and due		-		-
4. Banks:				
a. Term loans				
- Interest accrued and due		-		-
b. Other loans (specify)				
- Interest accrued and due		-		-
5. Other Institutions and Agencies		-		-
6. Debentures and Bonds		-		-
7. Others (Specify)		-		-
TOTAL		-		-

Note: Amounts due within one year

Place : GURUGRAM
Date : 24.08.2020

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Joint Director (Admin.)/HOO

Sd/-
Accounts Officer

SCHEDULE -6

(Amount in ₹.)

DEFERRED CREDIT LIABILITIES:	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a. Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets	-	-
b. Others	-	-
TOTAL	-	-

Note: Amounts due within one year

SCHEDULE -7

(Amount in ₹.)

CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS:	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
A. CURRENT LIABILITIES		
1. Acceptances	-	-
2. Sundry Creditors:		
a. For Goods	-	-
b. Others	-	-
3. Advances Received		
4. Interest accrued but not due on:		
a. Secured loans/ borrowings	-	-
b. Unsecured loans/ borrowings	-	-
	-	-
5. Statutory Liabilities:		
a. Overdue	-	-
b. Others	-	-
	-	-
6. Other current liabilities	60,184,854	3,197,399
TOTAL (A)	60,184,854	3,197,399
B. PROVISIONS		
1. For Taxation		-
2. Gratuity	101,132,758	95,787,496
3. Superannuation/ Pension		-
4. Accumulated leave Encashment	77,761,176	68,424,690
5. Trade Warranties/ Claims		-
6. Others - Doubtful Debts	194,449,582	370,536,397
TOTAL (B)	373,343,516	370,536,397
TOTAL (A + B)	433,528,370	373,733,796

Place : GURUGRAM
Date : 24.08.2020

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Joint Director (Admin.)/HOO

Sd/-
Accounts Officer

NATIONAL HORTICULTURE BOARD GURUGRAM

Place : GURUGRAM
Date : 24.08.2020

Sd/-
Joint Director (Admin.)/HOO

SCHEDULE -9

(Amount in ₹.)

INVESTMENTS FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Government Securities		--		--
2. Other approved securities		--		--
3. Shares		--		--
4. Debentures and Bonds		--		--
5. Subsidiaries and Joint Ventures		--		--
6. Others (to be specified)		--		--
TOTAL		--		--

SCHEDULE -10

(Amount in ₹.)

INVESTMENTS OTHERS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Government Securities		--		--
2. Other approved securities		--		--
3. Shares		--		--
4. Debentures and Bonds		--		--
5. Subsidiaries and Joint Ventures		--		--
6. Others (to be specified)		--		--
TOTAL		--		--

Place : GURUGRAM
Date : 24.08.2020

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Joint Director (Admin.)/HOO

Sd/-
Accounts Officer

SCHEDULE -11

(Amount in ₹.)

CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
A. CURRENT ASSETS				
1. Inventories:				
a. Stores and Spares	740,357		232,303	
b. Stamps in hand	-		-	
c. Stock in trade	-		-	
- Finished goods	-		-	
- Work in progress	-		-	
- Raw Materials	-	740,357	-	232,303
2. Sundry Debtors:				
a. Outstanding for a period exceeding six months	-		-	
b. Others		-		
			-	
3. Cash balances in hand (including cheques/ drafts etc)		90,295		66,369
4. Bank balances				
a. With Scheduled banks:				
- On Current Accounts			-	
- On Deposit Accounts				
Processing fee /Cost of Application form & Scheme broucher	358,200,000		349,200,000	
NHB's internal accrual	1,065,298,777		1,001,900,000	
- In Saving accounts (Head Office)	706,493,520		1,773,180,943	
- In Saving accounts-Imprest A/c(Centres)	11,503,989		9,831,424	
- In Saving accounts-SubsidyA/c (Centres)	146,707		1,093,508	
- In Saving accounts-Cost of application form & scheme broucher (centres)	40,134	2,141,683,126	39,882	3,135,245,757
b. With non-Scheduled banks:				
- On current accounts	-		-	
- On Deposit Accounts	-		-	
- On Saving accounts	-		-	
	-		-	
5. Post Office Savings Accounts		-		-
TOTAL (A)		2,142,513,779		3,135,544,429

CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS				
1. Loans and Advances				
a. Staff	2,849,194		2,387,947	
b. Other Entities engaged in activities/ objectives similar to that of the Entity	14,687		115,257	
c. Others : Soft Loan under schemes of the Board				
- Considered good and recoverable			-	
- Doubtful	171,879,681		181,879,681	
		174,743,561		184,382,885
2. Advances and other amounts recoverables in cash or in kind or for value to be received:				
a. On capital account	-		-	
b. Prepayment	403,194		310,238	
c. Deposits & Recoverable's	2,929,976	3,333,170	3,789,387	4,099,625
3. Income Accrued:				
a. On investments from Earmarked/ Endowment Fund	-		-	
b. On investments - FDR's				
Processing fee /Cost of Application form & Scheme broucher	1,186,454		1,390,900	
NHB's internal accrual	18,784,989		20,882,429	
c. On Saving accounts			-	
Processing fee /Cost of Application form & Scheme broucher	402,066		-	
NHB's internal accrual	3,776,380		-	
NHM's	35,355		-	
NBM's	3,235		-	
National Saffron Mission	34,523		-	
MoFPI	8		-	
d. On Soft loans				
- Considered good and recoverable	-		-	
- Doubtful	22,569,901		24,444,531	
(includes income due unrealised)				
		46,792,910		46,717,860
4. Claim Receivable (Tax Deducted at Source By Bank on Interest & Rent)		56,805,147		47,479,704
TOTAL (B)		281,674,789		282,680,074
TOTAL (A + B)		2,424,188,567		3,418,224,503

Place : GURUGRAM
Date : 24.08.2020

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Joint Director (Admin.)/HOO

Sd/-
Accounts Officer

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2020

SCHEDULE -12

(Amount in ₹.)

INCOME FROM SALES/ SERVICES	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Income from sales:				
a. Sale of Finished Goods	-		-	
b. Sale of Raw Materials	-		-	
c. Sale of Scrap	-		-	
	-		-	
2. Income from Services:				
a. Processing charges	-		-	
b. Cost of Application Form & Scheme Broucher	9,355,761	9,355,761	5,254,090	5,254,090
TOTAL		9,355,761		5,254,090

SCHEDULE -12A

(Amount in ₹.)

Expenditure for Application Fund & Scheme Brochure	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Expenses for Application Form & Scheme Broucher		28,413,368		26,742,339
TOTAL		28,413,368		26,742,339

SCHEDULE -13

(Amount in ₹.)

GRANTS/ SUBSIDIES (Irrevocable grants and subsidies received)	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Central Government				
Planned expenditure				
From NHB Budget	275,000,000		2,600,000,000	
Non planned expenditure	-	275,000,000	-	2,600,000,000
2. State Government (s)		-		-
3. Government Agencies		-		-
4. Insitutions/ Welfare Bodies		-		-
5. International Organisations		-		-
6. Others (Specify)		-		-
TOTAL		275,000,000		2,600,000,000

Place : GURUGRAM
Date : 24.08.2020

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Joint Director (Admin.)/HOO

Sd/-
Accounts Officer

SCHEDULE -14

(Amount in ₹.)

FEES/ SUBSCRIPTIONS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Entrance Fees		-		-
2. Annual Fees/ Subscriptions		-		-
3. Seminar/ Program Fees		-		-
4. Consultancy Fees		-		-
5. Others		-		-
TOTAL		-		-

SCHEDULE -15

(Amount in ₹.)

INCOME FROM INVESTMENTS (Income on Invest. From Earmarked/ Endowment Funds transferred to funds)	Invest from Earmarked fund		Investment - Others	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Interest				
a. On Govt Securities	-		-	
b. Other Bonds/ Debentures	-		-	
c. Others (FDs with banks)	-	-	-	-
	-	-	-	-
2. Dividends				
a. On Shares	-	-	-	-
b. On Mutual Fund Securities	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3. Rents	-	-	-	-
4. Others (Specify)	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-
TRANSFERRED TO EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	-	-		

Place : GURUGRAM
Date : 24.08.2020

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Joint Director (Admin.)/HOO

Sd/-
Accounts Officer

SCHEDULE -16

(Amount in ₹.)

INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATIONS ETC.	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Income from publications		375		4,675
2. Income from Royalty		-		-
3. Others (Specify)		-		-
TOTAL		375		4,675

SCHEDULE -17

(Amount in ₹.)

INTEREST EARNED	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. On Term Deposits:				
a. With Scheduled Banks (including TDS deducted by Bank Rs 92,82,083/-)	92,819,749		92,643,516	
b. With Non Scheduled Banks	-		-	
c. With institutions	-		-	
d. Others	-	92,819,749	-	92,643,516
2. On Savings Accounts:				
a. With Scheduled Banks	62,519,524		100,232,347	
b. With Non Scheduled Banks	-		-	
c. Post Office Savings Accounts	-		-	
d. Others - at Centres	-	62,519,524	-	100,232,347
3. On Loans:				
a. Employees/ Staff	9,246		15,819	
b. Service charges recoverable from Beneficiaries under Soft Loan Scheme`	-		-	
c. Service Charges Received from Beneficiaries under Soft Loan Scheme	-	9,246	-	15,819
4. Interest on Debtors and Other Receivables	-			-
TOTAL		155,348,519		192,891,682

Place : GURUGRAM
Date : 24.08.2020

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Joint Director (Admin.)/HOO

Sd/-
Accounts Officer

SCHEDULE -18

(Amount in ₹.)

OTHER INCOME	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Profit on sale/ disposal of assets:				
a. Owned assets	-		-	
b. Assets acquired out of grants, or received free of cost	-		-	
	-		-	
2. Rent received		325,200		361,562
3. Fees for Miscellaneous Services		-		-
4. Miscellaneous Income		52,880		517,741
5. Service charges/Penal Interest received		8,986,893		8,393,714
6. Other Receipt		-		5,322,817
TOTAL		9,364,973		14,595,834

SCHEDULE -19

(Amount in ₹.)

INCREASE/ (DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Closing stock				
a. Finished Goods				
b. Work in Progress				
	-		-	
2. Less: Opening Stock				
a. Finished Goods				
b. Work in Progress				
	-		-	
NET INCREASE/ (DECREASE)	[1 - 2]	-		-

Place : GURUGRAM
Date : 24.08.2020

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Joint Director (Admin.)/HOO

Sd/-
Accounts Officer

SCHEDULE -20

(Amount in ₹.)

ESTABLISHMENT EXPENSES	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
a. Pay and Allowances		55,999,479		56,404,643
b. Other Allowances and Bonus		6,969,572		8,675,819
c. Contribution to Provident Fund		12,888,229		12,740,407
d. Staff Welfare Expenses		533,488		314,188
e. Expenses on employees retirement & terminal benefits		22,814,643		22,767,515
TOTAL		99,205,411		100,902,572

SCHEDULE -21

(Amount in ₹.)

OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
a. Electricity and water charges		1,734,103		1,444,845
b. Generator running & maintenance		930,125		692,551
c. Insurance		21,801		21,635
d. Repair and maintenance		965,461		1,136,131
e. Security charges and house keeping expenses		6,519,398		6,474,010
f. Vehicles Running and Maintenance		69,850		245,613
g. Postage, Telephone and communication charges		583,252		594,700
h. Printing and stationery		1,468,330		1,292,052
i. Travelling and Conveyance expenses		5,387,706		3,782,906
j. Newspaper & periodicals		52,206		69,960
k. Office expenses		365,744		363,399
l. Expenses on meeting\entertainment		240,525		333,233
m. Auditors remunerations/ fees		949,910		1,086,339
n. Legal & Professional Charges		2,029,019		1,897,590
o. Advertisement and publicity		335,005		66,194
p. Photocopy exp.		1,465,495		1,546,370
q. Property Tax		196,020		196,020
r. Membership Fee		-		20,200
s. Books & Periodicals		975		17,218
t. Rajbhasha Promotion Expense		95,839		259,558
u. Misc Expenses		0		(8)
TOTAL		23,410,765		21,540,516

Place : GURUGRAM
Date : 24.08.2020

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Joint Director (Admin.)/HOO

Sd/-
Accounts Officer

SCHEDULE -22

(Amount in ₹.)

EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
a. Grants given to Institutions/ Organisations				
b. Subsidies given to Institutions/Organisations (For Other than NE states)				
i) Development of Commercial Horticulture (Subsidy)	508,270,053		1,544,312,141	
- Legal charges for court cases under soft loan scheme	355,500		490,223	
ii) Capital Investment Subsidy for Cold Storages	543,913,800		873,518,400	
iii) Technology Development/ Promotion for Horticulture	16,649,101		28,076,710	
iv) Market Information Service for Horticulture Crops	-		1,958,186	
v) Horticulture Promotion Services	3,459,459		1,008,230	
vi) Mission Management & Administrative Expenses				
a Establishment Expenses - Centre	61,386,805		63,635,259	
b Administrative Expenses - Centre	28,644,671		28,537,638	
vii)Expenditure on International Exhibition at Beijing China	6,855,715		94,263,602	
Expenses (For NE States including Sikkim)				
i) Development of Commercial Horticulture (Subsidy)	7,656,000		59,377,600	
ii) Capital Investment Subsidy for Cold Storages	34,000,000		-	
iii) Technology Development & Transfer for Promotion of Horticulture	4,563,108	1,215,754,212	689,730	2,695,867,719
TOTAL		1,215,754,212		2,695,867,719

Note: Name of entities, their Activities along with the amount of Grant/ Subsidies are to be disclosed.

As per Operational Guidelines of Schemes of National Horticulture Board, the eligible organizations are as under:-

Unless otherwise specified, organizations/promoters, such as Association of Growers, Individuals, group of farmer growers/consumers, farmers Producer Organizations (FPOs,) Partnership/Proprietary Firms, Self Help groups (SHGs), NGOs, Companies, Corporations, Cooperatives, Co-operative Marketing federations, Agricultural Produce Marketing Committees, Marketing Boards/Committee, Municipal Corporations/ Committees, Agro-Industries Corporations, SAU's and other concerned R&D organizations are eligible to get assistance under all the NHB schemes.

The subsidy disbursed against each activity has been shown in the Schedule no. 22 above. Beneficiary wise details are available as separate booklet. In addition to NHB Schemes, the NHB implements the certain components of NHM, NBM, MoFPI schemes and Saffron Mission.

Place : GURUGRAM
Date : 24.08.2020

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Joint Director (Admin.)/HOO

Sd/-
Accounts Officer

SCHEDULE -23

(Amount in ₹.)

INTEREST	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
a. On fixed loans		-		-
b. On other loans (including Bank charges)		-		-
c. Other (Specify)		-		2,807
TOTAL		-		2,807

Place : GURUGRAM
Date : 24.08.2020

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Joint Director (Admin.)/HOO

Sd/-
Accounts Officer

NATIONAL HORTICULTURE BOARD SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2020

SCHEDULE 24 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting.

2. VALUATION OF INVENTORIES

Stores, Spares (including machinery spares) and stationery items are valued at cost.

3. INVESTMENT

Not applicable.

4. EXCISE DUTY

Not Applicable.

5. FIXED ASSETS

The Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition.

6. DEPRECIATION

- a) Depreciation has been provided on Written Down Value method at the rates prescribed under Income Tax Act, 1961.
- b) In respect of additions to/deductions from fixed assets during the year, depreciation has been provided as per provision of the Income Tax Act, 1961.

7. MISCELLANEOUS EXPENDITURE

Not applicable.

8. ACCOUNTING FOR SALES

Not applicable

9. GOVERNMENT GRANTS/SUBSIDIES

Grant-in-aid received from the Department of Agriculture, Co-operation & Farmers Welfare, Govt. of India is accounted for on receipt basis.

Grants-in-aid received from the Government under various Schemes, other than NHB Schemes, have been recorded in Earmarked Funds.

10. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

Transactions in Foreign Currencies are recorded at exchange rates prevailing on the date of respective transactions.

11. LEASE

Lease rentals are expensed with reference to lease terms

12. RETIREMENT BENEFITS

- a) Provision towards Gratuity payable on death / retirement of employees is accounted for on the accrual basis.
- b) Provision for accumulated leave encashment benefit to the employees is accrued and computed on the assumption that employees are entitled to receive the benefit as at each year end.

13. REVENUE RECOGNITION

- a) Income such as interest on FDR's, Saving Bank Account & service charges on loans & advances are accounted for on accrual basis.
 - b) Unutilized balances under various schemes are accounted for as and when received.
 - c) Amount released for assistance/subsidy under various schemes are shown as expenditure in the year of release and unutilized amount for previous years received back during the current year are recorded in Corpus/Capital Fund.
14. Provision for Pay and Allowances for the month of March 2020 has not been made in the accounts because the same is payable in the next year.

Place : GURUGRAM
Date : 24.08.2020

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Joint Director (Admin.)/HOO

Sd/-
Accounts Officer

NATIONAL HORTICULTURE BOARD SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2020

SCHEDULE 25 - CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

1. CONTINGENT LIABILITIES

- 1.1 Claims against the Entity not acknowledged as debts - Rs. NIL (Previous year NIL)
- 1.2 In respect of:
- Bank guarantees given by/on behalf of the Entity -Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
 - Letters of Credit opened by Bank on behalf of the Entity -Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
 - Bills discounted with banks Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
- 1.3 Disputed demands in respect of:
- Sales-tax Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
 - Municipal Taxes NIL (Previous year Rs. NIL)
- 1.4 In respect of claims from parties for non-execution of orders, but contested by the Entity -Rs. NIL (Previous Year Rs. NIL)

2. CAPITAL COMMITMENTS

Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances) Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

3. LEASE OBLIGATIONS

Future obligations for rentals under finance lease arrangements for plant and machinery amount to Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

4. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances have a value of realization in the ordinary course of business, equal to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

5. TAXATION

In view of there being no taxable income under Income Tax Act 1961, no provision for Income Tax has been considered necessary. National Horticulture Board (NHB) had been notified by Central Government under Section 10(23C)(iv) of the Income Tax Act, 1961, up to the assessment year 2008-09. The NHB filed application with the Income Tax Authorities for renewal of exemption u/s 10(23C) (iv) of the Income Tax Act 1961 for Assessment Year 2009-10 to 2010-11, 2011-12 to 2013-14 and 2014-15

and onwards but the same were rejected by the Income Tax Authorities. The Board has filed writ petitions in the High Court of Punjab & Haryana at Chandigarh against the decision of Income Tax Authorities. The decision in the matter is awaited from the Hon'ble High Court. The Board is registered with Income Tax Authorities u/s 12 AA of the Income Tax Act, 1961. The NHB is filing its Income Tax Returns (ITR) of Nil income with the Income Tax Department timely every year along with audit report required by the charitable institutions for the compliance of conditions u/s 10 (23C) (IV) of the Income Tax act, 1961. The TDS amounting to Rs. 93,25,443/- is deducted by the Indian Overseas Bank, NHB Branch, Gurugram on Interest on fixed deposits/ rent of NHB during the Financial year 2019-20 (relevant to assessment year 2020-21) which is claimable as refund at the time of filing of Income Tax Return with the Income Tax Authorities.

6. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

6.1 Values of Imports Calculated on C.I.F. Basis:

- Purchase of finished Goods	NIL
- Raw Materials & Components (Including in transit)	NIL
- Capital Goods	NIL
- Stores, Spares and Consumables	NIL

6.2 Expenditure in foreign currency

a) Travelling Expenses	Rs. 2,84,283/-
b) Remittances and Interest payment to Financial Institutions/banks in Foreign Currency	
c) Payment made towards purchase of Machinery for Technology Awareness	NIL
d) Other expenditure:	
- Commission on Sales	NIL
- Legal and Professional Expenses	NIL
- Miscellaneous Expenses :-	NIL

6.3 Earnings:

Value of Exports on FOB basis	NIL
-------------------------------	-----

6.4 Remuneration to auditors:

- As Audit Fees	NIL
- Out of Pocket Expenses	NIL
- Taxation Matters	NIL
- Others	NIL

7. The Funds accumulated on account of processing fee/cost of application form & scheme brochure and expenditure incurred as well as Fixed assets created out of the processing fee/ cost of application form & scheme brochure amount has been shown separately in the annual accounts of the Board.
8. The service charges are not provided for in the suit filed soft loan cases from the year in which civil suit has been filed. However, service charges to the extent of recovery have been provided in suit filed cases where amount has been recovered during relevant period.
9. As per practice in NHB regarding adjustment of recovery of those soft loan cases in which lump sum amount of recovery is less than Principal amount and service charges due, the NHB adjust the amount of recovery first in service charges and the remaining amount in Principal amount, except amount received from M/s Karuturi Floritech Ltd. Rs. 89,86,893/- has been considered as income –Penal Interest, since the matter is sub-judice. However, an amount of Rs. 2,08,61,523/- received during the year in Soft Loan Cases, out of which an amount of Rs. 1,00,00,000/- was received on account of principal amount and Rs. 18,74,630/- as service charge and remaining as penal Interest amounting of Rs. 89,86,893/- has been received during the year.
10. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India decided (February 2017) to temporarily transfer land & building of erstwhile National Oil Seeds & Vegetable Oil Development Board (NOVOD) wound up in September 2016 to NHB and directed NHB to pay wages of security staff, electricity expenses etc. from their budget for which funds would be transferred to NHB later on. An amount of Rs. 12,76,839/- during 2019-20 on account of wages, electricity expenses etc. by showing recoverable from NOVOD Board in the books of accounts.
11. Provision for Penal Interest in respect of late payments of dues by the beneficiaries has not been made in the accounts. It is accounted for on receipt basis.
12. The Board has filed civil suits against defaulter loanies for recovery of soft loans. The provision for doubtful debts amounting to Rs.19,44,49,582/- has been made up to 31.3.2020.
13. Court fees, if any, in respect of cases where civil suit has been filed, has been debited to expenditure account on payment basis.
14. Corresponding figures for the previous year have been regrouped/rearranged, wherever considered necessary.
15. Figures have been rounded off to the nearest rupee.
16. Schedules 1 to 25 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at 31.03.2020 and the Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account for the year ended on that date.

Place : GURUGRAM
Date : 24.08.2020

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Joint Director (Admin.)/HOO

Sd/-
Accounts Officer

Promoting
Horti Entrepreneurship
Technology and Innovation
in Indian Horticulture

**through NHB Schemes on Commercial Cultivation
of Horticulture Crops and Creation of
Post Harvest Management Infrastructure**



NATIONAL HORTICULTURE BOARD
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India



**HI-TECH COMMERCIAL HORTICULTURE
IN OPEN & PROTECTED COVER**

**COLD STORAGE/CONTROLLED
ATMOSPHERE STORAGE**

POLY HOUSE CULTIVATION

REEFER TRUCKS



**MANDATE OF
NHB**

TRANSFER OF TECHNOLOGY

**PRIMARY
PROCESSING**

**PROMOTION OF MECHANISATION
IN HORTICULTURE**

PACK HOUSE



**ENSURING AVAILABILITY OF QUALITY PLANTING MATERIAL
THROUGH NURSERY ACCREDITATION PROGRAMME**



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
National Horticulture Board

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India

प्लॉट नंबर 85, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-18, गुरुग्राम-122015 (हरियाणा)
Plot No. 85, Institutional Area, Sector-18, Gurugram-122015 (Haryana)
दूरभाष/Tel.: 0124-2342992, फैक्स/Fax: 0124-2342991, 2341225